खण्ड-154, अंक-1
बुधवार, 26 श्रावण, शक संवत् 1877
(17 अगस्त, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 154 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५५ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	३६
उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाइज (कंटिन्युएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५५ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	३६
उत्तर प्रदेश पथ-परिवहन सेवा (विकास) विधेयक, १९५५ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	३७
१९५५ का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	३७
उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज मेंटिनेंस (निरसन) विधेयक, १९५५ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	३७
यू० पी० इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५४ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	३७
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५५ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	३७
विधान सभा की सदस्यता से श्री वीरेंद्र नाथ मिश्र के त्याग-पत्र की सूचना ..	३७
कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में सूचनायें	३८
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधन (प्रतिलिपियां मेज पर रक्खी गयीं)	३८–३९
संयुक्त प्रांतीय कृषि आय कर नियम, १९४९ में कृत संशोधन (मेज पर रक्खा गया)	३९
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९५५ (प्रतिलिपि मेज पर रक्खी गई)	३९
यू० पी० टाउन एरियाज (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ (प्रतिलिपि मेज पर रक्खी गई)	३९
उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अध्यादेश, १९५५ (प्रतिलिपि मेज पर रक्खी गई)	३९
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ (प्रतिलिपि मेज पर रक्खी गई)	४०
कार्यक्रम में परिवर्तन	४०
प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार (जारी)	४०–५९
नत्थियां	६०–७३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५६)

अक्षयबर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह यादव, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छ्न्न गुरु, श्री
कल्याण, श्री
कामतारयद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह, नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डालाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदायालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विश्व, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री

बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहान उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्री तो
रघुनाथप्रसाद, श्री
रणंजयसिंह श्री
रतनलाल जैन
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह राजा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री

रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली, खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी ,श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भुनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री

सुरजराम, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण

श्री जगदीश शरण ने शपथ ग्रहण की।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

तारांकित प्रश्न

कमायूं में रेशम के कारखाने खोलने की योजना

*१--श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार कुमायूं पर्वतीय प्रदेश में रेशम के कारखाने खोलने की योजना कार्यान्वित करने का विचार कर रही है ?

नियोजन मंत्री के समासचिव (श्री बनारसीदास)--जी नहीं।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या सरकार आबोहवा, पहाड़ की समुद्र की सतह, ऊंचाई आदि का काश्मीर के साथ मुकाबला करते हुये कुमायूं के पर्वतों में भी इस योजना को कार्यान्वित करने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास--हल्द्वानी, लालकुआं, किछा और रुद्रपुर में जांच कराई गई और उससे मालूम हुआ कि वहां पेड़ों की पत्तियां ऐसी नहीं है कि जिन पर रेशम को पाला जा सके। इसके अतिरिक्त वन विभाग के अधिकारियों से परामर्श किया जा रहा है कि आया वहां शहतूत के पेड़ लगाये जा सकते हैं जिससे वहां पर इस उद्योग को विकसित करने का प्रयत्न किया जा सके।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या सरकार कुमायूं के हायर लैटीट्यूट के पहाड़ों में शहतूत क पेड़ों को लगाने के बारे में वन विभाग से पूछेगी ? आपने बताया है कि तराई भावर में ही जांच कराई गई है।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--जहां तक इस उद्योग का संबंध है सरकार प्रयत्नशील है कि जहां-जहां भी यह उद्योग चलाया जा सकता है, चलाया जाय और इसके लिये वह प्रयत्न कर रही है और इसमें पहाड़ों का क्षेत्र भी शामिल है। वहां भी सरकार इस उद्योग को चलाने का प्रयत्न करेगी।

*२-३—श्री बाबूराम गुप्त (जिला एटा)—[१४ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४-५—श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[१८ अगस्त, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या १८-१९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

प्लानिंग विभाग, जिला झांसी के कर्मचारियों में हरिजन

*६—श्री गज्जू राम (जिला झांसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्लानिंग विभाग, जिला झांसी में कुल कितने क्लर्क तथा चपरासी हैं और उसमें कितने हरिजन हैं ?

नियोजन उप-मंत्री (श्री फूल सिंह)—प्लानिंग विभाग जिला झांसी में कुल ४७ क्लर्क तथा ९८ चपरासी हैं । क्लर्कों में कोई हरिजन नहीं है, चपरासियों में २२ चपरासी हरिजन हैं ।

श्री गज्जू राम—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो ४७ चपरासी हैं उनमें हरिजन एक भी नहीं है, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—यह जो उत्तर आपको मिला है उसके विरुद्ध आप प्रश्न पूछ रहे हैं । उत्तर में यह नहीं कहा गया कि चपरासियों में हरिजन नहीं हैं ।

श्री गज्जू राम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ४७ क्लर्कों में हरिजन न होने का क्या कारण हैं ?

श्री फूल सिंह—बहुत से क्लर्क तो पहले से ही इस विभाग में थे, तब भी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि अब जो जगहें खाली हों उन पर हरिजनों को रखा जाय ।

गृह उद्योगों में क्वालिटी मार्किग स्कीम

*७—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन गृह उद्योगों में क्वालिटी मार्किंग स्कीम चालू है ?

श्री बनारसी दास—प्रदेश में निम्नलिखित उद्योगों में यह योजना लागू की जा चुकी है:—

१—आगरा के जूते
२—अलीगढ़ के ताले
३—फर्रुखाबाद के छपे वस्त्र
४—बनारस के रेशमी वस्त्र
५—मेरठ की कैंचियां
६—मिर्जापुर के कालीन
७—मेरठ की खेल-कूद की वस्तुयें
८—हस्तकर्घा वस्त्र

इसके अतिरिक्त रुड़की के ड्राइंग तथा सर्वे के औजारों, कानपुर के चर्म निर्मित सामान तथा आगरा की दरियों में भी यह योजना लागू किये जाने के लिये आज्ञा दी जा चुकी है । इस संबंध में आवश्यक प्रबन्ध किया जा चुका है और बांछित कर्मचारियों की नियुक्ति होने के उपरान्त यह योजना इन उद्योगों में भी लागू कर दी जायगी ।

*८—श्री देवकी नन्दन विभव—क्या उद्योग मंत्री यह बतायेंगे कि वे कौन से उद्योग गृह उद्योगों के लिये स्वरक्षित रखेंगे और कौन से उद्योग मशीनों के उत्पादन के लिये खोले जायेंगे ? क्या इस संबंध में कोई योजना बनाई जा रही है ?

श्री बनारसी दास––(अ) इस प्रकार का कोई विभाजन सरकार ने नहीं किया है।

(ब) जी नहीं

श्री देवकी नन्दन विभव––क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस योजना में प्रत्येक वर्ष कितना रुपया व्यय किया जाता है ?

श्री बनारसी दास––यह तो बजट के अन्दर दिया गया है।

श्री देवकी नन्दन विभव––क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो उन्होंने तालिका दी है उसमें कुल कितना उत्पादन है और कितने पर यह योजना लागू की गई है, यानी क्वालिटी मार्किंग कितनी होती है और कुल उत्पादन कितना होता है ?

श्री बनारसी दास––उसके लिये तो सूचना जब माननीय सदस्य चाहेंगे बाद में दी जा सकती है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)––क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मिर्जापुर के कालीनों पर जो क्वालिटी मार्किंग की योजना लागू की गई है वह ठीक-ठीक अमल में नहीं आ रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––हां, अभी कालीन के ऊपर मिर्जापुर के क्वालिटी मार्किंग की योजना पूरी तरह कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकी है, क्योंकि बड़े-बड़े उत्पादक इसमें अभी सम्मिलित नहीं हुए हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र––क्या सरकार बतायेगी कि इस योजना को लागू करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है कि अच्छी तरह से लागू हो जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––सरकार ने जो बड़े उत्पादक थे उनको आमंत्रित किया था और उन्हें इस योजना में शामिल होने के लिये सलाह दी है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)––क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि किन-किन गृह-उद्योगों को प्राथमिकता दी जायगी। क्या ताले और चाकू का जो विजनेस है उसको प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––प्राथमिकता देने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि क्वालिटी मार्किंग के विषय में बताया गया है कि ताले और कैंची के ऊपर भी क्वालिटी मार्किंग की स्कीम लागू कर दी गई है।

श्री देवकी नन्दन विभव––क्या मंत्री जी को यह विदित है कि यह योजना बहुत कम अंश में कार्यान्वित हो रही है और यदि हां, तो वह इस योजना को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने का क्या प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––अभी यह योजना प्रत्येक उद्योग में, प्रत्येक स्थान पर लागू नहीं की जा सकी है, लेकिन उत्तरोत्तर यह योजना प्रसारित की जा रही है और इसमें भी जो उत्पादक हैं वे अब सम्मिलित होते जा रहे हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)––क्या सरकार यह बतायेगी कि वह इस योजना को समस्त गृह-उद्योगों पर अनिवार्य रूप से लागू करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार का प्रयत्न तो इसी ओर है।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)--क्या यह सही है कि क्वालिटी मार्किंग के बारे में मिर्जापुर जिले के और बनारस जिले के कालीन के जितने व्यवसायी हैं करीब-करीब ९९ फीसदी इसका विरोध कर रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--९९ फीसदी तो कालीन के उत्पादक इसका विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन माननीय प्रश्नकर्ता अवश्य इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)-- क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस क्वालिटी मार्किंग स्कीम में एक ही किस्म की चीज में दो या तीन ग्रेड के दाम पर क्वालिटी मार्किग की जाने की व्यवस्था की गई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मेरा ख्याल है कि अभी जो चीज चालू है उसमें दो-तीन ग्रेड की चीजों के ऊपर क्वालिटी मार्किग की जा रही है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन वस्तुओं के ऊपर क्वालिटी मार्किग योजना लागू है उनकी विक्री के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिन-जिन चीजों के ऊपर क्वालिटी मार्किंग स्कीम लागू की गई है उनकी विक्री बढ़ी है और उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और जहां तक चीजों का विषय है वह तो अभी उत्तर में बता दी गई हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्वालिटी मार्किग आप्शनल है या मैंडेटरी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी जो उत्पादक हैं उनके लिये यह चीज आप्शनल रखा गई है। कोई अभी जबरिया यह स्कीम चालू नहीं है।

श्री देवकी नन्दन विभव-- क्या माननीय मंत्री जी क्वालिटी मार्किंग की जगह ग्रेडेशन स्कीम को चलाने पर विचार करेंगे ?

श्री बनारसी दास--अभी तो क्वालिटी मार्किंग की योजना ही चल रही है और क्वालिटी मार्किंग के अन्दर एक प्रकार का ग्रेडेशन भी होता है।

मिर्जापुर जिले के देहात में चिकित्सालय खोलने का विचार

*९--श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)-- क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि जिला मिर्जापुर के देहाती क्षेत्रों में इस वर्ष कितने आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक चिकित्सालय खुलने की योजना है?

श्री बनारसी दास--मिर्जापुर जिले के देहाती क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। परन्तु अभी संख्या निश्चित नहीं की गई है। सरकारी होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने की इस समय कोई योजना नहीं है।

श्री रामस्वरूप--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह संख्या कब तक निश्चित हो जायगी ?

श्री बनारसी दास--इस वर्ष के बजट में जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार उसका फैसला कहां-कहां पर और किस प्रकार के चिकित्सालय खोले जायंगे शीघ्र ही होने वाला है।

जौनपुर जिले में ताड़-गुड़ योजना

*१०—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जौनपुर जिले में ताड़ से गुड़ बनवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कितने दिनों में वह लागू हो जायेगी?

श्री बनारसी दास—जौनपुर जिले में ताड़ व गुड़ योजना को कार्यान्वित करने का प्रश्न द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विचाराधीन है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में ताड़ और खजूर के पेड़ों का सर्वे कराया गया है?

श्री बनारसी दास—यह सर्वे प्रान्त के सभी जगहों का कराया गया है और यह मालूम है कि प्रदेश में ताड़ के पेड़ संख्या में कितने हैं और कहां-कहां उनसे चीनी और गुड़ बनाने के लिए उद्योग को चलाया जा सकता है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय जौनपुर जिले की बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए इस योजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना में शरीक करने का विचार कर रहे हैं?

श्री बनारसी दास—प्रथम पंचवर्षीय योजना का तो अन्तिम साल है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अवश्य इस बात की कोशिश की जा रही है कि जहां-जहां इस बात की सम्भावना है कि यह उद्योग चल सके वहां इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जायगा और जौनपुर का प्रश्न भी विचाराधीन है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—ताड़ से गुड़ बनाने की योजना प्रदेश के किन-किन जिलों में इस समय चालू है यह बताने की माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे?

श्री बनारसी दास—उन्नाव, कानपुर, फर्रुखाबाद, बदायूं, बिजनौर, और मेरठ के जिलों में।

जौनपुर जिले में इत्र तथा सुगन्धित पदार्थों के व्यवसाय का विकास

*११—श्री रमेचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर शहर के पास चमेली, बेला फूल की तरक्की कराके सरकार तेल के व्यवसाय तथा फूल पैदा करने वाले किसानों की सहायता करने का विचार कर रही है?

श्री बनारसी दास—जौनपुर जिले में इत्र तथा सुगन्धित पदार्थ बनाने की योजना के विकास का प्रश्न दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार के विचाराधीन है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के अन्य जिलों में गुलाब, बेला तथा चमेली के तेल तथा इत्र के व्यवसाय को सहायता करने का सरकार विचार कर रही है?

श्री बनारसी दास—जी हां।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर तहसील के बहुत से किसानों के यहां चमेली के फूल की खेती बाढ़ में नष्ट हो चुकी है, उनको फिर से बढ़ाने का सरकार कोई विचार कर रही है?

श्री बनारसी दास—इस उद्योग को संगठित करने और इस प्रकार के फूलदार दरख्तों की खेती के विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्ताव रखे गये हैं। उनके स्वीकार होने पर आशा है कि जौनपुर के अन्दर इसका लाभ होगा और इस प्रकार की खेती का विकास किया जायगा।

*१२—**श्री कृष्ण शरण आर्य** (जिला रामपुर)—[२४ अगस्त, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*१३-१४—**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)—[६ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न २३-२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मादक वस्तुओं की दुकानें तथा उनसे सरकारी आय

*१५—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में अलग-अलग कुल कितनी गांजा, चरस, भांग और शराब की दुकानें हैं और उनसे सन् १९५३-५४ में सरकार को अलग-अलग कुल कितने रुपये की आमदनी हुई?

मादक कर-मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—इस प्रदेश में गांजे और भांग की १,१९६, देशी शराब की १,४६२ दूकानें हैं। चरस की कोई दूकान नहीं है। सन् १९५३-५४ में गांजे और भांग से ४०,८४,०२४, देशी शराब से ३,२३,३६,२७० रुपये की आमदनी हुई।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार सन् १९५४-५५ के आंकड़े और दे सकती है?

श्री गिरधारी लाल—किस चीज के आंकड़े? आमदनी के या दूकानों के?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—दूकानों और आमदनी दोनों के।

श्री गिरधारी लाल—सन् १९५४ में देशी शराब की १,४४२ दूकानें थीं और गांजे और भांग की १,१९२ दूकानें थीं। अफीम की दूकानों की संख्या ६४१ थी। जहां तक आमदनी का ताल्लुक है, सन् १९५५ की आमदनी अभी सरकार के पास नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि शराब से होने वाली आमदनी को कब तक समाप्त कर देने का सरकार का इरादा है, जो आमदनी कि गांजे और भांग से होती है उसको भी?

श्री अध्यक्ष—यह आय बड़ी नीति का सवाल है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि लगभग ७५ फीसदी गांजे की दूकानों पर नकली गांजा बिकता है और सरकारी नहीं बिकता, जिससे आमदनी गिरी है?

श्री गिरधारी लाल—ज्ञात है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या उपाय किया अब तक?

श्री गिरधारी लाल—इस वर्ष इस बात का फैसला कर दिया गया है कि अगले वर्ष से गांजे को मुकम्मिल तौर पर प्रान्त में बन्द कर दिया जायगा और फिर जितना भी नाजायज़ गांजा होगा उस पर उचित रूप से देख-भाल कर के उसको बन्द किया जायगा।

विलीन चरखारी तहसील के ग्रामों में औषधालयों की आवश्यकता

*१६—**श्री मन्नीलाल गुरुदेव** (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि विलीन हुई चरखारी तहसील के ग्रामों में कोई औषधालय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार वहां के ग्रामों में कोई औषधालय खोलने का विचार रखती है?

श्री बनारसी दास—इस तहसील के ग्रामों में निम्नलिखित स्थानों पर औषधालय हैं :—

खरेला	..	.	आयुर्वेदिक सरकारी
रेवाई	..	..	,, ,,
पनवारी	..	..	,, जिला बोर्ड

सरकार इस वर्ष २० आयुर्वेदिक और ३१ एलोपैथिक चिकित्सालय खोल रही है। नये औषधालय व चिकित्सालय खोलते समय इस तहसील का भी ख्याल रक्खा जायगा।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—यह प्रश्न जो था वह चरखारी स्टेट जो विलीन हुआ है उसके बारे में था और माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है खरेला के बारे में जो मौदहा तहसील में है। क्या कोई अस्पताल विलीन हुई चरखारी स्टेट के अन्दर खोलने का विचार है?

श्री बनारसी दास—चरखारी हेड क्वार्टर में एक तो एलोपैथिक अस्पताल है और इसके अलावा इस तहसील के अन्दर बम्हौरी कलां में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*१७—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—[१४ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद (नैनी) में शीशे के बर्तन बनाने के कारखाने

*१८—**श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरू** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद (नैनी) में चीनी तथा शीशे के बर्तन बनाने के कितने कारखाने हैं?

श्री बनारसी दास—नैनी, जिला इलाहाबाद में शीशे के बर्तन बनाने के ६ कारखाने हैं। चीनी के बर्तन बनाने वाला कोई कारखाना नैनी में नहीं है।

श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरू—क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि इन कारखानों को चलाने के लिए सरकार की ओर से क्या सहायता दी जाती है?

श्री बनारसी दास—सरकार से तो इन उद्योगों के सम्बन्ध में अभी तक कोई सहायता कारखाने दारों की तरफ से मांगी नहीं गयी है।

नोट—तारांकित प्रश्न १६ श्री जोरावर वर्मा ने पूछा।

नैनी शुगर मिल का बन्द होना

*१९—श्री कल्याण चन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गरू—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि नैनी शुगर मिल बहुत वर्षों से बन्द है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बनारसीदास—यह सही है कि नैनी शुगर मिल कई वर्षों से बन्द है। इसका कारण यह है कि मिल मालिकों के आपस के झगड़े बहुत समय से चल रहे हैं और अब तक उनका निपटारा सम्भव नहीं हो सका है।

श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू —क्या सरकार नैनी शुगर मिल को सरकारी अधिकार में लेकर सरकार की ओर से चलाने पर विचार करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो सरकार का कोई ऐसा विचार नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह मिल कब से बन्द है?

श्री बनारसीदास—यह सब से पहले सन् १९३३ में बन्द हुई थी, उसके बाद सन् १९४१ में एक साल के लिये चली, फिर उसके बाद एक साल चली और अब तो यह कई वर्षों से बन्द है और उसकी मशीन आदि भी बहुत ज्यादा खराब हो गयी हैं और इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा विवरण भी नहीं मालूम है।

*२०—श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू —[२९ अगस्त, १९५५ के लिये प्रश्न ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गाजीपुर का जनाना अस्पताल

*२१—श्री भोला सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में कितने जनाना अस्पताल हैं? यदि नहीं हैं, तो क्या सरकार खोलने का विचार कर रही है?

श्री बनारसीदास—गाजीपुर जिले में एक जनाना अस्पताल है, जो गाजीपुर शहर में स्थित है।

श्री भोला सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसमें कितने मरीजों की दवा रोज की जाती है?

श्री बनारसीदास—इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो जिले से मंगाई जा सकती है।

राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल की स्थापना पर विचार

*२२—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार राज्य में राज्य स्पोर्ट्स कौंसिल की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक हो जायेगी?

श्री फूल सिंह—जी हां। राज्य स्पोर्ट्स कौंसिल की स्थापना शीघ्र हो जावेगी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि 'शीघ्र' से उनका क्या तात्पर्य है और वह कब तक इस्टैब्लिश हो जायगी?

श्री फूल सिंह—कौंसिल बन चुकी है, नियम भी बन चुके हैं। जब नोटीफाई हो जायंगे तो कौंसिल बनेगी।

पी० एम० एस० (प्रथम) में पी० एम० एस० (द्वितीय) के डाक्टरों के लिये सुरक्षण

*२३--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि P. M. S. (प्रथम) का चुनाव करते समय P. M. S. (द्वितीय) के डाक्टरों के लिये जो M. B. B. S. हैं, कुछ जगहें निर्धारित व सुरक्षित की जाती हैं या नहीं? यदि हां, तो कितने प्रतिशत और यह प्रथा कितने वर्षों से लागू है?

श्री बनारसीदास--जी हां। ५० प्रतिशत। यह प्रथा सन् १९५१ से लागू है।

*२४--श्री गंगाधर मैठाणी (अनुपस्थित)--क्या सरकार P. M. S. (द्वितीय) के डाक्टरों का P. M. S. (प्रथम) में चुनाव करते समय केवल उनकी लम्बी नौकरी की ही ओर विशेष ध्यान देती है या साथ में उनकी विशेष योग्यताओं तथा अच्छी गोपनीय रिपोर्टें (Confidential report) की ओर भी ध्यान देती है?

श्री बनारसीदास--सरकार सभी बातों की ओर ध्यान देती है।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह चुनाव की विधि क्या है और किस प्रकार चुनाव होता है?

श्री बनारसीदास--सब से पहले संचालक एक सूची तैयार करते हैं और उसके बाद उसमें से विभाग के डायरेक्टर, एडीशनल डायरेक्टर और विभाग के सचिव चुनाव करते हैं और बाद में वही सूची जिन का सेलेक्शन होता है स्वीकृति के लिए भेज दी जाती है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ५० प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं वह किन के लिए हैं?

श्री बनारसीदास--यह तो उत्तर हो चुका है कि वे पी० एम० एस० (द्वितीय) के लोगों के लिए हैं।

*२५--श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--[१८ अगस्त, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२६-२७--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)--[५ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ५०-५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

तरौली, जिला मथुरा में चिकित्सालय खोलने पर विचार

*२८--श्री रामहेत सिंह (अनुपस्थित)--क्या स्वास्थ्य मंत्री मथुरा जिले की छाता तहसील के तरौली गांव में चिकित्सा के अभाव को दूर करने के लिये जल्दी ही कोई चिकित्सालय खोलने पर विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो कब तक?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। उपयुक्त भवन नहीं मिल रहा है। उसके मिलन पर शीघ्र खोला जा सकता है।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी में हड़ताल का प्रश्न

*२९--श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर स्थित चुर्क की सीमेंट फैक्टरी में १५ मार्च से २९ मार्च, १९५५ के अन्दर कोई हड़ताल हुई थी? अगर हां, तो क्यों?

श्री बनारसीदास--जी नहीं, इस जमाने में कोई हड़ताल नहीं हुई।

नोट--तारांकित प्रश्न २३-२४ श्री तेज प्रताप सिंह ने पूछे।

गन्ने की अधिकता से नयी चीनी मिलों की आवश्यकता

*३०—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि राज्य की कौन सी चीनी मिल गन्ना न मिलने के कारण बन्द हो चुकी और जो मिलें चल रही हैं वह अपने क्षेत्र का गन्ना कब तक समाप्त कर के बन्द हो जायेंगी ?

श्री बनारसीदास—ऐसी कोई मिल नहीं है जो कि गन्ना न मिलने के कारण समय से पहले बन्द हुई हो। अब तो सब मिलें बन्द हो चुकी हैं, पर सभी अपने-अपने क्षेत्र का सारा गन्ना पेरने के बाद ही समय-समय पर बन्द हुई हैं। एक सूची संलग्न है जिसमें प्रत्येक मिल के बन्द होने की तारीख दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६० पर)

*३१—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि इस वर्ष १९५१-५२ के सीजन की तरह कुछ पूरब तथा अधिकांश पश्चिम की चीनी मिलों के क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक गन्ना खड़ा है जिसके समाप्त करने में पूरा मई का महीना भी लग जाने की संभावना है ?

श्री बनारसीदास—यह सही है कि पश्चिम की कुछ मिलों के क्षेत्रों में गत सीजन १९५४-५५ में गन्ना आवश्यकता से अधिक था और संलग्न सूची से ज्ञात होगा कि ये मिलें जून के महीने में भी काफी दिन तक चलकर बन्द हुई हैं। पूरब की मिलें तो मई के पहले सप्ताह तक सब बन्द हो चुकी थीं।

श्री गेंदासिंह—क्या उद्योग मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मिलें पश्चिम में पहली मई के बाद चली हैं उनको गन्ने के दाम कुछ कम देने के लिये राज्य सरकार की ओर से कोई आदेश जारी किया गया है ?

श्री बनारसीदास—इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश जारी किये हैं कि पहली मई के बाद में जो कीमत दी जायगी वह रेकवरी की बेसिस पर होगी।

श्री गेंदासिंह—क्या उद्योग मंत्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार कितना गन्ना कम कीमत पर मिल वालों ने खरीदा है ?

श्री बनारसीदास—अभी इसके आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि गन्ना की बढ़ोत्तरी को देखते हुये वह इस प्रांत में और मिलें खोलने का विचार रखते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, प्रदेशीय सरकार ने कुछ निर्णय किये हैं और वे यह हैं कि अभी प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहां गन्ना अधिक पैदा होता है कुछ और मिलें प्राइवेट सेक्टर में भी लगायी जायं और कोआपरेटिव ढंग से भी लगायी जायं।

श्री रतनलाल जैन—क्या सरकार बिजनौर जिले में गन्ने की बढ़ोत्तरी को देखते हुये चांदपुर में कोई मिल खोलने के लिये विचार रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी चांदपुर में मिल खोलने का सवाल तो सरकार के सामने उपस्थित नहीं हुआ।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गाजीपुर जिले में औरिहार के पास कोई मिल खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——अभी प्रदेशीय सरकार ने एक स्पेशल आफिसर की नियुक्ति की है और उसके द्वारा इन तमाम बातों का व्योरा इकट्ठा करने का काम आरम्भ किया गया है। वह स्पेशल आफिसर सारे उन क्षेत्रों की जांच कर आया है जहां गन्ना अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है और जहां मिलें लगाई जा सकती हैं। जब ये सब आंकड़े इकट्ठे हो जायेंगे तब सरकार यह निर्णय करेगी कि कहां-कहां प्राइवेट सेक्टर की तहत में और कहां कोआपरेटिव सोसाइटी की तहत में वह मिलें लगाने की व्यवस्था पर विचार करे।

श्री बेचनराम गुप्त——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बनारस जिले में औरेया स्थान पर गन्ने की मिल के बनाने की कोई योजना है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——मैंने जो उत्तर दिया है वह सिर्फ बनारस और औरेया के लिये ही नहीं बल्कि प्रदेश में जहां-जहां गन्ने की उत्पत्ति अधिक है उन सब स्थानों पर सरकार योजना बनायेगी और मिल की स्थापना के संबंध में विचार करेगी।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बड़ौद में कोई चीनी मिल लगाई जा रही है, यहां, हां तो किस के द्वारा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——बड़ौद में तो एक उद्योगपति जो दो मिलें रामपुर में चला रहे हैं, वह अपनी मिल ले जाने का विचार कर रहे हैं?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)——क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिलों के खोले जाने की जांच कब से की जा रही है और कब समाप्त होगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——यों तो चीनी मिलों के खोलने का प्रश्न केंद्रीय सरकार से संबंधित है और वही लाइसेंस इत्यादि देती है और सारे प्रश्नों पर वही विचार करती है। परन्तु प्रदेशीय सरकार ने इन पिछले महीनों में जहां-जहां गन्ने की उत्पत्ति अधिक रही है और पेरने के सिलसिले में सरकार को दिक्कत रही है उनके ऊपर सरकार विचार करके शीघ्र ही दो कोआपरेटिव मिल्स किच्छा और तराई एरिया में लगाने का निर्णय किया है।

कपड़े की कमी को हैण्डलूम द्वारा पूरी करने का विचार

*३२——**श्री रामसुन्दर पांडेय**——क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह प्रदेश के किन-किन जिलों में निकट भविष्य में सूती मिलें खोलने की सिफारिश करने जा रहे हैं?

श्री बनारसी दास——फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय——क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सूती मिलों से कपड़े की उत्पत्ति होती है उससे क्या प्रदेश की जनता की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है?

श्री बनारसीदास——जी नहीं, कमी रहती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय——ऐसी अवस्था में क्या सरकार इस संबंध में किसी योजना पर विचार करेगी?

श्री बनारसीदास——नये कारखाने और कायम करना नहीं चाहते हैं बल्कि हैंडलूम के द्वारा कपड़े की उत्पत्ति को बढ़ाना चाहते हैं जिससे प्रदेश की जनता की आवश्यकता की पूर्ति हो जायगी।

जिला बलिया के रतनपुर विकास क्षेत्र में चर्मकार्य का प्रसार

*३३--श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)--क्या यह सही है कि रतनपुर विकास क्षेत्र जिला बलिया में मृत पशुओं का चर्म निपुणरूपेण निकालने के हेतु एक प्रवीण कर्मचारी रखा गया है ?

श्री फूलसिंह--इस सामुदायिक विकास में ३ मास्टर फलेयर और ३ कामदार रख गये हैं।

*३४--श्री गंगाप्रसादसिंह--यदि हां, तो १९५४ में कितने मृत पशुओं के चर्म को निकाला गया है और कितने चर्मकारों को इसके संबंध में शिक्षा दी गई है और कहां-कहां ?

श्री फूलसिंह--१९५४ में १०२ मृत पशुओं के चर्म परिशिक्षिक के संबंध में प्रदर्शन हेतु निकाले गये थे। इस सिलसिले में कुल ९८ व्यक्तियों को उन्हीं के ग्रामों में शिक्षा दी गई ।

श्री गंगाप्रसादसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो चमड़ा मास्टर फलेअर्स रतनपुरा विकास क्षेत्र के शिक्षार्थियों द्वारा निकाला जाता है उसने पकवाने तथा टैंनिंग का कोई प्रबन्ध किया गया है ?

श्री फूलसिंह--फलेअर्स की स्कीम टैंनिंग से अलग है। गांवों में जिस तरह से चमड़ा पकाया जाता है वही होता है।

श्री हरिसिंह--चमड़ा निकालने की शिक्षा देने वाले व्यक्ति कौन थे और उन्होंने कहां काम सीखा था ?

श्री फूलसिंह--यह तो ब्योरा मेरे पास नहीं है, लेकिन यह कह सकता हूं कि वह चमड़े का काम जानते थे और बख्शी के तालाब पर उन्होंने ट्रेनिंग पाई होगी ।

*३५-३७--श्री विशनारायण (जिला बस्ती)--[२६ अगस्त, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ५९-६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

गोरखपुर जिले में हाथ नलों के लिये नियोजन विभाग द्वारा प्रदत्त धन

*३८--श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में पानी पीने वाले हाथ के पम्प लगाने के हेतु प्लानिंग विभाग द्वारा कितना रुपया दिया गया ?

श्री फूलसिंह--नियोजन विभाग द्वारा मार्च ३१, १९५५ तक १३,४१३ रुपया ८ आना दिया गया।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो नलकूप लगाये गये हैं वह किस साइज के हैं और किस रेट से खरीदे गये हैं ?

श्री फूलसिंह--यह काम जिला प्लानिंग कमेटी की मारफत होता है जिसके माननीय सदस्य मेम्बर हैं ?

*३९--श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मद से किस-किस गांव में पम्प लगे ?

श्री फूलसिंह--सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६१--६४ पर)

*४०—श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त धनराशि कब दी गई और उसमें से फरवरी, १९५५ तक कितना व्यय हुआ ?

श्री फूलसिंह—व्यय करने का आदेश जुलाई १९५४ में दिया गया और फरवरी तक २,३०३ रुपया व्यय हुआ।

आजमगढ़ जिले में तत्स्थानीय सब-रजिस्ट्रारों की नियुक्ति

*४१—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा कर बतायेंगी कि आजमगढ़ जिले में कितने सब-रजिस्ट्रार उसी जिले के निवासी होते हुये भी काम कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल—इस समय आजमगढ़ जिले में कोई भी ऐसा सब-रजिस्ट्रार काम नहीं कर रहा है जो कि उसी जिले का निवासी भी हो।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतायेंगे कि जब यह सवाल पूछा गया उस समय कोई आदमी आजमगढ़ जिले का उस पर काम कर रहा था ?

श्री गिरधारीलाल—इससे पहले वहां एक आदमी सब-रजिस्ट्रार के पद पर काम कर रहा था।

*४२—श्री विश्राम राय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि रजिस्ट्रेशन विभाग में सब-रजिस्ट्रार के मातहत उससे संबंधित व्यक्ति आजमगढ़ जिले में कार्य कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

आजमगढ़ जिले में बाहर के चीफ रजिस्ट्रेशन क्लर्क की नियुक्ति

*४३—श्री विश्राम राय—क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले में कोई बाहर से चीफ रजिस्ट्रेशन क्लर्क भेजे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। आजमगढ़ जिले के स्थायी चीफ रजिस्ट्रेशन लिपिक को अर्धसामयिक (part-time) सब-रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किये जाने के कारण एक योग्य और अनुभवी रजिस्ट्रेशन लिपिक को बाहर से स्थानान्तरित करके चीफ रजिस्ट्रेशन क्लर्क के पद पर अल्प समय के लिये नियुक्त किया गया है, क्योंकि इस प्रबन्ध के लिये कोई उचित लिपिक आजमगढ़ जिले में प्राप्त नहीं था।

कसिया, जिला देवरिया में कम्बल बुनाई का औद्योगिक शिक्षालय तथा शिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति

*४४—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुशीनगर (कसिया) देवरिया में कम्बल से संबंधित कताई-बुनाई का कार्य चल रहा है जिसमें शिक्षार्थियों को शिक्षा दी जाती है ? यदि हां, तो कितने शिक्षार्थी शिक्षा पा रहे हैं ?

श्री बनारसीदास—कसिया, जिला देवरिया में कम्बल बुनाई का औद्योगिक शिक्षालय चल रहा है और इस समय १६ शिक्षार्थी शिक्षा पा रहे हैं।

यहां पर कम्बल से संबंधित कताई का कोई कार्य नहीं चल रहा है।

*४५—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार कम्बल शिक्षा शिविर के शिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति देती हैं, यदि हां, तो कितनी ?

श्री बनारसीदास—जी हां। १६ शिक्षार्थियों में से ५ को १५ रु० मासिक के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जा रही है।

श्री रामसुभग वर्मा---श्रीमन्, मैं यह जानकारी करना चाहता हूं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कि इसमें यह पूछा गया था कि कताई-बुनाई का काम चल रहा है। मैं समझता हूं कि दूसरे पैराग्राफ में यह बताया गया है कि कम्बल से संबंधित कताई का काम नहीं चल रहा है और इसके दूसरे पैराग्राफ ४५ के जवाब में यह बताया गया है कि ५ शिक्षार्थियों को शिक्षा दी जाती है। तो इन दोनों सवालों में मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन सा सही है ?

श्री बनारसीदास---मुझे तो इन दोनों में कोई विरोध नहीं लगता है। उत्तर में साफ लिखा है कि बुनाई का उद्योग चल रहा है और उसके नीचे पैरा में लिखा है कि कताई का कार्य नहीं हो रहा है। ४५ के उत्तर में बताया गया है कि १६ शिक्षार्थियों में से ५ को १५ रुपया मासिक छात्रवृत्ति मिल रही है। इसमें विरोध का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रामसुभग वर्मा---कौन सा काम करने वालों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है ?

श्री बनारसीदास---बुनने वालों को।

श्री रामसुन्दर पांडेय---१६ छात्रों में से केवल ५ को ही छात्रवृत्ति क्यों दी जाती है ?

श्री बनारसी दास---इस प्रकार का बजट में कोई प्राविजन नहीं है कि सभी को मिले। यह रखा गया है कि कम से कम ५ को और अधिक से अधिक ५० प्रतिशत को और खासतौर से कारीगर लोगों के लड़कों को जिनका पुश्तैनी काम होता है उनको छात्रवृत्ति दी जाय। सबको देने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या ५ में से कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं मिली है ?

श्री बनारसीदास---ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि किसी को ५ में से न मिली हो।

प्रान्त में मलेरिया इन्स्पेक्टरों के स्थायी तथा अस्थायी पद

*४६---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रान्त में कितने मलेरिया इन्सपेक्टर हैं ? उनमें से कितनी पोस्ट स्थायी हैं और कितनी अस्थायी ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)---इस प्रांत में इस समय ७५ मलेरिया इन्सपेक्टर के स्थान हैं। इनमें से एक स्थान स्थायी और ७४ स्थान अस्थायी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अस्थायी इंस्पेक्टरों को कब तक स्थायी करने का सरकार का विचार है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---मलेरिया निरोधक योजना ही अस्थायी है, इसलिये इंस्पेक्टर भी अस्थायी हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---फिर जो स्थायी हैं उनको स्थायी क्यों बनाया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---१९५२ से पहले हमारे प्रदेश में जो मलेरिया निरोधक यूनिट था वह एक ललितपुर में और दूसरा नगीना में था। उनके इंस्पेक्टरों को पब्लिक सर्विस कमीशन ने छांटा था लेकिन उनमें से ४ ऐसे थे जो कालोनाइजेशन स्कीम में काम करते थे। कालोनाइजेशन ने उनको इस विभाग को नहीं दिया इसलिये एक ही इंस्पेक्टर की जगह स्था) हैडक्वार्टर में है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मलेरिया योजना को स्थायी करने का सरकार का विचार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---नहीं।

*४७-४८—श्री राजनारायण (जिला बनारस)—[९ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या १४-१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

भदौरा, जिला आजमगढ़ में अस्पताल की आवश्यकता

*४९—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार के पास आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के ग्राम भदौरा में एक अस्पताल खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र आया है ?

श्री बनारसीदास—जी हां ।

*५०—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार का विचार उक्त स्थान पर अस्पताल खोलने का है ?

श्री बनारसीदास—जिला परामर्शदात्री समिति की स्वीकृत आ जाने पर इस प्रश्न पर विचार होगा ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार को मालूम है कि भदौरा के आस-पास ७-८ मील तक कोई अस्पताल नहीं है ?

श्री बनारसीदास—जी हां, माननीय सदस्य का सुझाव आया है कि वहां एक अस्पताल कायम किया जाय ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या जिले की परामर्शदात्री समिति ने भदौरा में अस्पताल खोलने की सिफारिश की है ?

श्री बनारसीदास—अभी तक कोई सिफारिश सरकार के पास नहीं आई है ।

पिथौरागढ़, जिला अल्मोड़ा के गोदाम में विदेशों से मंगाया हुआ अन्न

*५१—श्री तेजप्रतापसिंह—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों से मंगाये गये अन्न की कितनी मात्रा अपने प्रदेश के किन-किन गोदामों में अब भी पड़ी हुई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—३१ जुलाई, १९५५ ई० को विदेशों से मंगाया गया अन्न केवल पिथौरागढ़, जिला अल्मोड़ा के गोदाम में था, जिसकी मात्रा ५,९४८ मन थी ।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पिथौरागढ़ में जो अन्न है वह किस काम के योग्य है और किस काम में लाया जा रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जिलाधीश अल्मोड़ा ने सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा था कि बरसात के दिनों में जिला अल्मोड़ा में पिथौरागड़ का जो हिस्सा है उसमें अन्न की कमी हो जाती है । इसलिये उसकी आवश्यकता है । जिलाधीश का यह प्रस्ताव इस्केअरसिटी विभाग के विचाराधीन है । उन्होंने प्रस्ताव यह भेजा था कि सितम्बर तक के लिये यह गल्ला रोका जाय ।

श्री तेजप्रतापसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि वह गल्ला किस काम के योग्य है ? वह खराब तो नहीं हो गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह जो गल्ला वहां रक्खा गया है वह वहां के लोगों को देने के लिये रक्खा गया है । वह खाने के योग्य है ?

श्री शिवनारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब वहां गल्ला बेकार पड़ा हुआ है तो उसको बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में क्यों नहीं भेजा दिया जाता ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—पहाड़ों से पूर्वी जिलों में भेजने में हजारों रुपया खर्च हो जायगा और वह बहुत महंगा हो जायगा इसलिये वहां से गल्ला भेजने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों से जो अन्न हमारे देश में आया है उसमें से कितना खराब हो गया और उससे कितनी हानि हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक हानि का प्रश्न है, हानि काफी हुई है । इस समय उसके आंकड़े तो नहीं बताये जा सकते, लेकिन यदि माननीय सदस्य सूचना देंगे तो अवश्य बता दिये जायेंगे ।

जिला अस्पताल, फैजाबाद की सलाहकार समिति की बैठकें

*५२—**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल फैजाबाद की सलाहकार समिति की १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ में कितनी बैठकें हुईं ?

श्री बनारसीदास—सन् १९५२-५३ में दो तथा १९५३-५४ में एक बैठक हुई । १९५४-५५ में कोई बैठक नहीं हुई ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी संबंधित अधिकारियों से यह दरियाफ्त करने की कृपा करेंगे इस सलाहकार समिति की इतनी कम बैठकें क्यों हुईं ?

श्री बनारसीदास—सिविल सर्जन की रिपोर्ट तो यह थी कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन उनको यह आदेश भेज दिये गये हैं कि कम से कम ३ महीने में एक बैठक अवश्य होनी चाहिये ।

जगदीशपुर शुगर मिल, कठकुइयां द्वारा गन्ने के मूल्य का भुगतान

*५३—**श्री रामसुभग वर्मा**—क्या यह सही है कि जगदीशपुर शुगर मिल कठकुइयां की चीनी जिलाधीश देवरिया के जप्त करने के कारण मजदूरों की मजदूरी तथा किसानों की गन्ने की कीमत समय से नहीं मिल रही है ?

श्री बनारसीदास—जी नहीं ।

सबसीडाइज्ड डिस्पेन्सरी के मेडिकल अफसरों की वेतन-वृद्धि का प्रश्न

*५४—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सब-सीडाइज्ड डिस्पेन्सरी के मेडिकल अफसरों का वेतन बढ़ाये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन कब से है ?

श्री बनारसीदास—लगभग तीन वर्षों से ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसका निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री बनारसीदास—इसके लिये एक सेलेक्शन किया गया है । निर्णय शीघ्र हो जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी मेडिकल आफीसरों और इन मेडिकल आफीसरों के वेतनक्रम में क्यों इतना अन्तर है ?

श्री बनारसीदास—इस सम्बन्ध में विभाग की तरफ से यह प्रश्न रक्खा गया था, लेकिन स्वशासन विभाग के इस प्रस्ताव के अनुसार जिला बोर्डों ने इस भार को वहन करने

में असमर्थता प्रकट की। लेकिन पहाड़ों के लिये डाक्टर नहीं मिलते हैं इसलिये फिर इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। उनकी तनख्वाहों में अलबत्ता अन्तर है। उसमें वृद्धि किये जाने के लिये विचार किया जा रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सबसीडाइज्ड डिस्पेंसरीज सरकार के अधिकार में हैं या डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् के ?

श्री बनारसीदास—जिला बोर्ड्स के अधिकार में हैं। सरकार उनको कंट्रीब्यूशन देती है।

सामूदायिक विकास योजना द्वारा अस्पतालों को सहायता

*५५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक विकास योजना द्वारा जिन अस्पतालों को सहायता मिलती रही है, क्या इस योजना के समाप्त हो जाने पर भी वह सहायता मिलती रहेगी ?

श्री बनारसीदास—जी हां।

जागीर जगम्मनपुर से प्राप्त इमारतों की मरम्मत

*५६—**राजा वीरेन्द्रशाह** (जिला जालौन)—क्या यह सही है कि जो तीन पक्की इमारतें जागीर जगम्मनपुर, जिला जालौन से राज्य सरकार को मिलीं उनकी मरम्मत आज तक नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

श्री बनारसीदास—तीन इमारतों में से केवल चिकित्सालय की इमारत इस विभाग के पास है। इसकी मरम्मत शीघ्र हो जायगी। शेष दो भवन जिला बोर्ड के प्रबन्ध में हैं।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इनकी मरम्मत क्यों नहीं की गयी, इसका क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—डाक्टर की तरफ से कोई मांग नहीं की गई कि मरम्मत के लिये रुपया चाहिये।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सरकारी अस्पतालों की जो इमारतें हैं उनकी मरम्मत किसकी सिफारिश से की जाती है ?

श्री बनारसीदास—इसके लिये वैसे मौजूदा बजट के अन्दर प्राविजन किया गया है, जहां-जहां आवश्यकता होती है और वहां से माँग की जाती है तो उसी के अनुसार रुपया स्वीकार किया जाता है और आवश्यकतानुसार मरम्मत करायी जाती है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जैसा अभी बतलाया गया कि जगम्मनपुर रियासत की नम्बर ३ की इमारत ऐसी है जिसकी मरम्मत की जरूरत है, तो क्या सरकार दो और इमारतों को लेने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास—इसका कोई प्रश्न नहीं है। सवाल यह है कि तीन इमारतें सरकार के पास हैं जिनमें से केवल एक स्वास्थ्य विभाग के पास है। दो इमारतें वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास हैं। एक के अन्दर जूनियर हाई स्कूल चल रहा है और एक के अन्दर प्राइमरी स्कूल चल रहा है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो इमारतें ली गई हैं उनके लिये सरकार को दाम देना पड़ा है अथवा वे मुफ्त में मिली हैं ?

श्री बनारसीदास—नहीं ! वे दानस्वरूप दी गयी हैं।

अतारांकित प्रश्न

सेल्फ हल्प योजना के अन्तर्गत हमीरपुर की सड़कों के निर्माण में सरकारी सहायता

१—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सेल्फ हेल्प योजना' (Self-help Scheme) के अनुसार जिला हमीरपुर की किन-किन सड़कों को सरकार बनाने में मदद दे रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सम्बन्ध में पूरी सूचना जिला नियोजन अधिकारी हमीरपुर से अभी प्राप्त नहीं हुई है । सरकार के पास जो सूचना उपलब्ध है उसकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६५ पर)

बाढ़ तथा कानपुर की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति व गोआकाण्ड के सम्बन्ध में विवादार्थ कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कुछ कामरोको प्रस्ताव आये हैं । एक श्री राजनारायण तथा श्री उमाशंकर जी का है बाढ़ के सम्बन्ध में, उससे जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उस पर विचार करने के लिए । यह विषय ऐसा है जो कि कार्य सूची में दिया हुआ है । जो प्रश्न आज विचार के लिये सामने आने वाला है यह उसको एन्टीसिपेट करता है । इसलिये मैं इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव की मंजूरी नहीं देता क्योंकि यह एन्टीसिपेट करता है ।

दूसरा कार्यस्थगन प्रस्ताव श्री राजवंशी राय का है, यह कानपुर के मजदूरों के सम्बन्ध में जो हड़ताल हुई और उससे जो परिणाम उत्पन्न हुये उस परिस्थिति पर विचार करने के लिए यह कामरोको प्रस्ताव आया है । हड़ताल समाप्त हो चुकी है और अभी उसके परिणामों पर कोई छानबीन या फैसला नहीं हुआ है, जब तक कि कोई फैसला इस विषय पर न हो कि किस तरह से क्या हो तब तक मैं समझता हूं कि कोई अरजेन्सी इस प्रकार विवाद की नहीं है, इसलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूं और इसकी इजाजत नहीं देता ।

तीसरा श्री झारखंडे राय का कामरोको प्रस्ताव है । वह गोआ में जो सत्याग्रह चल रहा है और उसमें जो अत्याचार शान्तिपूर्ण सत्याग्रहियों के प्रति हो रहा है उस सम्बन्ध में वाद-विवाद करने के लिये यह प्रस्ताव लाया गया है । वैसे इस सत्याग्रह का इस सरकार से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है और न उसकी जिम्मेदारी है, इसलिये कामरोको प्रस्ताव का यह विषय नहीं बन सकता और मुझे यह भी सूचना मिली है माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से कि यह गम्भीर विषय होने के कारण और यहां की जनता में अधिक उत्तेजना होने के कारण वे कुछ बयान और स्पष्टीकरण भी देंगे । जिनके ऊपर अत्याचार हुआ और जिनकी वहां मृत्यु हुई है उनके सम्बन्ध में शोक प्रस्ताव लाने का उनका विचार है, इसलिए ऐसी अवस्था में मैं इस विषय को भी विवाद के लिए उपस्थित करने की इजाजत नहीं देता हूं ।

इसी सम्बन्ध में श्री राजनारायण जी का भी प्रस्ताव है, उसके लिए भी वही निर्णय लागू है, यही मेरा निश्चय है ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—मेरा प्रस्ताव था, एडजर्नमेंट मोशन नहीं था ।

श्री अध्यक्ष—वह प्रस्ताव जो है, उसका अलग नियम असरकारी प्रस्ताव के सम्बन्ध में बना हुआ है ।

श्री राजनारायण—अगर वह मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव से मेल खाये तो वह मेरा प्रस्ताव कृपा करके देख लें ।

श्री चन्द्रभानुशरण सिंह तथा श्री हरिप्रसाद सत्यप्रेमी के निधन पर शोकोद्गार

† मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, इस पिछले सत्र की समाप्ति के बाद दो ऐसी घटनायें हुई हैं जिनके कारण कि मैं समझता हूं कि सभी सदस्यों को दुख होगा। हमारे प्रदेश के २ ऐसे कर्मठ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है जिनका कि इस सदन से ही काफी सम्बन्ध था।

एक तो श्री चन्द्रभानुशरणसिंह। वे गोंडा से इस सदन के सदस्य थे। अपने विद्यार्थी जीवन काल से ही वे सार्वजनिक प्रश्नों में दिलचस्पी लेते थे। और सन् १९३५ से तो खासतौर से वे सक्रिय कामों में लगे। दो-दो बार वे जेल भी जा चुके थे और सन् १९४२ के आन्दोलन के सिलसिले में तो उनको चार वर्ष तक जेल में रहना पड़ा था। जब सन् १९४६ में कांग्रेस गवर्नमेंट स्थापित हुई तब वे जेल से छोड़े गये। इस जेल की अवधि में ही उनके एकलौते जवान बेटे की मृत्यु हो गई। फिर भी जेल से आने के बाद वे सार्वजनिक सेवा से विरत नहीं हुये। जेल में ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ा उनकी आंतों में क्षय का आघात हुआ। वे काफी दिनों तक बीमार रहे और यहीं लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल में ३ अप्रैल को उनका देहान्त हो गया। इस समय उनकी आयु ४८ वर्ष की थी।

दूसरे कार्यकर्त्ता श्री सत्य प्रेमी जी थे। यों तो रहने वाले शाहजहांपुर के थे परन्तु सार्वजनिक कामों के सिलसिले में वे कई जिलों में काम कर चुके हैं और इधर कई वर्षों से उन्होंने बाराबंकी जिले को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। कई बार जेल जा चुके हैं। पिछली मरतबा इस सदन के सदस्य थे और अब आजकल विधान परिषद् के सदस्य रहे। उनकी उम्र ५२ वर्ष की थी और जिस परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई उससे हमारा शोक कुछ और बढ़ जाता है। उनकी लड़की का विवाह था। घर पर बारात आयी हुई थी। बारात की कुछ रस्में समाप्त हो चुकीं थी और कुछ बाकी थीं कि एकाएक उनके हृदय की धड़कन बन्द हो गयी और उनका देहान्त हो गया।

बहरहाल इन दोनों सज्जनों के देहान्त से न केवल उनके जिलों को बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम इतना ही कर सकते हैं कि परमात्मा से प्रार्थना करें कि उनको सद्गति प्रदान करे और आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि हम लोगों का जो शोक है वह उनके दुखित परिवारों तक आप कृपा करके पहुंचा दें।

(श्री राजनारायण तथा श्री गेंदासिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—यह शोक का प्रस्ताव है जो नेता सदन ने सदन के सामने रखा है। मैं इसके पेश्तर कि और लोगों को मौका दूं यह सूचना दे देना चाहता हूं कि मेरे पास अभी आध घंटा पहले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से एक पत्र आया है जिसमें कि १८ सदस्यों के दस्तखत हैं जिसमें लिखा है कि उन्होंने अपने नये नेता को चुन लिया है। और पुराने नेता नहीं रहे। उसके विरोध में श्री राजनारायण जी ने पहले ही मेरे पास एक पत्र भेजा था कि यह अवैधानिक कार्यवाही हुई। मैंने यह उचित नहीं समझा कि जिस वक्त हम लोग शोक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं उसी वक्त मैं कोई एकदम से फैसला दूं। इसलिये शोक प्रस्ताव जो उपस्थित हैं उन पर मैं श्री राजनारायण जी को भाषण करने का मौका दूंगा और श्री गेंदासिंह जी को भी जिनके लिये कहा जाता है कि वे प्रजा सोशलिस्ट दल के नये नेता चुने गये हैं, मौका दूंगा और इसके बाद बीच में जब रेसिस होगा उस वक्त मैं दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला इस विषय पर दूंगा। इसलिये मैं प्रथा के अनुसार अब इन दोनों व्यक्तियों को नेता की हैसियत से नहीं बल्कि सदन के प्रतिष्ठित सदस्यों के नाते बोलने का मौका दे दूंगा।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, श्री चन्द्रभानुशरण सिंह और श्री सत्यप्रेमी जिनका कार्य क्षेत्र गोंडा और बाराबंकी रहा है उनके निधन से जो अपार क्षति हुई है उससे हम सब लोगों को हार्दिक दुख है। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इन दो प्रमुख व्यक्तियों के निधन से केवल उनके काम करने के जिलों को ही नहीं, केवल प्रांत को ही नहीं बल्कि सारे देश को क्षति हुई है और हम भी अपनी भावनाओं को उनकी भावनाओं में मिलाते हुये अपने और अपने साथियों की समवेदना और सहानुभूति उनके कुटुम्ब और परिवार के साथ भेजना चाहते हैं और हम अपनी और अपने साथियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्रभानुशरण सिंह और सत्यप्रेमी जी इन दोनों व्यक्तियों की याद करके बहुत कष्ट होता है और जिस वक्त हम यह समझते हैं कि वे हमारे बीच में नहीं हैं तो हमको उनकी कमी बहुत खटकती है। जो लोग राष्ट्रीय आन्दोलन में हिस्सा लेकर देश को आजाद कराने में अपनी कुरबानी करने निकले और जिन्होंने शक्ति और व्यक्तित्व प्राप्त किया कुछ ऐसे स्कूल और मदरसे में तालीम मिल चुकी है कि जो स्कूल व मदरसे इस समय भारतवर्ष में नहीं हैं। ऐसे लोगों के निधन पर स्वभाविक तौर पर जिस तरह से कष्ट हो सकता है एक समाजसेवी को उसी तरह से हमको या हमारे दल के लोगों को उससे हार्दिक दुख होता है। हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम आपसे आग्रह करते हैं कि उनके परिवार को हमारी और हमारे दल की तरफ से आप समवेदना सूचित कर दें।

***श्री रणंजयसिंह** (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में जो शोक का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं भी उसके साथ अपनी सहमति प्रकट करता हूं अपने दल की ओर से। वास्तव में यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने कम समय में हमारे दो साथी, दो कार्यकर्त्ता इस देश से उठ गये। श्री चन्द्रभानु शरण सिंह जी और श्री सत्यप्रेमी जी के संबंध में अभी माननीय नेता सदन ने और प्रजा समाजवादी दल की ओर से जो कुछ कहा गया है उसी का समर्थन करते हुये मुझे भी कहना है कि वैसे तो साधारण वियोग ही बहुत खटकता है लेकिन जब अपना कोई साथी और देश का एक ऐसा सेवक संसार से उठ जाता है तो बड़ी चिन्ता होती है कि पुराने कार्यकर्त्ता जो थे उनके एवज में वैसे कार्यकर्त्ता उनके स्थान पर मिल सकेंगे या नहीं। सत्यप्रेमी जी जैसा कि उनका नाम सत्यप्रेमी था समाज सुधार पर उनकी एक पुस्तक थी उसको मैंने पढ़ा था और उसमें उन्होंने अपने विचार प्रकट किये थे और ऐसे विचारशील लोगों का अभाव बड़ा दुखद है। इसलिये मैं इन दोनों महानुभावों के संबंध में जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय जो शोक प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने उपस्थित किया है मैं उसके विषय में कुछ बोलना चाहता हूं ।

चन्द्रभानुशरण जी का और मेरा परिचय १९३६ से था, जब कि हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसियेशन जो कि एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, जिसके नेता सरकार भगतसिंह और आजाद थे, उसके पुनःसंगठन में हम लोग लगे हुये थे। उसके वे एक प्रमुख कार्यकर्त्ता और नेता की शक्ल में काम कर रहे थे। उनके इकलौते पुत्र को, जिस का जिक्र अभी मुख्य मंत्री जी ने किया, उसको बचपन में हम लोग प्यार से 'मजबूत' कहा करते थे। उनकी एकमात्र वही संतान थी। इतना होते हुये भी वे आजादी की लड़ाई में हमेशा आगे रहने के लिये सचेष्ट रहे। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में भी जब देवली कैम्प से लौट कर हम लोग आये थे, तब भी मुझे उन के साथ डेढ़ साल तक रहने का मौका मिला था। जेल के संकटों से कभी भी वह पीछे नहीं रहे। जेलखाने में बन्द रहने के कारण, खासकर लम्बे अर्से तक जहां तक मेरा खयाल है पांच वर्ष तक वे जेल के अन्दर बन्द रहे थे, तनहाई की हालत में कोठरी में बन्द रहने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था और उसके नतीजे से थोड़ी ही उम्र में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह मरे अन्यथा उनका स्वास्थ्य उस समय, मुझे याद है, बहुत रोबस्ट तरीके का था और हम सब लोगों में वे स्वस्थ और तगड़े माने जाते थे। लेकिन लम्बे जेलखाने की अवधि ने उनके स्वास्थ्य को चौपट कर दिया।

चन्द्रभानुशरण जी हमारे व्यक्तिगत मित्र थे और उनकी मृत्यु से आजादी के एक पुराने सिपाही के नाते ही हमें दुख नहीं है बल्कि एक व्यतिगत साथी और मित्र के नाते भी मुझे उन के निधन से दुख है।

जहांतक सत्यप्रेमी जी का सम्बध है, मेरा उनका व्यक्तिगत परिचय नहीं था। लेकिन मेरे परमप्रिय साथी रामानन्द जी जो कि १९४२ के आन्दोलन में काफी अरसे तक फरारी का जीवन व्यतीत कर के रह चुके हैं उन के जरिय से मुझे उन के गुणों और वीरता के विषय में खासकर १९४२ के आन्दोलन के सम्बन्ध में काफी जानकारी प्राप्त हुई।

इन दोनों पुराने नेताओं के निधन से हमारे प्रान्त की हानि हुई है और हम इतना ही कह सकते हैं कि जिन उद्देशों को लेकर वे जीवन भर काम करते रहे हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति के लिये हम सब लोग सचेष्ट रहें। यही उनकी सच्ची यादगार होगी। यही उनके प्रति वास्तविक श्रद्धांजलि होगी।

इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रति फिर एक बार अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित करता हुआ बैठता हूं।

श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मानना पड़ेगा--

"बिन अवसर जो अथौ दिनेसू,
कहु जग केहि नहि होय कलेसू।"

इस प्रकार के व्यक्ति जो कि देश के कल्याण में हाथ बटाते रहे हों, यदि उनकी असामयिक मृत्यु हो जाय तो शोक होना स्वाभाविक ही है।

हमारे शोक प्रस्ताव में दो महानुभाओं के निधन का उल्लेख है। माननीय चन्द्रभानु शरण सिंह जी और माननीय पंडित हरिप्रसाद सत्यप्रेमी जी एम०, एल०, सी०। ये दोनों महानुभाव देश के महान व्यक्तियों में से थे। पं० हरिप्रसाद सत्यप्रेमी जी को मैं बीस वर्ष से जानता हूं और मुझे २० साल से बराबर उनके साथ काम करने का मौका मिला। उनका जन्म शाहजहांनपुर में सम्वत् ६२, बैसाख शुक्लाष्टमी को हुआ था। १९२१ से वे राजनीति में आये और १९२९ से लेकर १९३८ तक वह बाराबंकी जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री और निर्वाचित सदस्य रहे। उनकी जो सेवायें हैं वे बाराबंकी के निवासी कभी भी नहीं भूल सकते। साथ ही साथ उनकी यह विषेशता थी कि जैसा उनका नाम था सत्यप्रेमी जी वैसे ही वे सत्य-निष्ठ थे। सत्यनिष्ठ होने के नाते से बाराबंकी जिले के निवासियों के वह एक प्रकार से प्राण थे। उनकी मृत्यु ऐसे समय पर हुई जब कि उनकी लड़की की शादी का शिष्टाचार हो गया था। हम लोग शिष्टाचार से जब लौटे तत्काल यह सूचना मिली कि पंडितजी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। मैंने फौरन डाक्टर को बुलाया, इंजक्शन दिया गया लेकिन वह १५ मिनट के बाद ही इस संसार से चले गये। उनका परिवार है, धर्मपत्नी है, एक लड़का है २०-२५ वर्ष का, २ लड़कियां हैं और तीन पोतियां हैं, एक पोता है, मैं अधिक न कहकर आप से निवेदन करूंगा कि मेरी ओर से और सदन के सदस्यों की ओर से उनके परिवार के प्रति समवेदना प्रकट की जाय और भगवान से प्रार्थना की जाय कि उन्हें वह सद्गति दे कि जो किसी वीर को ऐसे काम करने के बाद मिलती है और उनके परिवार को सांत्वना प्राप्त हो।

श्री अध्यक्ष—श्री चन्द्रभानुशरण सिंह तथा श्री हरिप्रसाद सत्यप्रेमी जी के स्वर्गवास पर जो नेता सदन ने शोक प्रस्ताव इस सदन के सामने उपस्थित किया और जो भावनायें सब सदस्यों की ओर से व्यक्त की गई हैं, उन से मैं भी अपने को संबद्ध करता हूं ।

श्री चन्द्रभानुशरण सिंह जी से मेरा थोड़ा सा परिचय रहा है लेकिन मैं उन्हें बहुत वर्षों से जानता रहा हूं। उनका संबंध पहले क्रांतिकारी दल से और तत्पश्चात कांग्रेस से रहा है और उसमें उन्होंने जो बलिदान, त्याग और देशप्रेम का आदर्श हमारे सामने रखा है उसको सदैव मैं सराहता रहा हूं। वह एक बहुत ही त्यागी कार्यकर्त्ता रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने अपने जीवन के अन्त तक अपने को देश कार्य में ही अर्पित कर दिया। जेलखाने में ही वह ऐसी भयंकर बीमारी से आहत हुये कि जिससे अन्त में उनका अन्त हुआ। हम सबको उनकी असामयिक मृत्यु पर दुख है और होना स्वाभाविक ही है ।

श्री हरिप्रसाद सत्यप्रेमी जी से मेरा विशेष परिचय रहा है और बाराबंकी कई दफा आने जाने पर मैं देखता था कि उनके प्रति कितनी श्रद्धा वहां के कार्यकर्त्ताओं की थी। वहां अगर किसी व्यक्ति के शब्द का वजन था, अगर किसी की बात सच्ची मानी जाती थी तो वह सत्यप्रेमी जी ही थे। जब वाकयात पर मतभेद हो तो सब लोग कहा करते थे कि उनसे पूछ लेना चाहिये वह कहें तो बात सही है। इतनी सत्यप्रियता उनमें रही कि कभी भी किसी भी विषय पर उन्होंने असत्य भाषण नहीं दिया। कोई विषय अगर उनके सामने आता तो वह निष्पक्षता से उसका निर्णय किया करते थे। ऐसे देशभक्त जो चरित्रवान भी हों और जिन्होंने अपना जीवन देश के लिये अर्पित किया हो उनके लिये इस सदन के हर सदस्य को जो दुख हुआ है वह स्वाभाविक ही है और मैं जो शोक और इस सदन में जो विचार प्रकट किये गये हैं उन्हें उनके कुटुम्बियों के पास इस सदन की ओर से और स्वयं अपनी ओर से समवेदना के साथ भेज दूंगा ।

अब उनकी आत्मा के प्रति शांति-प्रार्थना करने के लिये २ मिनट के लिये कृपा करके आप सब खड़े हो जायं ।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

गोआ हत्याकांड के वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि

†मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के उस हिस्से में जो इस वक्त दुर्भाग्य से पुर्तगाल के अधीन है कुछ दिनों से जो बातें हो रही हैं उनसे हम सब परिचित हैं, वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध केन्द्र और केन्द्रीय सरकार से है। इसलिये यह तो शायद उचित न होगा कि हम उस राजनीतिक प्रश्न पर यहां विस्तार से वाद-विवाद करें ।

दूसरी बात यह है कि हम सबों के हृदय में दुख है और क्रोध भी है और मैं नहीं चाहता कि हममें से किसी के मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाय जिसकी बाबत यह कहा जा सके कि उससे अन्तर्राष्ट्रीय बातों पर कोई बुरा प्रभाव पड़ा। फिर भी इतना तो निःसंकोच रूप से कहा जा सकता है कि गोआ, डामन और डिउ भारत के अंग हैं और अविभाज्य अंग हैं ।

(करतलध्वनि)

वहां के निवासी भारतीय हैं और भारत में मिलना चाहते हैं और किसी भी वर्ग का किसी भी दल का कोई भी भारतीय नहीं है जो कि इस बात को बर्दाश्त कर सके कि भारत का कोई छोटे से छोटा टुकड़ा भी किसी भी विदेशी सरकार के अधीन रहे ।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज से कुछ दिन पहले उन जगहों का प्रश्न था जो फ्रांस के शासन में थीं। फ्रांस ने बुद्धिमानी से काम लिया और फ्रांस और भारत के बीच का मसला शान्ती के साथ तय हो गया लेकिन पुर्तगाल उस प्रकार की बुद्धिमानी दिखलाने को तैयार नहीं है। पुर्तगाल की ताकत और अपनी ताकत को हम भी जानते हैं। यदि इस मसले को तलवार से तय करना होता तो हम यह भी जानते हैं कि आज पुर्तगाल का शासन उन जगहों में नहीं दीखपड़ता। लेकिन इस देश ने उस रास्ते को स्वीकार नहीं किया। हमको बहरहाल इस बात का विश्वास है कि भारत सरकार उन सब उचित उपायों से काम लेगी जिनसे कि यह मसला शीघ्र ही तय हो जाय। हम इतना ही कह सकते हैं कि जो भी कदम इस दिशा में भारत सरकार उठायेगी उसमें इस प्रदेश के लोगों का पूरा-पूरा साथ होगा और यदि उसके लिये किसी प्रकार के त्याग की, किसी प्रकार के बलिदान की आवश्यकता होगी तो यहां के लोग पूरे तौर से उसके लिये तैयार होंगे।

राजनीतिक प्रश्नों पर बहस न करते हुए भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी चर्चा करना आवश्यक है। १५ अगस्त को इन क्षेत्रों में जो कांड हुए उनसे हम सब क्षुब्ध हैं।

जब मैं कहता हूं 'हम सब' तो मेरा तात्पर्य केवल उन लोगों से नहीं है जो कि इस सदन के भीतर हैं बल्कि इस प्रदेश की उस सवा छः करोड़ जनता से है जिसकी आवाज हम लोगों के द्वारा सुन पड़ती है। हमारे सत्याग्रहियों ने गोआ और दूसरे स्थानों में डामन और ड्यू में प्रवेश करने का यत्न किया। वह नि:शस्त्र थे। उनके सामने पुर्तगाली फौज और पुर्तगाली पुलिस खड़ी थी। गोली चली, मशीनगनों से काम लिया गया। कितने आदमी मरे, ठीक ठीक नहीं मालूम, २९, ३०, ३१ इतनी संख्या तक आयी है, सम्भव है संख्या कुछ और बढ़ते बढ़ते बढ़ जाय। जो लोग मरे हैं उनमें कम से कम एक व्यक्ति तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी थे। जो नाम आये हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है। कुछ लोग गोलियों के शिकार हुए लेकिन अभी हमको इस बात का कुछ भी पता नहीं है कि गोली बन्दूक के अलावा और जो लाठी से प्रहार हुए, पुलिस के बैटन, छोटे छोटे डंडों से प्रहार हुए, उससे कितने लोगों के हाथ पांव टूटे, इसका कोई अन्दाज नहीं, मालूम नहीं कब इन सब बातों का पता लगे। यह सब बर्बर आचरण इन निहत्थे सत्याग्रहियों के ऊपर हुआ। इसकी जितनी भी निन्दा की जाय थोड़ी है। हम इतना ही इस समय कह सकते हैं कि इन शहीदों के पवित्र खून में वह अभिमानी साम्राज्यशाही खुद ही डूब जायगी जिसने इनके साथ ऐसा बेहूदा बर्ताव किया। इन लोगों के लिए, इन वीर पुरुषों के लिए हमारे हृदय में आदर है। इन्होंने जो काम किया है वह ऐसा है जिसका समर्थन हम सब लोगों के हृदय करते हैं।

अब इस समय तो हमारे पास और कोई उपाय नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय इसके कि परमात्मा से प्रार्थना करें कि इन लोगों को वह वीरगति प्रदान करे जो कि वीरों को प्राप्त होती रहती है। साथ ही इसके मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे अपने शोक को प्रगट करने का मौका दें जिस तरीके पर कि इस सदन में प्रायः लोगों की मृत्यु पर शोक प्रकट किया जाता है और उसके साथ मेरी आपसे यह भी प्रार्थना है कि उन लोगों की स्मृति में आध घंटे के लिए सदन का काम भी स्थगित कर दिया जाय।

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, माननीय मुख्य मन्त्री ने गोआ के सम्बन्ध में जिन भावों को व्यक्त किया, हमारे भी वही भाव हैं। सदन के सम्मानित सदस्य और आप इसे अच्छी प्रकार जानते होंगे कि जब हमने हिंदुस्तान से अंग्रेजी हुकूमत के खत्म करने का फैसला किया था और जब १९४२ में महात्मा गान्धी के नेतृत्व में क्विट इंडिया रिजोल्युशन पास हुआ था तो उस समय भारत के जो अविच्छिन्न अंग हैं, वहां के रहने वाली जनता के दिल में भी प्रसन्नता की लहरें उठी थीं और उनके दिल में भी वह भाव आये थे कि हिन्दुस्तान आजाद होगा, अंग्रेजी हुकुमत का खात्मा होगा, तो ये जो छोटी-छोटी विदेशी हुकूमतें हैं उनका भी खात्मा होगा, और हम भी भारत के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

साथ पूर्ण आजादी की अनुभूति करेंगे। श्रीमन, आपको यह भी मालूम होगा कि १८ जुलाई सन् १९४६ को डा०राममनोहर लोहिया के नेतृत्व में गोआ के निवासियों ने एक जनक्रान्ति का सूत्रपात किया था और जिसमें डा० राममनोहर लोहिया की गिरफ्तारी भी हुई थी। उस समय पूज्य बापू के जो उद्गार थे वह आज हमारे सामने प्रत्यक्ष हो गए हैं। उसी समय डा० राममनोहर लोहिया की गिरफ्तारी हुई थी गोआ के जनआन्दोलन का नेतृत्व करते समय गोआ को भारत में मिलाने के लिए। गोआ भारत का एक अविच्छिन्न अंग है, गोआ पर पुर्तगीज का शासन नहीं रह सकता, इन भावों को लेकर जब वहां आन्दोलन चला था और डा० लोहिया की गिरफ्तारी हुई थी तो महात्मा गान्धी ने बड़े बुलन्द शब्दों में यह कहा था कि डा०राममनोहर लोहिया की गिरफ्तारी जो गोआ में हुई है वह केवल डा०राममनोहर लोहिया की गिरफ्तारी नहीं है बल्कि भारत की प्रत्येक स्वतंत्र आत्मा की गिरफ्तारी है। यहां तक महात्मा गांधी ने कहा था श्रीमन्, कि डा० राममनोहर लोहिया कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। उनकी गिरफ्तारी सारे भारतवर्ष को चुनौती है और अगर पं० नेहरू की सरकार कुछ नहीं करती तो मैं अकेला भी कदम उठाने के लिये तैयार हूं। श्रीमन्, गोआ में १८ जून एक नेशनल डे, राष्ट्रीय दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष भी वहां उस दिन जनक्रांति का आह्वान हुआ, जन-क्रांति प्रस्फुटित हुई और तीव्र गति से चले, और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश में रहने वाली जनता की गोआ को स्वतंत्र करके भारत के अविच्छिन्न अंग के रूप में देखने वाले लोगों के साथ सहानुभूति हुई और भारत से भी बहुत से सत्याग्रही जाने के लिये तैयार हुये। श्रीमन्, मुझे आपको यह भी बताने में हर्ष हो रहा है जबकि हमारे एक साथी एन० जी० गोरे गोआ जाने के लिये तैयार हुये तो उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा था कि हम गोआ में जा रहे हैं, जो कुछ उसका परिणाम होगा वह देखा जायगा। हम समझते हैं कि हमारे जाने के बाद भारत की स्वतंत्र आत्मा किसी भी मानी में पीछे नहीं रहेगी और वह अपने को अग्रसर करने के लिये प्रयत्नशील रहेगी। ठीक है, जिस तरह से उन पर मार पड़ी, जिस तरीके से उनको घसीटा गया, यह सारी घटना हमारे सदन के सम्मानित सदस्यों को मालूम है।

मैं उस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि गोआ, डामन और ड्यू में जिस तरह से पुर्तगीज लोग वहां पर निरंकुश होकर सारी मान्यताओं को तिलांजलि देकर निर्दयता और बर्बरता के साथ निहत्थे सत्याग्रहियों पर गोली वर्षा कर रहे हैं, लाठी वर्षा कर रहे हैं और अन्य दूसरे हथियारों की वर्षा कर रहे हैं, तो मौखिक रूप में सहानुभूति शब्दों में नहीं रखनी चाहिये। मैं श्रीमन्, आपके सामने निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि गोआ का प्रश्न अब एक मानवता का प्रश्न बन गया है। राजनीतिक दायरे में जो उसका घेरा होता है, उसी में नहीं रह गया है। जब हम देखते हैं कि निहत्थे सत्याग्रहियों पर जो कि एक आदर्श को लेकर सत्याग्रह करते हैं। उसमें कोई षड़यंत्र नहीं है, कोई छिपी हुई बात नहीं है, तो उन पर अगर कोई भी शासन निर्दयता के साथ गोली वर्षा करता है, चाहे वह शासन दुनिया के किसी हिस्से में हो, उसका विरोध करना हमारा कर्त्तव्य है। हमने पूज्य बापू के चरणों में राजनीति सीखी है कि चाहे कहीं की और दुनिया के किसी कोने की हुकूमत हो और यदि वह बर्बरता के साथ निहत्थे लोगों पर गोली चलाती है तो उसके खिलाफ आवाज बुलन्द करनी चाहिये। मगर हमें इस बात का अवश्य दुख है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े दबे भावों और शब्दों में राजनीतिक विषय की चर्चा न करने की बात कही है, हम उनकी कठिनाइयों और दिक्कतों को जानते हैं, मगर उनको जानते हुये हम अपना कर्त्तव्य समझते हैं और कहना चाहते हैं कि क्या स्वतंत्र भारत की आत्मा जिसने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ कर लंडन में फेंका है, वह जब अपने भाइयों पर गोली वर्षा देखती है तो क्या स्वतंत्र भारत की आत्मा नहीं चिंघाड़ती और उनके साथ आगे आने के लिये तैयार नहीं रहती? जब हम परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुये थे तो हम बौद्धिक रूप से परतंत्र नहीं थे। लेकिन जब हम राजनीतिक तौर से स्वतंत्र हुये तो बौद्धिक रूप में परतंत्र होते चले जा रहे हैं? और श्रीमन्, बौद्धिक परतंत्रता, मैं दावे से कहना चाहता हूं कि किसी

भी राजनीतिक परतंत्रता से कई लाख गुनी ज्यादा मजबूत होती है। अगर बौद्धिक दृष्टि-कोण से भारत की आत्मा गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है तो वह अपनी स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकती है। मैं चाहता हूं कि उत्तर भारत का यह सदन देश से और देश की सरकार से बुलन्द शब्दों में कहे कि वह तेजी के साथ सक्रिय कदम उठाये और जो विदेशी शासक है उसकी हिम्मत न बढ़ाये कि आज के बाद एक भी गोली वर्षा करके हमारे बहादुर साथियों को मृत्यु के घाट उतारे। यह सत्य है कि वे वीर गति को, अमर गति को प्राप्त हो रहे हैं और उनके आदर्शों और कदमों पर चलकर हमारे देश के कितने ही नौजवान श्रद्धा के पात्र प्रस्तुत होंगे और हमने देखा भी है, न मालूम कितने शहीदों की चिताओं पर बराबर मेले लगते रहते हैं, लगा करेंगे। यह बात तो सत्य है, वे हमारी श्रद्धा के पात्र हैं, हम उनको अपनी श्रद्धाञ्जलि भेजते हैं और जितने सत्याग्रही भाग ले रहे हैं और जो भाग लेने वाले हैं, उनके प्रति प्रतिष्ठा और आदर प्रकट करते हैं और इस गम्भीर प्रश्न पर हमारे सदन के सम्मानित सदस्य अच्छे तरीके से विचार करें और हम तो यह चाहेंगे और मैं समझता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से यहां पर कोई ऐसा प्रस्ताव आता जो उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से एक स्वतंत्र और ऐसी कमेटी का निर्माण कराता और जनता की ओर से एक ऐसी आवाज बुलन्द कराता और उत्तर भारत की सरकार जो ९१ करोड़ का बजट लेकर चल रही है वह भी कहती कि गोआ में जो भी जन क्रान्ति हो रही है, जो भी सत्याग्रही उस पवित्र लक्ष्य को लेकर वहां गये उनके लक्ष्य की पूर्ति के लिये सक्रिय रूप में हम ये ये काम करेंगे, ये ये कदम उठायेंगे। और मैं चाहूंगा कि इस सदन के सम्मानित सदस्य जब यहां से निकलें तो इस पर विचार करें और माननीय मुख्य मंत्री जी ने आध घंटे की कोई परिपाटी की बात कही है मगर ऐसे प्रश्नों पर गम्भीरता के साथ विचार करने के लिये अगर दिन भर तक के लिये हाउस स्थगित कर दिया गया होता तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती, आध घंटे की क्या बात है। जरा उनसे पूछा जाय जिनके घरों में समाचार पत्र आते हैं कि तुम्हारा फलां सत्याग्रही गया था उसका निधन हो गया है। आज देश के कोने-कोने से पूछा जाय कि देश के कोने-कोने की जनता क्या कहती है। जनता इस बात को नहीं समझ पा रही है कि क्या हमारा वैदेशिक सम्बन्ध है, क्या अन्तर्राष्ट्रीय समस्या हमारे सामने खड़ी हो रही है जो आज हमारे मजबूत हाथों को पकड़ना चाहती है। आज देश की जनता इन बातों को नहीं समझ पा रही है .....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य प्रस्ताव पर ही सीमित रहें।

श्री राजनारायण—जी बिल्कुल। जनता तो आज देख रही है, गोआ की भी जनता अपने देश की भी जनता की ९ वर्ष भारत को स्वतंत्र हुये हो गये तो क्यों गोआ परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ा हुआ है, क्यों आज पुर्तगाली सरकार हमारे निहत्थे सत्याग्रहियों पर बर्बरतापूर्वक गोली चला रही है और क्यों नहीं केंद्र की सरकार, क्यों नहीं हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार क्योंकि अब यह केवल केन्द्र की सरकार का विषय नहीं माना जा सकता जब कि उत्तर प्रदेश के सत्याग्रही उसमें भाग ले रहे हैं, इस विषय में कोई सक्रिय कदम उठा रही है? मैंने पहले ही निवेदन किया है कि यह एक मानवता का सवाल है, बनारस के, मिर्जापुर के, इटावा के लोग उसमें भाग ले रहे हैं और हमारे सत्याग्रहियों के ऊपर बर्बरता के साथ गोलियों की वर्षा हो रही है तो इस सवाल को क्या हम मानें कि बड़ी भारी राजनैतिक पेचीदगी है, आखिर यह सवाल बनारस का भी है, इलाहाबाद का भी है, हर जन का यह सवाल है, जब मानवता का स्रोत सूख रहा हो, जब जिन्दगी का चिराग बुझ रहा हो उस समय हमारे सामने राजनीतिक पेचीदगी, विदेशी समस्या आदि आदि बातें कहकर वस्तुस्थिति पर पर्दा नहीं डालना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह हमारी कमजोरी है, हमारी नपुंसकता है कि हम केवल शब्दों में प्रस्ताव पास करते हैं और सक्रिय रूप में वहां जाने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से गोआ में विदेशी और बर्बर हुकूमत को खत्म करने के लिये जो भी क़दम उठाया जायगा उसका हम स्वागत करेंगे और जितनी ही जल्दी इस समस्या को हल करने की कोशिश की जायगी उतनी ही जल्दी वह सुलझेगी और जितनी ही देर

[श्री राजनारायण]

इसके सुलझाने में की जायगी उतनी ही वहां की परिस्थिति गम्भीर होती जायगी , हमारे न मालूम कितने नौनिहाल, न मालूम कितने हीरे, हमसे छिन जायंगे। हम चाहते हैं कि हमारे देश का एक भी हीरा, हमारे देश का एक भी लाल आज न लुटे और जब हमारे देश का हीरा लुटता है, हमारे देश का लाल लुटता है, एक एक करके ३०–३०, ४०–४०, ५०–५० लाल लुटते हैं तो इसके लिये हम कलंकित हैं। भारत की सरकार कलंकित है, उत्तर प्रदेश की सरकार कलंकित है। इन शब्दों के साथ, श्रीमन्, मैं आप से फिर प्रार्थना करना चाहूंगा कि सरकार बिलकुल निष्क्रिय तरीके से काम कर रही है और जो उचित कदम उसे उठाना चाहिये उसे नहीं उठा रही है। यह आज का सवाल नहीं है, यह सन् १९४६ का चला हुआ सवाल है।१९४६ में जब बापू ने जनता की आवाज बुलन्द की थी तो उसको हम क्यों नहीं पकड़ते, उसकी कद्र क्यों नहीं करते और उसको मूर्तिमान स्वरूप में प्रकट क्यों नहीं करते। अगर हम इसको मूर्तिमान स्वरूप में प्रकट करेंगे तो मैं यह कहना चाहूंगा और माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यदि वह ऐसे समय में अन्तर्राष्ट्रीय पोथी खोलेंगे तो ठीक नहीं होगा। मुख्य मंत्री जी ने जो भाव व्यक्त किये हैं वह कुछ और थे। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह साहस के साथ आगे बढ़ें और किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये और किसी पवित्र लक्ष्य को हासिल करने के लिये यदि उनको मुख्य मंत्री का पद छोड़ना पड़े तो वह उसको छोड़ कर आगे बढ़ें। श्रीमन्, किसी भी परिस्थिति में.....

श्री अध्यक्ष—कृपया शोक प्रस्ताव की सीमा के अन्दर ही रहिये।

श्री राजनारायण—इसलिये मैंने जो प्रस्ताव लिखित रखा था उसमें हमारी यह भावना सक्रिय रूप में थी। उन्होंने जिन भावनाओं को अपने शब्दों में व्यक्त किया है वह अधूरी रह जाती है। हम चाहते हैं कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी सत्याग्रह को लीड करें और हम लोग उनके साथ हैं मगर अब मौखिक सहानुभूति न दिखाकर सक्रिय रूप से गोआ, डामन ड्यू से विदेशी शासन को खत्म करने के लिये हमें अग्रसर होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने उन साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो वीर, बहादुर, त्यागी तथा बलिदानी आज सत्याग्रह के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, उनके लिये अपनी सहानुभूति, सराहना और आदर प्रकट करता हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि शोक प्रस्ताव जिस समय उपस्थित होता है तो इस बात की अपेक्षा की जाती है कि एक विशेष प्रकार का गम्भीर वातावरण रखा जाय। यदि उसके ऊपर विचार करने में राजनीतिक प्रश्न लाया जाय और किसी तरीके पर भारतीय सरकार की नीति पर आक्षेप करने का मौका और जवाब दिया जाय तो सारी गम्भीरता नष्ट हो जायगी। मैं चाहता हूं कि इस बात का ध्यान रखा जाय कि हमारे सामने देश के उन बहादुरों के सम्बन्ध में शोक प्रकट करने का प्रस्ताव है इसलिये इसको राजनीतिक अखाड़ा न बनाया जाय।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य जो कुछ भी उन्होंने गोआ के सम्बन्ध में दिया, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं और यह बड़े विषाद और विस्मय की बात है कि भारतवर्ष जो सारे संसार में शांति-दूत होने का दावा कर सकता है और उसे इस तरह की ख्याति प्राप्त हो रही है, उसकी भूमि पर इस तरह की जंगली हरकत हो, यह जंगली हरकत जिन लोगों के जरिये हो रही है, मैं समझता हूं कि भारतीय सरकार की शक्ति के मुकाबले में उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है। वह कुछ इस तरह की बात सोचते हैं कि भारतीय सरकार से ऐसी कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चीज करायें जो सारे संसार में भारतीय सरकार को या हिन्दुस्तान को बदनाम करने का उनको मौका मिल सके।

मैं समझता हूं कि भारतीय सरकार इस पर गम्भीरता से सोचेगी। हम भी गम्भीरता-पूर्वक सोचते हैं। यह प्रश्न बहुत गम्भीर है और हम इसको उतनी ही गम्भीरता देना चाहते हैं। हम गोआ में अपने उन शहीदों के प्रति जो कल या आज भी शहीद हो रहे हैं, उनकी स्मृति से, उनकी याद से हम घबराते हैं। हम समझते हैं कि आज जो हमारे भाई उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष के जाकर के अपनी जान की बाजी लगाते हैं और उनके भीतर कैसी आग है। तो इन बातों को समझते हुये और पुर्तगाल की सरकार की सारी हरकतों को देखते हुये हमारे मन में भी कभी कभी बड़ा क्रोध आता है। हम सभी सोचते हैं कि वहां की सरकार की तरफ से इस तरह की बेजा हरकतें हों और उन हरकतों को इस कदर हम बरदाश्त करते रहें यह बहुत बुरी बात है। लेकिन क्रोध और आवेश के साथ हमको फिर विवेक से भी काम लेना पड़ता है। हमारी पुरानी परम्परा और आज की भी घोषित नीति हमको बाध्य करती है कि हम ऐसे ही तरीके अख्तियार करें कि जो हमारी पुरानी परम्परा है और जो हमारी घोषित नीति है उससे हम विचलित न हो जायं।

इस अवसर पर मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश का भारत-वर्ष में एक महत्वपूर्ण स्थान है। पुर्तगाल की सरकार की जंगली हरकतों को देखकर हमको कुछ परेशानी होती है। आखिर उन जंगली हरकतों का क्या इलाज हो इस बात पर हमें जरूर सोचना चाहिये। हमारे निहत्थे भाई, जिनके ऊपर हाथ भी नहीं लगाना चाहिये और जिनको मन से भी गाली नहीं देना चाहिये उनके ऊपर गोली चलती है और मशीनगन चलती है। हमारे देश में महिलाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उनके प्रति एक आदर की भावना सब के मन में रहती है। कम से कम उनके प्रति हाथ न उठानें की परम्परा हमारे भारतवर्ष में रही है। सुभद्रा सागर जैसी वीर महिला के ऊपर जब कि वह केवल झंडा लेकर उस टेरेटरी में चल रही थीं उस महिला के ऊपर भी उनको गोली और मशीन गन चलाने से लज्जा नहीं आयी, बल्कि वह इस बात से शरमाते भी नहीं हैं। तो फिर ऐसी अवस्था में हमें बड़ी परेशानी होती है कि आखिर उनकी इन जंगली हरकतों का इलाज क्या करें। हमको यह जरूर याद पड़ता है कि जो महात्मा गांधी ने कहा था। जिस समय पोलैण्ड की लड़ाई चल रही थी तो उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम इस समस्या को अहिंसा का कदम उठाकर भी हल कर सकते हैं। लेकिन सन् १९४२ में आस्ट्रेलिया के कुछ सिपाहियों ने बम्बई में महिलाओं के ऊपर हाथ उठाना शुरू किया था तो उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि मेयर को चाहिये कि वह इसका इलाज करने में हिंसा न समझे। उनको कोई हाथ से पकड़ ले या उनको अपने काबू में कर ले तो इसमें क्या क्या बात आ सकती है। उस को तब महात्मा गांधी जी ने हिंसा बतलाया था। इस अवसर पर मैं कुछ ज्यादा न कह कर जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया पेचीदगी नहीं बढ़ाना चाहता हूं किन्तु इस विशेष प्रश्न पर इस मसले पर गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये कि आखिर इन जंगली हरकतों का, इस प्रकार की बर्बरता का क्या उपाय करें। मैं इस समय कुछ भी कहने के लिये तैयार नहीं हूं और न इस समय मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात है कि जिसके ऊपर मैं यहां पर कोई राय दूं और जिस पर विचार किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सभी साथियों की तरफ से उन वीर शहीदों के प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूं। न मालूम कितने आदमी किस जगह भेजे जाते हैं या उनकी लाश भेजी जाती है यह नहीं कहा जा सकता है। अखबारों में कुछ थोड़ी संख्या देखने में आती है उन सभी के प्रति हमारी गहरी श्रद्धा है और हम जरूर आप से यह भी आग्रह करेंगे कि उन सभी लोगों के परिवार के प्रति, हालांकि हम भी अपने को उनके परिवार का ही मानते हैं, हमारी समवेदना है, और उनके परिवार के लोगों तक हमारी समवेदना पहुंचाई जाय। उन लोगों ने जिस वीरता का परिचय दिया है वह सराह-नीय है और उसकी जितनी प्रशंसा की जाय वह थोड़ी है। वह किसी एक दल का कार्य नहीं

[श्री गेंदासिंह]

है। भारतवर्ष के सब लोगों ने एक स्वर से उसमें साथ दिया है। हम इतना ही कहेंगे कि गोआ को पुर्तगाल के हाथ में कुछ दिनों के बाद देखा नहीं जा सकता। हमारा विश्वास है कि गोआ अधिक दिनों तक उनके हाथ में नहीं रह सकता। इन शब्दों के साथ मैं अपने वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप से, अध्यक्ष महोदय, आग्रह करता हूं कि आप हमारी तरफ से उनके परिवार को सूचित करें।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह बहुत ही शोक का विषय है कि आज हम भारतवासियों को गाजर और मूली की भांति कतरा जा रहा है। इस अवसर पर अपने अधिकारियों की रक्षा के लिये जो वीर लोग गोआ में गये हैं और वीरगति को प्राप्त हुये हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि तो बारम्बार सबकी ओर से अर्पित होगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है मैं उसके साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं। हम सभी दुखित हैं यह कोई साधारण बात नहीं है कि एक छोटा सा राष्ट्र जिसके शासन को छीनने के लिये नहीं, बल्कि अपने अधिकारों को मांगने के लिये यह कहने के लिये कि वहां के निवासियों को शासन का अधिकार दिया जाय, हमारे वीर लोगों को वे इस प्रकार भूनें। हमारे देश के लोगों को चने की भांति वे लोग पुर्तगाल वाले भून रहे हैं। पुर्तगाल वाले ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जो इस छोटे से पुर्तगाल का नाश करके रहेगी। इस समय हम सबको बहुत संयम से काम लेना है लेकिन मैं तो इस बात के लिये चिन्तित हूं कि धीरे धीरे सारे भारत वर्ष में जो इस बारे में आग लग रही है उसका परिणाम क्या होगा। चीन में आप को मालूम होगा कि एक पादरी की हत्या के बारे में कितनी भयानक परिस्थिति वहां उत्पन्न हो गई थी। सन् १९१९ की बात है कि इंगलैन्ड विश्व महायुद्ध से थका हुआ था लेकिन जिस समय अफ़गानिस्तान में एक अंग्रेज महिला को अपमानित किया गया उस समय तमाम इंगलैन्ड अफगानिस्तान से बदला लेने के लिये तैयार हो गया था। इसी प्रकार गोआ वाले हमारी बहनों, बेटियों और माताओं के साथ यदि अत्याचार करेंगे तो उस "पिट्ठी न पिट्ठी के शोरवे" राष्ट्र के लिये यह बहुत ही घातक सिद्ध होगा। इसका उदाहरण संसार में कदाचित् ही दूसरा मिलेगा कि जितना अन्याय गोआ वाले हमारे निहत्थे भाई लोगों के साथ कर रहे हैं। निःशस्त्र सत्याग्रहियों पर एकदम से गोली चलाई गई। जिस प्रकार से शिकार करने वाले पशु-पक्षियों का शिकार करते हैं उसी तरह गोआ में मानव-जाति पर प्रहार हो रहा है। इस शोक के समय में मैं तो यही कहूंगा कि हमको बारम्बार यह सोचते हुये कि हमारे निहत्थे भाइयों ने देश के लिये जो उत्तम उदाहरण पेश किया है और इस प्रकार से उन्होंने गोआ निवासियों का साथ दिया है, वे भी हमारे भाई हैं। यह तो देश के नेता भी मानते हैं कि गोआ भी भारत का एक अंग ही है, वह भारत से अलग नहीं है। प्राचीन समय में अंग्रेजों और फ्रान्सीसी आदि ने हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करके अपना अधिकार जमाया था लेकिन अब समय आ गया है कि वह सब स्वतंत्र हों और गोआ को भी हमारे अधिकार में ही दिया जाय, जालेकिन जब इस अधिकार की मांग की जाती है तो गोलियां चलायी जाती हैं डण्डे चलाये जाते हैं। इस अत्याचार के लिये जितनी भी निन्दा की जाय वह कम ही है। ऐसे समय में मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि यह बड़े भारी शोक का अवसर है और इससे हमारे देश की तमाम जनता क्षुब्ध है और दुखित है, ऐसे समय में उन्होंने जो प्रस्ताव रक्खा है कि यह सदन आधे घंटे के लिये स्थगित किया जाय, इतना ही नहीं मैं तो चाहता हूं कि हमें तो इतना हार्दिक दुख है कि उसके लिये सारे दिन के लिये सदन को स्थगित किया जाय। यह अत्याचार इतना जघन्य है कि उसके प्रतिकार के लिये हृदय में बड़ा आवेश है, फिर भी मैं चाहता हूं कि संयम से काम लिया जाय और हमारे नेताओं का जो आदेश हो उसका पालन करने के लिये तैयार रहें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता

हूं कि जो लोग वीरगति को प्राप्त हुये हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले और जिस कार्य के लिये उन्होंने अपना बलिदान किया है वह सफल हो।

श्री अध्यक्ष—गोआ के सत्याग्रह के सम्बन्ध में और वहां के सत्याग्रहियों के बलिदान के सम्बन्ध में जो विचार माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के सामने रखे हैं, उनसे मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। यह प्रश्न राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, मानवता की दृष्टि से भी परखा जा सकता है और जो व्यवहार आजकल के युग में साधारण मनुष्य करते हैं, उस कसौटी पर भी कसा जा सकता है। किसी भी दृष्टि से हम देखें तो निहत्थे व्यक्तियों पर आजकल के युग में गोली चला देना और इस तरह के अत्याचार करना, मनुष्यता के विपरीत और बर्बरता ही कहा जायेगा। यह राक्षसी प्रवृत्ति का ही प्रदर्शन है।

जहां तक पुर्तगालियों का संबंध है, मैं उनके पिछले इतिहास की तरफ अवश्य इशारा कर देना चाहता हूं क्योंकि मेरा भी दिल भरा हुआ है, क्रोध भी है, दुःख भी बहुत है, लेकिन अनुशासित है। मैं केवल इशारा करने के लिये ही इतिहास बता रहा हूं। गोआ, यह प्रथम उन स्थानों में से है जो विदेशियों के हाथ लगे और पुर्तगाल प्रथम योरोपियन शक्तियों में से है जो इस देश में आई, लेकिन उसके पैर इस देश में अधिक जमने न पाये और उसका कारण अत्याचार ही है। उस जमाने से ही इन लोगों की यह वृत्ति रही है। लोगों पर अत्याचार करके, धर्म परिवर्तन कराना, धोखा देकर धर्म परिवर्तन करना, कुएं में गोमांस डाल कर कह देना कि लोगों ने उसे खा पी लिया है इसलिये वे क्रिश्चियन हो गये। इस प्रकार धर्म प्रचार उन्होंने किया था। यद्यपि ईसामसीह का नाम अहिंसा के उस पुजारी का नाम, उस अवतारी पुरुष का नाम वे लेते थे लेकिन कृत्य यही रहे। यही कारण था कि उनके पास केवल गोआ, डामन और ड्यू तीन ही स्थान बाकी रहे और इस देश में उनको कोई चौथा स्थान नहीं प्राप्त हो सका। तो इस इतिहास को देखते हुये हम उनसे विशेष आशा नहीं कर सकते। फ्रांस ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र जो है उसमें जनतांत्रिक शासन पद्धति का कुछ अंश होने के कारण वह मान गया, अंग्रेज भी इस देश को छोड़ कर चले गये, लेकिन जहां अभी सामन्तशाही है और जहां किसी स्थान को एक प्राइवेट प्रापर्टी की तरह से देखा जाता है वह वहां की जनता को भी, वहां क्या आशा हो सकती है। यह तो हमें मालूम है जैसा उनका प्रण है कि वे उसको अपनी जायदाद समझते हैं जो उन्हें बख्शीश में मिली है या दान में मिली है उससे वे अन्त तक चिपटे रहेंगे। तो हमारा भी यह प्रण है कि शान्तिमय ढंग से जैसे हमने स्वराज्य लिया उसी तरह से इसको भी आजाद कर लेंगे और शांति का संदेश जो हमारे देश का बाना है उसे हम दुनियां को देंगे। हमारे नेता दुनियां भर में उसका प्रचार कर रहे हैं, शांति से विश्वशांति के लिये लड़ाई लड़ रहे हैं, शान्तिमय तरीके से काम करने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ऐसे अवसर पर हमको बहुत अनुशासित रहने की आवश्यकता है। क्रोध है, आवेश है, बहुत दुःख है तो क्या हम अपने ही नेता के ऊपर आक्षेप करें? इस दौरान में उस नेता ने हमारे देश को ऊंचा उठाया है, शान्ति के सबक को दुनिया को देकर तथा दूसरे प्रकार से और उससे हमने लाभ उठाया है। अब अगर उतावलेपन में आकर हम उसको कह दें कि तुम अपने सिद्धांत को छोड़ दो, तो यह हमारे लिये कहां तक उचित होगा। मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं कहता हूं, मैं तो उस मानवता की दृष्टि से कहता हूं कि शांति का वातावरण दुनिया में हमने जो फैलाया है उसे कायम रखना हमारा कर्त्तव्य है और उसके ऊपर ही अटल रह कर हमें काम करना है। इस दृष्टि से दुनिया हमें देखती है और उसी कसौटी पर हम कसे जा रहे हैं। आज तो बहुत से लोग शांति की बात को सामने रखते हैं और वे शांतिमय सत्याग्रह को कमजोरों का हथियार समझते हैं। वे कहते हैं कि जब हमारे हाथ में हथियार नहीं थे, कोई ताकत नहीं थी तो हम कुछ कर नहीं सकते थे सिवा इसके कि सत्याग्रह करते, अब शस्त्र हैं तो उसका उपयोग करें। लेकिन गांधी जी सन्देश दिया करते थे और कहते थे कि मजबूत और शक्तिशाली के लिये

[श्री अध्यक्ष]

ही सत्याग्रह और अहिंसा श्रेष्ठ है कमजोरों के लिये अहिंसा नहीं है। वे सच्चे अहिंसक की कसौटी यह समझते थे कि जो शक्ति के होते हुये भी हिंसा न करें। इस कसौटी पर हम परमात्मा के सामने कम से कम जरूर परीक्षा के लिये खड़े हैं, हमें सिद्ध करना है कि हम सच्चे अहिंसक हैं, कोई बनावटी नहीं हैं। यह बात भी हमारे नेता के हृदय में आती है और बार बार उन्होंने इस ओर इशारा भी किया है कि यदि शस्त्र का उपयोग करेंगे तो दुनिय हमारे लिये यह बात कहेगी कि हमने अहिंसा को छोड़ दिया है। मैं लाचारी वश अहिंसा को अपनाने की बात नहीं कह रहा हूं बल्कि अपनी शक्ति में हमको पूरा विश्वास है और इसी कारण शक्ति होने पर भी अहिंसा पर अटल हम रह सकते हैं या नहीं इसकी हमारी परीक्षा है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हमने अंग्रेजी राज्य के मुकाबले में सत्याग्रह किया और यह किसी को मालूम नहीं था कि इस तरह से स्वराज्य मिल जायगा, बहुत से लोग उतावले होकर उस समय में भी हिंसा की तरफ दौड़ पड़े उस प्रकार उतावलेपन की अब आवश्यकता नहीं है। आज हमारा देश पहले से बहुत शक्तिशाली है और इसीलिये मेरा पूर्ण विश्वास है कि अहिंसा हमको अवश्य सफलता दिलावेगी। इसलिये हमको शांति से रहना आवश्यक है क्योंकि हम कसौटी पर कसे जा रहे हैं, आज हमारी परीक्षा है और हमारे सत्याग्रहियों की परीक्षा है। अगर हम गलत तौर से हिंसात्मक ढंग से गोआ में प्रवेश करें तो उनके बलिदानों की कोई वकत नहीं होगी जो कि वे बलिदान दे रहे हैं। अपने विरोधी के प्रति क्रोध न करे, द्वेष न रखे और और कुरबानी करता रहे, यही एक सच्चे सत्याग्रही का अर्थ है। इसी प्रकार वे सत्याग्रह कर रहे हैं।

तो उसी भाव से हम उनकी सराहना करें मैं भी आप के साथ उनको बधाई भेज दूंगा कि वह गोलियों के सामने शांत रहें, कितने ही बर्बरता के रूप से स्त्रियों पर अत्याचार हुए, यहां तक कि वहां से रेलवे के टनल से पास होते हुये लोगों पर गोलियां चलाई गईं लेकिन एक भी उदाहरण हिंसा का, प्रतिकार का उनके कार्य में नहीं मिला। इसलिये हम उनको हृदय से बधाई दें, यह सदन दे, यह उचित ही है और जिन सत्य ग्रहियों का वहां बलिदान हो गया और स्वर्गवासी हुये वह सदा हमारे देश के अमर शहीद रहेंगे, उनके प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके कुटुम्बियों तक अपनी भावनाओं को भेजना उचित समझते हैं। जो प्रस्ताव नेता सदन ने प्रस्तुत किया है उसके साथ संबंधित होते हुए, मैं उस प्रस्ताव को जहां पर भेजना आवश्यक है वहां भेज दूंगा. जिस से कि वह उनके कुटुम्बियों के पास पहुंच सके और जो विचार इस सम्बंध में प्रकट किये गए हैं और जो कदम हमारी केन्द्रीय सरकार इस विषय में उठाएगी उस के साथ हमारा प्रदेश भी रहेगा। यह भी भावना मैं केन्द्रीय सरकार के पास भेज दूंगा कि उनके हर कदम कदम में चाहे सख्त से सख्त हो चाहे मुलायम हो, हर कदम में हम उनके साथ होंगे। यह भी भावना हमारी ओर से वहां जायेगी। इसके पश्चात मैं यह प्रर्थना करूंगा कि उन सत्य ग्रहियों की मृत्यु पर उनकी आत्मा की शांति के लिये २ मिनट के लिये खड़े होकर सदन अपनी भावना को प्रकट करे और श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(इस के उपरांत सब सदस्य २ मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष—अभी जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने....

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, आपको ज्ञात होगा कि इस सदन के एक आदरणीय सदस्य माननीय जगन्नाथ सिंह, जो बलिया से आते हैं गोआ में इस प्रदेश की ओर से नेतृत्व कर रहे हैं। टाइम्स आफ इंडिया में छपा है कि वह वहां घायल हो गये हैं मैं समझता हूं कि सदन के सदस्यों की राय होगी कि सरकार उन की कुशल के बारे में सदन को जानकारी कराये। इसलिये अगर सरकार को जानकारी हो तो सदन को सूचना दी जाय, क्योंकि हमें उनके स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बंध में अभी हमें कोई सूचना नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ सूचना हमें मिलेगी वह सदन के सामने रख दी जायेगी।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—अध्यक्ष महोदय, यह जो शोक उद्गार किये गये हैं और यह जो प्रस्ताव है उस में इतना और जोड़ दिया जाय कि यह सदन भगवान से प्रार्थना करता है कि पुर्तगालियों को सदबुद्धि प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष—जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुझाव दिया कि शहीद सत्याग्रहियों के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिये हम आधा घंटे के लिये सदन को स्थगित करें तो आधा घंटे के लिये सदन अब स्थगित होता है और एक घंटा बीच में रेसेस का वक्त होगा इस लिये २ बजकर ३५ मिनट पर हम फिर बैठेंगें।

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ३५ मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण के स्थान पर श्री गेंदासिंह के नेता विरोधी दल चुने जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। सबेरे मैंने यह कहा था कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने मेरे पास अपनी पार्टी की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा और जो प्रस्ताव उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से पेश किया वह यह है कि उनके यहां चुनाव हुआ और चुनाव होकर श्री गेंदासिंह उनकी पार्टी के नेता चुने गये, उपनेता श्री मदनमोहन उपाध्याय, मंत्री श्री नारायणदत्त तिवारी, प्रधान सचेतक श्री जगन्नाथ मल्ल और सहायक सचेतक श्री रामसुभग वर्मा। इसके ऊपर १८ सदस्यों के दस्तखत हैं। उनकी पार्टी २६ सदस्यों की थी, २६ में से १८ के दस्तखत थे। उस के बाद ४ सदस्यों के और दस्तखत हुये। जो बाद में आये। चार सदस्यों ने लिखा है कि जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उससे वे सहमत हैं। इस तरह २२ सदस्यों के २६ में से दस्तखत हैं। इस पर श्री राजन रायण जी ने मुझ से यह कहा था कि "मैं कुछ कहना चाहता हूं इस विषय के सम्बंध में क्यों कि वह बैठक अवैधानिक हुई थी जिसमें यह निर्णय हुआ। तो इस लिये मैं कुछ कहना चाहता हूं।" इस पर मैंने उन्हें मौका दिया और आज दोपहर को वह मेरे पास आये। उन्होंने मुझसे प्रस्ताव की वैधानिकता के बारे में बातें कीं। मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया कि मेरा आप की पार्टी के नियमों और उपनियमों से कोई सम्बंध नहीं। यदि किसी पार्टी के सदस्य किसी को नेता मानते हैं और उस पार्टी का बहुमत उसको नेता मानता है तो वह नेता है और नहीं मानते हैं तो चाहे वैधानिक ढंग से हो या गैर वैधानिक ढंग से वह नेता नहीं होगा। बहुमत में सदस्य जिसको नेता मानते हैं उसको मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि किसी सदस्य को मैं अविश्वास की निगाह से देख नहीं सकता अगर यह वह कहते कि उनके दस्तखत नहीं हैं तो बात दूसरी होती लेकिन दस्तखत तो वह कहते हैं कि सब के थे। अगर कोई गलत फहमी हो तो बाद में दुरुस्त की जा सकती है। उसके पश्चात उन्होंने मुझे एक लिखित पत्र और भेजा। उसमें उन्होंने यह लिखा कि आज तक असेम्बली में, प्रजा सोसलिस्ट पार्टी विरोधी पार्टी के रूप में काम कर रही थी। अब उस पार्टी में पार्टी के बुनियादी सिद्धांतों तथा कार्यक्रम को लेकर फूट पैदा हो गई है और कुछ लोग पार्टी के विधान, नियम तथा जनतान्त्रिक मान्यताओं के विरुद्ध कार्य कर देश में स्वस्थ सोशलिस्ट आन्दोलन की प्रगति में बाधा खड़ी कर रहे हैं। इस लिये सचेत सोशलिस्टों ने जिनमें वे स्वय हैं अब असेम्बली में सोशलिस्ट पार्टी के नाम पर स्वस्थ विरोधी पार्टी के रूप में काम करने का फैसला किया है। यह राजनारायण जी ने लिखा है और इसमें श्री रामनारायण त्रिपाठी जी के भी दस्तखत हैं और वे आशा करते हैं कि जितने पार्टी के सदस्य पहले थे

[श्री अध्यक्ष]

उनमें से सब उनकी इस नयी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। इससे यह बात स्पष्ट है कि फिलहाल उनके साथ आज के रोज तो केवल २ सदस्य सोशलिस्ट पार्टी की हैसियत से हैं और २२ सदस्य जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं वे बहुत से विरोधी पार्टी के दिखाई देते हैं। ऐसी अवस्था में मैंने उनसे यह स्पष्ट कह दिया कि जो प्रथा चली आई है और इंगलैंड की भी प्रथा रही है कि बहुमत में जो विरोधी पार्टी होगी वही मुख्य अपोजिशन पार्टी होगी और उसका लीडर लीडर आफ अपोजिशन होता है। तो जब तक कोई नयी प्रथा नहीं जारी की जाती तब तक उसी नियम का पालन करना मुझे आवश्यक होगा। और उस हिसाब से २२ सदस्यों ने जिनको नेता माना है, श्री गेंदासिंह जी को, मैं उन्हीं को नेता विरोधीदल का मानूंगा। इस फैसले को मैंने उनको बता दिया था और मैं सदन को भी बता देना चाहता हूं। वही २२ सदस्यों की जो पार्टी होगी वही बहुमत विरोधी पार्टी होगी और उस के नेता वही होंगे और उसके पदाधिकारी वही होंगे जो आज चुने गये हैं जब तक राजनारायण जी कोई दूसरी बात सिद्ध न करें और अपनी पार्टी बहुमत में नहीं बना लेते, तब तक यह बात कायम रहेगी।

इस लिये श्री गेंदासिंह जी अब विरोधी दल के नेता का स्थान ग्रहण करने की कृपा करें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, जरा एक मिनट। जरा हमको स्वागत करने का वक्त दे दें।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि ऐसी कोई प्रथा तो है नहीं।

लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि लखनऊ युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २३ दिसम्बर, १९५४ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी १९ फरवरी, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २० मार्च, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का ६ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १९ फरवरी, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १५ मार्च, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २० मार्च, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का ७वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटिन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटिन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १९ फरवरी, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १५ मार्च, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २३ मार्च, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश पथ–परिवहन सेवा (विकास) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश पथ-परिवहन सेवा (विकास) विधेयक, १९५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १४ मार्च, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १९ मार्च, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २३ मार्च, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का ९वां अधिनियम बन गया।

१९५५ का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २९ मार्च, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३० मार्च, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ३० मार्च, १९५५ को प्राप्त हो गयी और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का १०वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज मेंटिनेंस (निरसन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज मेंटिनेंस (निरसन) विधेयक, १९५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २१ मार्च, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३१ मार्च, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति १५ अप्रैल, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का ११वां अधिनियम बन गया।

यू० पी० इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि यू० पी० इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २३ दिसम्बर, १९५४ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १४ फरवरी, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ३ मई, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का १२वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २१ मार्च, १९५५, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३० मार्च, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ५ जून, १९५५ को प्राप्त हो गयी और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का १३वां अधिनियम बन गया।

विधान सभा की सदस्यता से श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र के त्यागपत्र की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मैं दो एक सूचनायें देना चाहता हूं। श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र जी एम०एल० ए० का भी एक पत्र यहां है, जिन्होंने १ मई से इस सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दिया है, उन्होंने लिखा है "I resign from the membership of the Legislative Assembly, which please accept and oblige."

तो इसका अब कोई सवाल नहीं उठता। अब वह इस सदन के सदस्य नहीं रहे।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--सदन की पिछली बैठक के समाप्त होने के उपरान्त सदन के कुछ माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी आदि की सूचनायें मुझे प्राप्त हुयी थीं। इनकी सूचनायें माननीय सदस्यों को पत्र द्वारा पहले ही दी जा चुकी हैं। उनका विवरण पुनः मैं सदन को देता हूं।

१--गत दिसम्बर माह में श्री बी० डी० दुबे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फतेहपुर, जिला बाराबंकी से यह सूचना प्राप्त हुयी थी कि विधान सभा के सदस्य श्री अवधशरण वर्मा उपनाम लल्ला जी पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन दिये गये आदेशों का उल्लंघन करने और चीनी मिल को गन्ना देने से रोकने के आरोपों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोनों अपराधों के लिये एक-एक महीने का सादा कारावास का दंड दिया गया जो साथ चलेंगे। अपील के लिये प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर श्री अवधशरण वर्मा को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था। ३० मार्च, १९५५ को जिलाधीश, बाराबंकी से इस सम्बन्ध में यह सूचना प्राप्त हुयी कि श्री अवधशरण वर्मा की अपील खारिज हो गयी परन्तु जो दंड उद्घोषित किया गया था उसको घटा कर प्रत्येक अपराध के लिये २५ रुपया जुर्माना अथवा जुर्माना न देने की दशा में प्रत्येक अपराध के लिये एक एक मास का साधारण कारावास का दंड दिया गया है।

२--अप्रैल माह, १९५५ में श्री ए० पी०जैन, सिटी मैजिस्ट्रेट, गोरखपुर से यह सूचना प्राप्त हुयी थी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ६४ के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये उन्होंने भारतीय दंड विधान की धारा ४४७ के अधीन फौजदारी अनधिकार प्रवेश (criminal trespass) के लिये तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन दी गयी आज्ञा की अवहेलना के लिये विधान सभा के सदस्य श्री राजनारायण को २५ अप्रैल, १९५५ की रात्रि के ८ बजे गिरफ्तार किया और उन्हें गोरखपुर जिला जेल में रखा गया।

इसके बाद मैं समझता हूं कि वह छूटकर आ गये हैं और सदन के सामने प्रत्यक्ष उपस्थित हैं।

३--जिलाधीश देवरिया से यह सूचना २६ अप्रैल, १९५५ को प्राप्त हुयी थी कि श्री गेंदासिंह, एम०एल०ए० तथा अन्य के मामले में २१ अप्रैल को अपील की अनुज्ञा दी गयी।

४--२८ जून, १९५५ को जिलाधीश, बनारस से यह सूचना प्राप्त हुयी कि भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत श्री राजनारायण, एम०एल०ए०, मोताकोट निवासी, थाना मिर्जामुराद, जिला बनारस की गिरफ्तारी का ५०० रुपया का एक जमानती वारण्ट अतिरिक्त जिलाधीश (जुडीशियल), फतेहपुर से प्राप्त हुआ था जो एस०ए०पी०, बनारस द्वारा निष्पन्न किया गया और श्री राजनारायण को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--यह क्या मामला है ?

श्री अध्यक्ष--बनारस से सूचना प्राप्त हुयी है।

श्री राजनारायण--इस समय मेरे पर कितने मुकदमे चल रहे हैं, इसका मुझे भी पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष--यह फतेहपुर का है।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधन*

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--श्रीमन्, मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ (३) के अनुसार यातायात विभाग का विज्ञप्तियां संख्या १२-टी० (एम)/३०-४४२६-टी/५४,

*छापे नहीं गये।

दिनांक १७ मार्च, १९५५; संख्या ७९९-टी०(एम)/३०-४४३५ टी०-/५४, दिनांक १३ अप्रैल, १९५५; संख्या १३१८-टी०(एम)/३०/४४०५-टी/ ५४, दिनांक २२ मई, १९५५ तथा संख्या ७२९-टी०(एम) / ३०/४४१०-टी०।५४, दिनांक ११ मई, १९५५ को, जिनसे यू०पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में संशोधन किये गये हैं, को आपकी आज्ञा से सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, आपसे निवेदन करूंगा कि इन नियमों के सम्बन्ध में अगर आप उचित समझें तो विवाद के लिये कोई समय निर्धारित करने की कृपा करें। मुझे आशा है कि आप इसको स्वीकृति दे देंगे और साथ ही यह भी कहूंगा कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को स्टैंडिंग कमेटी बनाने का सुझाव आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ है। अगर आप उसे अपनी स्वीकृति देने की अविलम्ब कृपा करेंगे तो इस सम्बन्ध में जितने नियम वगैरह हैं, इन पर गवर्नमेंट अधिकार का अधिक्रमण करती है या नहीं, ऐसे जितने नियम हैं उन पर बार-बार विवाद होने की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष--इस सम्बन्ध में मेरे पास प्रस्ताव आ चुका है सर्वसम्मति से। तो मैंने आज इस पर निर्णय देने का विचार नहीं किया था। मैंने सोचा था कि एक दो रोज बाद लूंगा उस प्रश्न को। माननीय परिवहन मंत्री, आप इसके लिये समय देना उचित समझते हैं ?

श्री चरणसिंह--मुझे बड़ी खुशी है अगर माननीय नेता सदन कुछ समय निश्चित कर लें।

संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आय कर-नियम, १९४९ में कृत संशोधन*

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--अध्यक्ष महोदय, मैं संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आय-कर ऐक्ट की धारा ४४(३) के अनुसार माल विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३९५/१-स-४८२-सी/५४, दिनांक ३ जनवरी, १९५५, जिससे संयुक्त प्रान्तीय कृषि- आय-कर नियम, १९४९ में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९५५

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९५५, की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६६-६७ पर)

यू० पी० टाउन एरियाज (संशोधन) अध्यादेश, १९५५

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--श्रीमन्, मैं यू० पी० टाउन एरियाज (संशोधन) अध्यादेश, १९५५, की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६८-६९ पर)

उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण अध्यादेश, १९५५

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)--श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण अध्यादेश, १९५५, की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७०-७२ पर)

---

* छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अध्यादेश, १९५५

माननीय उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७३ पर)

कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष—अब मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं कि १६ से लेकर २७ तक जो आइटम्स हैं एजन्डा के ये कल ले लिये जायेंगे और आज बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर, इस विषय पर वक्तव्य हो कर इस पर विचार होगा क्योंकि उसके लिये समय काफी होना चाहिये और यह इच्छा मैंने शुरू में भी प्रकट की थी और मैंने कहा भी था कि इसके ऊपर विचार होने वाला है और इसके ऊपर यहां वक्तव्य आज शाम तक होगा और विचार होगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मुझे कहना है कि बाढ़ पर तो कल भी विवाद चलेगा न? क्योंकि यह विषय बहुत ही गम्भीर है, हमारे पास तीन जगह से पत्र आ चुके हैं और अगर किसी माननीय सदस्य को कुछ कहना हो वह भी कह सके जिसके अनुसार ही हम काम करें और यदि आप ऐसा सोचते हों कि बाढ़ पर विवाद आज ही समाप्त हो जायगा तब तो बड़ा अन्याय होगा। इस पर तो आज, कल, परसों, तीन दिन तक पूरा विवाद होना चाहिये क्योंकि काफी समय लगेगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं भी यह आवश्यकता तो समझता था कि इस बाढ़ वाले विषय पर कुछ समय अधिक दिया जाय और कुछ समय अधिक विचार करें और यदि इसे आज शाम तक खत्म करने का इरादा हो तो इसमें लोगों के विचार जानने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिये कल का मौका दे दिया जाय, जिससे माननीय सदस्यों की राय बाढ़ के सम्बन्ध में जान सकें।

मुख्य मंत्री (डा॰ सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं भी समझता हूं कि बाढ़ के सम्बन्ध पर विवाद आज शाम तक नहीं हो सकता और मैं भी आशा करता हूं कि आज जो कुछ काम हो जाय वह हो जाय बाकी आप कल कृपा करके इस विवाद को जारी रखने के लिये मौका देंगे।

श्री अध्यक्ष—तो ठीक है, आज विवाद शुरू हो जायगा और विवाद समाप्त हो जाने के बाद बाकी काम को कल लिया जायगा।

प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—श्रीमन्, यह मेरा एक दुखद कर्त्तव्य है कि हमारे सूबे के एक बहुत बड़े हिस्से में जो एक सार्वजनिक विपत्ति आयी है और जिसकी मोटी सी रूपरेखा प्रायः इस सूबे के सब बाशिन्दों पर जाहिर है, उसका कुछ वर्णन करूं और गवर्नमेंट की तरफ से जितना लोगों के कष्ट दूर करने का और उनके आंसू पोंछने का उपाय किया गया है उसका भी कुछ जिक्र करूं। श्रीमन्, पिछले कुछ सालों से बाढ़ हमारे सूबे में करीब-करीब एक सालाना विपत्ति का रूप धारण करती जा रही है। सन् ४७ में बाढ़ आयी, सन् ४८ में बहुत बड़ी बाढ़ आयी (सूबे के पूर्वी हिस्से में भी और पश्चिमी हिस्से में भी।) फिर सन् ५० में भी बहुत बड़ी बाढ़ आयी, सन् ५३ में काफी बड़ी बाढ़ आयी और सन् ५४ में भी आयी और इस साल की बाढ़ की तो अभी सबको ताजी याद है। तो बाढ़ अब एक ऐसी विपत्ति हो गयी जिससे लड़ने के लिये एक असाधारण तरीके से हमको तैयारी करनी होगी। यों बाढ़ जहां एक बड़ी विपत्ति है वहां उसका एक सुखद पहलू भी है। बाढ़ हमेशा से हमारे सूबे में आती रही है। भूगर्भवेत्ताओं का तो कहना ही यह है कि हिमालय पहाड़ से जो

नदियां निकलती हैं, वह नदियां उन पहाड़ों से जो मिट्टी ढोकर लाती हैं, उसके कणों के जरिये ही इंडोगैंगेटिक प्लेन अर्थात् यह सारा उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल मैदान बना है, बाढ़ हमेशा से आती रही है। बाढ़ का सुखद पहलू जिसका मैंने जिक्र किया वह यह है कि आमतौर पर सर्वदा नहीं, जहां बाढ़ आती है और अच्छी सिल्ट अच्छी मिट्टी छोड़ जाती है, उस जमीन पर अगली फसल आमतौर पर जो फसल होती है उससे बेहतर, उससे ज्यादा मिकदार में होती है। इस तजुर्बे ने बहुत से किसानों को इस मानसिक स्थिति का बना दिया है कि वह बाढ़ की आशा रखते हैं और चाहते हैं कि थोड़ी बहुत बाढ़ आये। श्रीमन्, बाढ़ का असल कारण तो एक ही कहा जा सकता है और वह यह कि थोड़े वक्त में ज्यादा बरसात का एक जगह हो जाना। एक इलाके विशेष में, एक देश विशेष में ज्यादा पानी बहुत थोड़े समय में पड़ जाना या यह भी हो सकता है कि बहुत जमाने तक किसी इलाके बिशेष में बराबर पानी पड़ता रहे तो धरती तल बिलकुल सेचुरेट हो जाय, बिलकुल पानी भर जाय और पानी को सोखने की गुंजाइश उस भूमि में बिलकुल न रहे। तो थोड़ा पानी भी अगर काफी अरसे तक पड़ता रहे, उसको जज्ब करने की कूव्वत जमीन में नहीं रहती और वह उसको बहाती है और उससे बाढ़ आती है। लेकिन जैसा आम लोगों को मालूम ही है, या कमसे कम जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं उनको मालूम है और हमने जो फ्लड कंट्रोल कमेटी कायम की थी उसकी टैक्निकल सब कमेटी की रिपोर्ट से भी जाहिर होता था कि बाढ़ आने के तीन चार कंट्रिब्यूटरी फाजेज हैं। असली कारण एक है, लेकिन उस कारण में सहायता पहुंचाने वाले या स्थिति को खराब करने वाले ४ उपकारण और हैं। एक तो यह कि वनस्पति का अधिक कट जाना, दरख्तों का अधिक कट जाना। श्रीमन्, जब वर्षा होती है तो वनस्पति की जड़ के जरिये और दरख्तों की जड़ के जरिये ही पानी जमीन में समाता है। अगर वनस्पति न हो, झाड़-झंखाड़ और घास वगैरह न हो, जंगलात और बाग-बगीचे न हों, या कम हो जायं, तो थोड़ा पानी भी पड़ेगा तो जमीन में समाने के बजाय बढ़ेगा। दूसरा कारण बाढ़ का यह है कि किसान खेती करने में गलती करें, अर्थात् ढाल के खिलाफ खेती करने और हल चलाने के बजाय ढाल के समानान्तर हल जोतें, तो जो पानी पड़ेगा वह ढाल की तरफ जायगा और नदी नालों की तरफ दौड़ेगा और मिट्टी को भी काटेगा, इस वजह से भी बाढ़ में सहायता पहुंचती है। तीसरा कारण यह है कि जब इस तरह की पहाड़ से या आस-पास के इलाकों से पानी के जरिये लायी हुयी मिट्टी नदियों के भंडार में अधिक इकट्ठी हो जाय और नदी का जल उथला हो जाय तो यह भी एक कारण बाढ़ के आने का है। चौथा कारण श्रीमन् यह है कि मनुष्य के द्वारा बनी हुयी बाधायें पानी के बहने के रास्ते में बाधक हो जायं। बरसात हमेशा होती रहे और पानी हमेशा ढाल की तरफ को जाता रहे। मनुष्य उसके रास्ते में बाधक न हो तो बाढ़ के आने का सवाल पैदा न हो या बहुत कम आशंका रह जाय। लेकिन मनुष्य मकान बनाता है, रास्ते बनाता है, सड़क बनाता है, रेलवे बनाता है, नहरें बनाने की आवश्यकता हो जाती है, बंधियां बनाता है और अपने जीवन के लिये जो जरूरी काम हैं वह करता है। खेत की मेंड़ें ऊंची करता है। अगर इन सब कामों के करने के वक्त पानी के ढाल का ध्यान न रक्खा जाय तो पानी के बहने में बाधा उपस्थित हो जाती है और जितनी जल्दी पानी को गुजरना चाहिये उतनी जल्दी नहीं गुजर पाता। कुछ देर उसके रुकने और बहने में हो जाती है। इस प्रकार बाढ़ की, बल्कि उससे भी खतरनाक वाटर लागिंग की स्थिति बहुत जल्द पैदा हो जाती है।

श्रीमन्, एक सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो मुमकिन है कि नहर और रेलवे और सड़क आदि इस तरह की बनायी जा सकें, जिससे बिलकुल पानी के बहने में रुकावट न हो लेकिन ऐसा करना पूर्णरूप से संभव नहीं होता है। जब ये रेल, नदी, सड़क, मकान, रास्ते वगैरह या और रुकावटें जो इनसान पैदा करता है उस वक्त यह खयाल रखना कि असाधारण रूप से बाढ़ आ जायगी तब क्या स्थिति होगी, गवर्नमेंट के किसी अफसरान के लिये सम्भव नहीं होता है। साधारण स्थिति का मुकाबिला करने के लिये आदमी प्लान करता है। श्रीमन्,

[श्री चरणसिंह]

ये चार सहायक कारण बाढ़ के हैं। इस गवर्नमेंट के चार्ज लेने के बाद जब सन् ४८ में एक बहुत बड़ी बाढ़ आयी थी तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी मुकर्रर की थी और उस कमेटी ने अपनी तीन उपसमितियां मुकर्रर की थीं। रिलीफ उप-समिति, सर्वे उपसमिति और टेक्निकल उपसमिति। रिलीफ उपसमिति की रिपोर्ट सन् १९४९ में आयी और करीब-करीब उसकी सब सिफारिशों पर अमल किया गया। उसी की सिफारिशों के नतीजे के तौर पर जिले-जिले और तहसील-तहसील में फ्लड रिलीफ कमेटीज कायम की गयीं और बहुत सी कार्यवाही उनकी सिफारिशों के नतीजे के तौर पर की गयी। लेकिन उसकी तफसील में इस वक्त जाना मुमकिन नहीं है देर भी होगी। दूसरी उपसमिति जिसका नाम सर्वे सब-कमेटी था उसकी रिपोर्ट सन् ५० में आयी लेकिन उसकी रिपोर्ट पर अलाहिदा से या टेक्निकल सब-कमेटी की रिपोर्ट से स्वतंत्र रूप में कोई कार्यवाही करना मुमकिन नहीं था लिहाजा टेक्निकल सब-कमेटी की रिपोर्ट का इन्तजार किया गया। वह रिपोर्ट अगस्त, १९५३ में आयी और फौरन उसके चार महीने बाद ही, दिसम्बर, १९५३ में पूरी कमेटी की एक मीटिंग हुयी और उसने कुछ फैसले किये। उन फैसलों का जिक्र मैं गालिबन पिछले साल कर चुका हूं लेकिन फिर भी संक्षेप में उन फैसलों का जिक्र करना मैं समझता हूं मुनासिब होगा। एक सब से बड़ा फैसला यह था कि ड्रेनेज और सर्वे डिवीजन पूर्वी जिलों के लिये कायम किया जाय, जिसका काम यह है कि जमीन की सतह का सर्वे करे, उसकी ऊंचाई-निचाई यानी लेवेल का पता लगाये और आंकड़े इकट्ठे करे कि किस तरह की बाढ़ अब तक आती रही है और किस इलाके को कितना नुकसान पहुंचता है। कहां तक पानी बढ़ता है, कितने दिन रुकता है, वगैरह वगैरह। तीसरी बात यह कि जिन नतीजों पर पहुंचे उनके फलस्वरूप बाढ़ को रोकने के लिये नहीं बल्कि उसकी शिद्दत को कम करने के लिये कार्यवाही करें, यानी बांध बांधें, अगर जरूरत हो स्टोरेज करें, बड़ी-बड़ी झील बनायें, गांवों की सतह ऊपर उठायें, वगैरह वगैरह। दूसरी सिफारिश यह की गयी कि हर साल तीन महीने के लिये एक सेंट्रल आफिस लखनऊ में खोला जाय जोकि सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में जो बाढ़ वगैरह आयें उसकी इन्फार्मेशन इकट्ठा करें और जहां जरूरत हो इलाके के नीचे के अफसरान को इत्तला करे। श्रीमन्, इस काम को जितना मुझ जैसे ले मैन (Lay man) आसान समझते थे दरअसल वह उतना आसान साबित नहीं हुआ। उसमें कुछ टेक्निकल बाधायें हमारे इंजीनियर्स के सामने उपस्थित हुयीं। मालूमात जिनकी बिना पर इस तरह का सेंट्रल आफिस काम कर सकता था इतनी नाकाफी पहले से हमारे पास मौजूद थीं कि कोई सेंट्रल आफिस फिलहाल आज ही एकदम खोल देना सर्वथा बेकार था। तो ऐसे कारणों से, जो हमारे आफिसरान की शक्ति के बिलकुल बाहर थे, हम इस सिफारिश पर अभी अमल नहीं कर सके। लेकिन उम्मीद की जाती है कि एक दो साल के अंदर यह हमारी मजबूरी दूर हो जायगी।

श्रीमन्, चौथी सिफारिश यह की गयी थी कि जिन इलाकों में दरख्त ज्यादा कट गये हैं और जो दरिया का कैचमेंट एरिया कहलाता है यानी जहां पर चारों तरफ का पानी दरिया में आता है, उनमें दरख्त लगाये जायं। वहां पर दरख्त लगाने के लिये एक डिवीजन पिछले साल जुलाई सन् १९५४ ई० में कायम किया गया। इस डिवीजन ने अब तक ३,५०० एकड़ के करीब सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और बहराइच इत्यादि जगहों पर एफोरेस्टेशन का काम किया, जिसमें चार लाख के करीब यानी ३,९२,००० रुपया खर्च हो चुका है। अभी बजट में ७,०२,००० रुपया इसी काम के लिये विधान सभा ने मंजूर किया है।

श्रीमन्, सर्वे डिवीजन के बारे में मैं एक बात भूल गया। जहां यह फैसला किया गया कि यह डिवीजन कायम किया जाय और एक डिवीजन बस्ती में कायम किया गया और जिसके तीन उप-डिवीजन हैं। एक शायद गोरखपुर में है, एक फैजाबाद और शायद एक बनारस में है। माननीय सिंचाई मंत्री जी यदि इस बहस में हिस्सा लेंगे तो वह इस पर तफसील से रोशनी डाल सकेंगे। इस डिवीजन ने सारे ५०० गांवों की सतह को ऊंचा किया और ३८ लाख

रुपया इन गांवों की सतह को ऊंचा करने में और बांध बांधने में, जैसे बड़ी गंडक पर चितौनी बांध इत्यादि कामों में खर्च किया गया। अब तीन करोड़ रुपया इस साल इसी काम के लिये लेजिस्लेचर की तरफ से मंजूर हो चुका है।

श्रीमन्, इसके अलावा एक फ्लड कंट्रोल बोर्ड भी कायम कर दिया गया है। मुख्य मंत्री जी उसके प्रधान हैं। सिंचाई मंत्री और मैं भी इसके मेम्बर हैं और कुछ विशेषज्ञ मुख्तलिफ महकमों के जैसे जंगलात, सिंचाई, खेती और माल के इसके मेम्बर्स हैं। इसकी मीटिंग्स अक्सर होती रहती हैं जिनमें जो काम चल रहा होता है उसकी प्रोग्रेस के सम्बन्ध में जिक्र होता है और आगे के लिये स्कीम्स बोर्ड के सामने आती रहती हैं।

श्रीमन्, चौथी सिफारिश यह की गयी थी कि भूमि संरक्षण का काम किया जाय, अर्थात् जो फोल्टी ऐग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज हैं जिनके कारण भूमि का कटाव हो रहा है, उसका कुछ इलाज हो सके। श्रीमन्, भूमि के कटाव को रोककर भूमि की रक्षा करना जरूरी है और मैं समझता हूं कि जैसे-जैसे समय बीतता जायगा और एक्सटेंशन का काम किसान लोग समझते जायेंगे, गवर्नमेंट के आफिसर्स से एक्सटेंशन के काम का बोझ कम होता जायगा। कृषि मुहकमे का जहां तक संबंध है स्वायल कंजरवेशन का काम हो रहा है। किसी देश की दौलत उसकी भूमि होती है। हमारे यहां की भूमि बहुत कटती जा रही है इसलिये विधान मंडल ने स्वायल कंजरवेशन ऐक्ट मंजूर किया। स्वायल कंजरवेशन फार्म्स गवर्नमेंट की तरफ से तीन चल रहे हैं और इसके काम को चलाने के लिये कुछ आफिसरान को ट्रेनिंग देने का विचार कृषि महकमे में जेरेगौर है और बहुत जल्दी ही उस पर अमल होने वाला है। उसके लिये खास किस्म के काम जानने वाले टैक्नीकली क्वालीफाइड परसोनेल की जरूरत होगी, ऐसे इंजीनियरों की जरूरत होगी जो खेती का काम जानते हों, इंजीनियरिंग का काम जानते हों और अफोरस्टेशन का काम भी जानते हों। इस प्रकार की तीन तरह से ट्रेनिंग देना किसी एक व्यक्ति को आसान नहीं है इसके लिये इन्तजाम किया जा रहा है और तब यह स्वायल कंजरवेशन का काम कुछ जिलों में शुरू किया जायगा। हमको उम्मीद यह करना चाहिये कि जहां पर बाढ़ ज्यादा आती है या बुन्देलखंड के इलाके में जहां पर भूमि का कटाव बहुत तेजी के साथ हो रहा है वहां पर यह काम शुरू किया जायगा। तब हम स्वायल कंजरवेशन के लिये किसानों की दिलचस्पी पैदा करेंगे तो बाढ़ से जो नुक्सान होता है और बाढ़ में जो तेजी होती है उसमें बहुत कमी आ जायगी।

श्रीमन्, एक सिफारिश यह भी की गयी थी कि तालाब या पोखर जो कछार और खादर के इलाके में गांवों के अन्दर मौजूद हैं उनको गहरा किया जाय ताकि जब बाढ़ नदी में आ जाय तो उसके जरिये से उन तालों में उस पानी को रोक कर कम किया जा सके। श्रीमन्, श्रमदान के जरिये से प्लानिंग डिपार्टमेंट इस तरह के काम इस सूबे में कर रहा है। जो रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आयी है उससे मालूम होता है कि इस काम में संतोषजनक प्रगति हुयी है।

श्रीमन्, एक सिफारिश लेखपालों के लिये यह की गयी थी कि वह इस बात की रिपोर्ट दें कि किस जगह पर, कौन से गांव तक, कौन से खेत तक हर साल बाढ़ आती है इस तरह की हिदायत जारी कर दी गयी है और इस सिलसिले में मालूम हुआ है कि अच्छा काम हो रहा है।

श्रीमन्, जहां तक किश्तियों का ताल्लुक है बाढ़ के समय में किश्तियों की जरूरत होती है। किश्तियों के संबंध में एक फैसला उस कमेटी ने यह किया था कि गवर्नमेंट कुछ किश्तियां हर जिले में जरूर दे दे, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट के लिये यह नामुमकिन था कि जितनी किश्तियों की बाढ़ के समय जरूरत होती है उतनी वह दे और फिर यदि उनकी कीमत भी दे दी जाय तो उनका रखरखाव भी बहुत मुश्किल है। आमतौर पर एक किश्ती के बनाने में ८०० रुपया लगता है। यह योजना बनाई गई है कि उसके लिये आधा रुपया सरकार दे और आधा रुपया गांव पंचायत दे और उस किश्ती की मालिक गांव पंचायत हो जाय। उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी

[श्री चरणसिंह]

गांव पंचायत पर ही होगी। हर जिले में जहां पर नदी गुजरती है और जहां पर बाढ़ आती है तो वहां पर प्राइवेट किश्तियां भी होती हैं। यह किश्तियां उस समय रिक्वीजिशन कर ली जाती हैं। इस तरह से ८८ नाव की योजना महकमे ने बनायी जिसमें आधा रुपया गवर्नमेंट का था और आधा रुपया गांव पंचायतों का। ४३ हजार रुपया इस साल के बजट में इस काम के लिये मौजूद है। इस सिलसिले में हमको जितनी आशा थी कि गांव पंचायतों की तरह से हाथ बटाया जायगा वह नहीं हो सका। उसमें कुछ कायदे कानून की भी दिक्कत रही और फिर उसको दूर करने में देर हुयी। श्रीमन्, इन्हीं किश्तियों के सिलसिले में एक सिफारिश यह थी कि जहां पर बाढ़ बहुत ज्यादा आती है उन जिलों के लिये दस मोटर बोट्स मुहैया की जायं। ७ छोटी और ३ बड़ी। वह मोटर बोट्स चीफ इंजीनियर को हुक्म दिया था उन्होंने बनवा दी है। लेकिन उनके लिये इंजिन बावजूद बहुत कोशिश के और बावजूद बेल-नोन फर्म से कंटैक्ट करने के सारे देश में मुहैया नहीं हो सके। उनके लिये इंजिन बाहर से मंगाना होगा जिसके लिये कोशिश की जा रही है। उनके इम्पोर्ट लाइसेंस में समय लगता है, इसलिये वे इंजिन अभी तक बाहर से मुहइया नहीं हो सके हैं। इसलिये मोटर बोटों के सिलसिले में सिफारिश पर अभी तक अमल नहीं हो सका।

अब मैं माननीय मेम्बरान का ध्यान दो अधिनियमों की ओर दिलाना चाहता हूं। सन् ४८ में एक्वीजीशन आफ प्रापर्टी ऐन्ड फ्लड रिलीफ ऐक्ट और सन् ५१ में यू० पी० फ्लड एमरजेंसी पावर्स (इवैकुएशन ऐन्ड रिक्वीजीशन) ऐक्ट बने थे। इनके मातहत अफसरान को यह अधिकार दिया गया था कि वे बल्ली, किश्तियां, खाने-पीने का सामान, रहने के लिये मकान (धार्मिक स्थानों को छोड़कर) वगैरह का प्रबन्ध कर सकें। इन चीजों को हस्तगत कर सकें। ये बातें मैंने इसलिये बताई कि लोगों को बैकग्राउन्ड मालूम हो सके। इस साल हमने मई में ही १७ तारीख को, यह आदेश दे दिये कि फ्लड के बारे में मीटिंग्स की जावें। हमें मालूम हुआ है कि फ्लड कोष उन्होंने पहले से निश्चित कर लिये। वहां उन्होंने गुड़, चना, नमक, दियासलाई, मिट्टी का तेल, दवाइयां और अगर मुमकिन हो सका तो जानवरों के लिये चारे का भी इन्तजाम किया। उनको बहुत साफ शब्दों में बता दिया गया था कि गवर्नमेंट के सामने लोगों के ऊपर जो विपत्ति बहुधा आती रहती है उसे दूर करने के लिये खरचे का कोई विचार नहीं है। पिछले साल तक १४ जिलों को, जिनको ५ हजार रुपया अक्सर दिया जाता था और २ जिले और मिलाकर १,६०,००० रुपया दिया गया ताकि वह फौरन इन्तजाम कर सकें। यह भी कह दिया गया था कि जब भी जरूरत हो तो चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है बल्कि तार या वायरलेस के जरिये जितना रुपया मांगेंगे वह मिलेगा। पिछले वर्ष से माननीय मुख्य मंत्री एक योजना पर विचार कर रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों में ऐसे स्थान बनाये जा सकें जहां कि ऐसी विपत्ति के समय लोग जमा हो सकें। जून के महीने में माननीय मुख्य मंत्री ने १,९५,००० रुपया इस गरज के लिये दिया। इस साल मानसून कुछ कब्लअज्वक्त शुरू हुआ। यों तो कई सालों से जुलाई में बारिश शुरू होती है मगर आम तौर पर २०, २१ जून को होती है और वह ठीक रहती है। वह न तो देर है और न सबेर है। लेकिन इस वर्ष जून के पहले सप्ताह में ही बारिश शुरू हो गई और वह कुछ थोड़े ब्रेक के साथ बराबर १५, १६ जुलाई तक होती रही। श्रीमन्, १६ जुलाई से २२ जुलाई तक ६–७ रोज में इतनी जोर की बारिश हुई मानो आसमान फूट पड़ा हो। मैं आपकी इजाजत से सदन का वक्त इस बात के लिये जरूर लूंगा कि जो कुछ मैंने कहा है उसको आंकड़ों से सिद्ध कर सकूं। वह आंकड़े १ जून से २३ जुलाई तक सन् ५४ और इस साल सन् ५५ के हैं। वह इस प्रकार है :—

नाम-स्थान	सन् ५४ की वर्षा इंचों में	सन् ५५ की वर्षा इंचों में
फैजाबाद ..	९.२५	५०.०४
जौनपुर ..	१०.७	३७.९

नाम-स्थान		सन् ५४ की वर्षा इंचों में	सन् ५५ की वर्षा इंचों में
सुल्तानपुर	..	८	४१.६७
बस्ती	..	६.२५	४४.५
गोंडा	..	६.५	४०.५
प्रतापगढ़	..	८.३	३७.७
बहराइच	..	१४ लगभग	३७.२५
इलाहाबाद	..	८.५ से कम	३१ के लगभग
आजमगढ़	..	६	२८.५
बनारस	: :	७ से कम	२८
रायबरेली	..	१४ से कम	२८ के लगभग
बाराबंकी	..	१३	५२
गोरखपुर	..	६.४	३३
देवरिया	..	१३.२५	२१.२५
बलिया	..	११ से कम	१६ से कुछ कम

श्रीमन्, हमारे प्रदेश में जो नदियों का इंग्रेडियेंट है वह बहुत ही कम है। ऐसा नहीं है कि जहां से नदी निकलती है वहां सी लेविल से एक हजार फुट ऊंचा हो और लखनऊ में ५०० फीट तथा देवरिया में २५० ही रह जाय। बल्कि एक जिले से दूसरे जिले में केवल १०–२० फुट का ही फर्क है। इसलिये पानी धीमी चाल से चलता है। इस साल एक और विशेषता हुई जिसकी ओर विशेषरूप से मैं माननीय मित्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिन नदियों में बाढ़ आना चाहिये, या जिनको नदियां कहते हैं, उनमें बाढ़ नहीं आयी। यों हर साल बाढ़ आती है राप्ती, घाघरा और गंडक में भी। जितना पानी इन नदियों में आया उतना ही आता तो शायद इस फ्लड डिबेट की आवश्यकता ही न होती। लेकिन इस साल जिस चीज ने हमारा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया वह लोकल रेन फाल और वाटरलागिंग है, और वह उन क्षेत्रों में जहां नदियां नहीं हैं बल्कि जैसा कि तुलसी दास जी ने कहा है "क्षुद्र नदी भर चलि उतराई, जस थोरेहु धन खल बौराई"। यानी जो छोटे-छोटे नाले हैं उनमें जल्दी नशा आ जाता है, उनमें उफान जल्दी आ जाता है। क्योंकि उनकी जो नेचुरल कैपेसिटी होती है, वह बहुत कम होती है। वहां पानी एक साथ पड़ा और थोड़े समय में ही चौगुना पांच गुना बढ़ गया तो जो स्थिति हुई इसके अलावा और कोई स्थिति हो ही नहीं सकती थी चाहे मई जून के महीने में गवर्नमेंट की तरफ से कितनी भी तैयारी होती। मैं ऐसा दावा तो नहीं करता कि लोगों का कष्ट मिटाना शायद बिलकुल असंभव होता. क्योंकि पता नहीं आजकल मनुष्य के पास दूसरे मुल्कों में कितनी शक्ति है, कितनी साइंटिफिक शक्ति है और वहां के किसान कितने समझदार हैं, स्किल्ड हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश के पास चाहे कितने भी साधन होते चाहे हम कितनी ही तैयारी करते लेकिन इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी, जितना मुमकिन हो सकता था वह किया गया, जैसा कि सब दोस्तों को जाहिर है।

सन् १८७१ में इस इलाके में एक बहुत बड़ी बाढ़ आयी थी। सन् १८७१ के जो बुढ्ढे बचे हैं, एक दो आदमी तो बचे ही होंगे, उन्होंने अपने मां बाप से यह जरूर सुना होगा कि सन् १८७१ में इस तरह की बाढ़ आयी थी। उस बाढ़ में जो फ्लड मार्क था, इस बाढ़ ने निश्चित तौर पर उस फ्लड मार्क को नीचे कर दिया है, छोटा साबित कर दिया है, लज्जित कर दिया है। मैं समझता हूं कि इस साल जो पानी आया है उसकी वजह से हजारों गांव बरबाद हुये हैं। लाखों एकड़ भूमि की फसलें नष्ट हो गयी हैं, लाखों व्यक्तियों के जीवन पर इसका कुप्रभाव पड़ा है। फसलों के अलावा जो लोगों के मकान गिरे हैं उनमें लाखों की सम्पत्ति नष्ट हुई है। श्रीमन्, अब तक की जो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के पास आयी हैं, जिनको हर जिले से हमारे अफसरों ने भेजा है, अलग-अलग टोटल में आपकी इजाजत से सुनाना चाहता हूं।

[श्री चरणसिंह]

गांव जिन पर असर पड़ा है, सन् ५०,५३, ५४ और ५५ में उनके आंकड़े मैं आपकी इजाजत से सुनाना चाहता हूं। ताकि आप मालूमात हासिल कर सकें कि कितना नुकसान हुआ है। सन् ५० में ७ हजार, सन् ५३ में १४ हजार, सन् ५४ में ८ हजार और ५५ में २२ हजार गांवों पर असर पड़ा है। टोटल एरिया जिसपर इसका असर पड़ा है २५,६०,००० एकड़ सन् ५० में २२ लाख ४० हजार एकड़ सन् ५३ में, ३२ लाख एकड़ सन् ५४ में और ६० लाख एकड़ सन् ५५ में है। अभी कुछ दिन हुए, मुश्किल से १० रोज हुये होंगे, कुछ जिलों से मेरे पास जो सूचना आई थी उसकी बिना पर मैंने कहा था कि ४० लाख एकड़ खेतों पर इसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन बाद में जो इत्तिला आयी है वह ६० लाख एकड़ की है बाद में जो गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, बहराइच और गोंडा आदि से लेटेस्ट इनफारमेशन आयी हैं उसकी बिना पर ६० लाख एकड़ खेतों पर इसका असर हुआ है। श्रीमन्, आबादी जिस पर बाढ़ का असर हुआ है सन् ५० में २० लाख, सन् ५३ में २८ लाख, सन् ५४ में ३४ लाख और सन् ५५ में ८० लाख है। मकान जो गिरे वह सन् ५० में २५ हजार, सन् ५३ में ८० हजार, सन् ५४ में १९ हजार और इस वर्ष साढ़े ३ लाख। जो जानें जाया हुईं वह सन् ५० में १२८, सन् ५३ में २३, सन् ५४ में २७ और सन् ५५ में ६६। मवेशी जो जाया हुये वह सन् ५० में २,२०९, ५३ में ३४१, ५४ में १,५५३ और सन् ५५ में २०९८। आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस वर्ष की बाढ़ का प्रोपोरेशन और नुकसान की सीमा क्या है। श्रीमन्, इस वर्ष बारिश २२ जुलाई तक बहुत तेजी से हुई और २३ व २४ को भी अच्छी खासी हुई और उस के बाद भी थोड़ी बहुत जारी रही लेकिन ५,६ व ७ अगस्त को राप्ती, घाघरा और गंडक के कैचमेंट एरिया में बहुत तेज बारिश हुई। लेकिन अब इस वक्त परमात्मा की कृपा से सब जिलों में हालत बहुत तेजी के साथ सुधर रही है और नदियाँ नीचे जा रही हैं।

इस संबंध में सरकार ने जो काम किया है वह बहुत संक्षेप में आपकी इजाजत से मैं अर्ज करना चाहता हूं। उस वक्त हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ जरूरी कामों से दिल्ली गये हुये थे और उस वक्त तक ऐसी स्थिति होने का किसी को इल्म नहीं था लेकिन जैसे ही उनको मालूम हुआ और वह दिल्ली से लौटे वैसे ही अगले दिन उन्होंने बाढ़ के जिलों का ३ दिन तक बराबर दौरा किया और जहां मुमकिन हो सकता था वहां उन्होंने हवाई जहाज से उतर कर, अफसरों और सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं को बुला कर उनकी हिम्मत बढ़ाई और सब लोगों से पूछा कि क्या करना है और क्या कोशिश आगे की जा सकती है। जहां हो सकता था उन्होंने उसी वक्त फौरी इंतजाम किया और वहीं मौके पर उन्होंने फौरी अहकाम जारी किये। श्रीमन्, मुसीबत जैसी लोगों पर आई उसका पूर्णरूप से निवारण करना या उसको टालना, जैसा कि मैंने अर्ज किया, मनुष्य की शक्ति के बाहर था और कम से कम हमारी सरकार की शक्ति के बाहर जरूर था। लेकिन मुसीबत में लोगों के पास जा कर अगर जिन लोगों के सुपुर्द खिदमत का काम दिया जाय, कुछ थोड़ी भी मदद पहुंच जाय तो मुसीबत का बोझ बहुत हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारे दो और सहयोगी, माननीय रसद मंत्री जी और माननीय सिंचाई मंत्री जो अपने जरूरी कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं वह दोनों भी जितना समय भी अपने जरूरी काम से निकाल सके निकाल कर वहां गये। हमारे प्रधान मंत्री जी और जनता के प्रिय नेता श्री जवाहरलाल जी ने भी २ दिन हमें दिये और इन सब बातों से हमारा ढाढ़स बंधा और सामान से, रुपये से और भौतिक पदार्थों से जहां तक मदद हो सकती थी वह सब की गई। ११,२६,५०० रु० की ग्रेचुटीज रिलीफ दी गई। यह रकम रोजाना इस्तेमाल की फौरी जरूरतों के लिये दी गई और साथ ही गरीब आदमियों को मकान बनाने के लिये सब्सीडी के तौर पर। श्रीमन्, यह भी मैं अर्ज कर दूं कि यह रकम बिना कलेक्टरों के मांगे हुये ही दी गई। हमने उनसे कहा है कि आप अपने डिमांड्स दें लेकिन जब तक उनकी डिमांड्स आयें, हमने अपनी तरफ से २ लाख २० हजार रुपये गरीब आदमियों के मकान बनाने के लिये सबसीडी के तौर पर दिये।

श्रीमन्, नार्मल तकावी जो ग्राम तौर पर उन जिलों को दी जाती है और जो मई में दी जा चुकी थी, उसके बाद भी २२ लाख ७२ हजार रुपये की और तकावी दी गई। डिस्ट्रेस्ड तकावी, ११ लाख रुपये, मकान बनाने के लिये कर्जा ८५ हजार रुपये अभी तक दिये गये हैं। लेकिन अभी तक कलेक्टरों ने अपने मुतालिबे नहीं भेजे हैं। किसी एक ने भेजा है उनको ८५ हजार रुपये दे दिये गये। टेस्ट वर्क्स के लिये अफसरान को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऐसे अजला में वे स्कीम्स को तैयार रखें कि अगर जरूरत पड़ जाय कि कहां कहां टेस्ट वर्क्स का काम जारी होगा, यह हमने मांगा हुआ है। साथ ही हिदायत है कि टेस्टवर्क्स के तौर पर ऐसे काम शुरू किये जायं जो मुस्तकिल तौर से लोगों को फायदा पहुंचा सकते हों जैसे मकान बनाना, पुख्ता सड़कें बनाना और पुल वगैरा और जो पंचसाला योजना में शामिल है। यह हमने बहुत तफसील से मांगा हुआ है लेकिन वह अभी तक नहीं आये हैं। एक दो जिलों से आये हैं तो हमने ढाई लाख रुपया दे दिया है। भूसे के लिये १ लाख ८५ हजार रुपये हम मंजूर कर चुके हैं। भूसे का भाव ५ रुपये ६ रुपये का है और मालूम हुआ है कि गालिबन बनारस में ७ रुपये तक है और जौनपुर में भी लेकिन गवर्नमेंट ने तय किया है कि २ रुपये १४ आने फी मन के हिसाब से भूसा दिया जायगा और जितना ट्रांस्पोर्ट इत्यादि का खर्चा है, भूसा आम तौर पर पश्चिमी जिलों से आयेगा और इसमें काफी खर्चा होगा, यह सब गवर्नमेंट बरदाश्त करेगी। चीफ मिनिस्टर के डिस्ट्रेस रिलीफ फंड से १ लाख ९५ हजार रुपये दिये जा चुके हैं। इस तरह से टोटल ५४ लाख ३३ हजार रुपया बैठता है। इसके अलावा प्रधान मंत्री ने साढ़े ७७ हजार रुपया इलाहाबाद, बस्ती और सात-आठ मुख्तलिफ अजला के लिये कहीं १० हजार कहीं पांच हजार और कहीं ढाई हजार रुपये भेजा है। इसके अलावा फेमिन्स रिलीफ पीपुल्स ट्रस्ट और दूसरे स्टैटुटरी बाडीज ने रुपया भेजा है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की इस बाडी के पास बहुत थोड़ा सा रुपया होता है और उसमें से उन्होंने २० हजार रुपया दिया है। चीफ मिनिस्टर ने उस १ लाख ९५ हजार के अलावा ३४ हजार रुपया अपने फंड से रिलीफ वर्क के लिये अफसरान को और जहां तक मुझे याद पड़ता है। ऐसी गैरसरकारी एजेंसियों को, जिनकी बाबत उनको यकीन हो गया कि अच्छा काम कर रही हैं दिया है। श्रीमन्, चारे की बाबत मैं जिक्र कर चुका हूं। इस सिलसिले में रेलवे वैगंस के लिये हमने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वैगन्स एलाट करने में प्रायरिटी दी जाय।

अब रही गल्ले की बात। लोग जब अपने घरों को व गांवों को छोड़ कर भागे तो जो बहुत जरूरी सामान था, जैसे कागज-पत्र, रुपया पैसा वगैरा, लेकर भागे। लेकिन जो गल्ला था, हमारा ख्याल है, वह बहुत बड़ी मिकदार में वहीं पड़ा रह गया और नष्ट हो गया। तो गल्ले की बड़ी भारी समस्या थी और है और उसको दूर करने के लिये गवर्नमेंट जो कुछ कर सकती थी वह उसने किया। अब सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के पास अपने सूबे में गवर्नमेंट की तरफ से गल्ला नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से गल्ला हमारे यहां जमा था जो उनके कहने के और उनके नियमों के मुताबिक हमारी एजेंसीज के जरिये से खरीदा गया था। गवर्नमेंट हिन्द से माननीय रसद मन्त्री ने बातें कीं और अब हमने यह तै किया कि सवा तीन सेर फी रुपया गेहूं और फी रुपया साढ़े ५ सेर ज्वार, गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को तक्सीम की जाय और इसमें जितना ज्यादा रुपया गवर्नमेंट को देना होगा और हैंडलिंग व ट्रान्सपोर्ट चार्जेज में जितना नुकसान होगा वह सब गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। श्रीमन्, इस साल यहां फसल अच्छी खासी थी। इन इलाकों में बाढ़ के आने से पहले गल्ले के भाव ऊंचे नहीं थे लेकिन बाढ़ आने से शरह ऊंची हो गई। जिस भाव से गेहूं और ज्वार गवर्नमेंट हिन्द की तरफ से तक्सीम किया जा रहा है, बाजार का भाव उससे कहीं ऊंचा है। तो इससे लोगों को रिलीफ पहुंची है। इसी सिलसिले में श्रीमन्, मिल्क पाउडर बच्चों और कमजोर लोगों को तकसीम किया जा रहा है। जहां तक बीमारी से लड़ने का सवाल है, श्रीमन्, इस गवर्नमेंट के लिये जितना मुमकिन था वह इस सिलसिले में किया जा रहा है। मसलन जिले के शेष इलाकों से जितने कम्पाउंडर्स और डाक्टर्स मुमकिन हो सकते थे उनको वहां से हटा कर बाढ़ग्रस्त इलाकों में भेज दिया गया है। दूसरे अजला से भी मेडिकल पर्सनल भेजा गया और अस्तपालों में मरीजों के लिये बेड्स बढ़ाने के हुक्म जारी हो चुके हैं और

[श्री चरणसिंह]

उम्मीद है कि उस पर अमल हो रहा होगा। कम से कम कोई शिकायत नहीं आई। श्रीमन्, सबसे बड़ा डर कालरा का रहता है। मास इनआकुलेशन बड़े पैमाने पर सामूहिक तरीके से लगवाया जा रहा है। इसके अलावा यू० पी० रेडक्रास की तरफ से कपड़ा, कम्बल, बिस्तर और मिल्क पाउडर इन इलाकों में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। मनुष्यों की तरह पशुओं में भी महामारी आती है। १६ जुलाई को एनिमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट की तरफ से हिदायत जारी हो चुकी है और जितना अवेलेबिल स्टाफ महकमे के पास था और आसपास के अजला का स्टाफ भी इस काम में जुटा दिया गया। जहां तक मकान बनाने के सामान की जरूरत है महकमा जंगलात को यह अहकाम जारी किये गये हैं कि बांस, बल्ली, भूसा और सूखी घास यह जितना भी उनके पास है जल्दी से जल्दी मुहैय्या किया जाय और प्राविन्शियल आयरन एंड स्टील कंट्रोलर को टिन शीट्स सप्लाई करने के लिये हुक्म जारी हो चुका है।

श्रीमन्, जब लोग मुसीबत में थे और अपने बच्चों की हिफाजत भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते थे तो इसकी जरूरत थी कि बाहर से आदमियों की मदद भी उनको भेजी जाय। ५० आदमी लखनऊ से फैजाबाद भेजे गये, जो मकानात गिरे पड़े थे उनकी सफाई वगैरह करने के लिये। एक पी० ए० सी० कम्पनी आजमगढ़ भेजी गई। बनारस से कोई सीधा रास्ता उनके जाने का नहीं था। जिस रास्ते से भी मुमकिन था उनको जल्दी से वहां पहुंचने के लिये कहा गया। फौज की तरफ से ए० सी० सी० जिसमें २५० से ३०० आदमी होते हैं उसकी तीन यूनिट्स एक आजमगढ़, एक जौनपुर और एक फैजाबाद मकानों की सफाई के लिये, लोगों की इमदाद के लिये भेजी गई। जहां तक गवर्नमेंट के मतालबों का ताल्लुक है तकावी वगैरह की वसूलयाबी रोक दी गई है। लेकिन जहां तक मालगुजारी का ताल्लुक है, हमने कलेक्टरों से यह कहा है कि अगर वह कहीं जरूरी समझते हैं तो वह गवर्नमेंट का एप्रूवल लेकर माल-गुजारी की वसूलयाबी रोक सकते हैं। वैसे, जो गम्भीर परिस्थिति आयी हुई थी गवर्नमेंट का सारा स्टाफ, यहां तक कि चकबन्दी का स्टाफ तक, लोगों की इमदाद करने में लगा हुआ था, तो वसूलयाबी का कोई सवाल ही नहीं। इसके अलावा जो फ्लड ससेप्टिबिल एरियाज है, जहां पर आमतौर पर फ्लड आते हैं, वहां मालगुजारी वसूल करने के लिए दो साल से हमने यह हिदायत की हुई है कि जहां तक हो सके जून या १५ जुलाई तक वसूल करने की कोशिश की जाय। आमतौर पर खुशदेहन्द लोग मई और जून में मालगुजारी बेबाक कर देते हैं लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाती है तो वह सितम्बर तक वसूल होती है। फसल जो मार्च और अप्रैल में उठेगी अगर वह अगस्त तक जाती है और उस वक्त अगर कोई आदमी मालगुजारी रोकता है तो ठीक है, एक इंसानियत का तकाजा होता है कि उस पर मुसीबत आयी है लिहाजा जो गवर्नमेंट का मत लबा है वह इस वक्त मुल्तवी हो जाय। मेरा भी यही खयाल होता है, मेरे मित्रों में बहुतों का यही खयाल होता है, सभी का होता है। लेकिन यह उन किसानों के हित में नहीं बैठता क्योंकि यह फसल बरबाद हुई, इसकी तो मालगुजारी माफ होगी ही, लेकिन खरीफ की जो पिछली मालगुजारी नादेहंद या बददेहंद आदमी ने नहीं दी है अगर वह मुल्तवी होती है तो अगली रबी की फसल पर पिछली फसल की मालजगुजारी का बोझ पड़ता है। इसलिये मैं इसे उनके इंटरेस्ट में ठीक नहीं समझता। इस तरह की मालगुजारी बची होगी तो बहुत कम लेकिन फिर भी, क्योंकि कलेक्टरों ने लिख दिया है इसलिए मुल्तवी कर दी गयी है। लेकिन मैं आपकी इजाजत से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह से एक दम और मतालबों की बाबत आर्डर्स कर दिये हैं मालगुजारी की बाबत नहीं किया। बल्कि जिलाधीशों के डिस्क्रशन पर छोड़ दिया गया है।

फौज से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को जो इमदाद मिली है, मेरे पास लफ्ज नहीं है कि उनकी सराहना कर सकूं उनसे जितना हो सका उन्होंने हमको इमदाद दी मसलन मोटर बोट्स, बड़ी स्टीम पावर बोट और २५ नम्बर की एच० बी० फ्लैट बाटम बोट हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी ने इलाहा-बाद से आजमगढ़ भिजवाई। तीन मोटर बोट अभी कल-परसों बस्ती भेजने का इन्तजाम किया गया है। वहां के कलेक्टर ने मांगी थी। २५ हजार आदमियों के ठहरने के लिए फौज ने हमको

टेंट्स दिये। तीन हजार के लिये जौनपुर, दस हजार के लिए आजमगढ़, आठ हजार के लिए फैजाबाद और चार हजार के लिए बलिया में। २५ हजार आदमियों के लिए इस तरह से कानपुर से उन्होंने टेंट्स भेजवाये। आजमगढ़ में कुछ अरसे के लिए हमारे कम्युनिकेशंस बिलकुल कट आफ हो गये थे। एक वायरलेस सेट आर्मी ने इलाहाबाद से आजमगढ़ भेजवाया और एक वायरलेस सेट यहां भेजवाया, जिससे उनका भेजा हुआ मेसेज हमारे अफसरान यहां रिसीव कर सकें। श्रीमन्, जनशक्ति की जो इमदाद उन्होंने की उसका मैं जिक्र कर चुका। उसका दोहराना बेकार है। कपड़े का भी जो उनके यहां सरप्लस है वह फैजाबाद और दूसरे जिलों को भेजने का इंतजाम किया जा रहा है और बहुत हद तक किया जा चुका है। श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य इस बात में मुझसे सहमत होंगे कि हम आर्मी अथारिटीज का शुक्रिया तहेदिल से अदा करें और अब जहां तक रेलवे की बात है उन्होंने भी हमारी इमदाद करने में कुछ उठा नहीं रखा। उन्होंने बनारस से बलिया को ४,००० आदमियों के ठहरने के लिये टीम शीट्स का एक वैगन भेजा। जब वहां घाघरा बहुत बढ़ गई, तो बलिया के डी० एम० ने रेलवे अथारिटीज को लिखा कि लोगों को ठहराने के लिये बैगन्स भिजवाइये। लेकिन बनारस में वह इतने ज्यादा थे नहीं। वहां की रेलवे अथारिटीज के पास टीन शीट्स थे। हमने कहा हम उनसे ही काम चलायेंगे और वह उन्होंने भेजे। जौनपुर में लोगों को शेल्टर देने के लिये रेलवे ने बहुत रेडी असिस्टेंस दी। इसके अलावा रेलवे वैगन्स के लिये जिस वक्त और जब हमने कहा वह फौरन उन की तरफ से मुहैय्या करने की कोशिश की गई और कोई बहाना नहीं किया गया।

जहां तक रिहैबिलिटेशन का संबंध है, जैसा कि मैं पहले थोड़ा सा अर्ज कर चुका हूं कि जरूरत है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर हो, उनके पास क्रय शक्ति हो, इसके वास्ते टेस्ट वर्क चालू किये गये और अगर यह चीज सेकिन्ड फाइव इयर प्लान की स्कीम के साथ ऐडजस्ट की जा सके तो अच्छा है। ऐसी स्कीम हमने उनसे मांगी है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया, उनकी योजना अभी आई नहीं और अभी कोई जल्दी भी नहीं है क्योंकि जब तक जमीन सूख न जाय तब तक टेस्ट वर्क का शुरू करना हर जगह मुमकिन नहीं है। किसान यह कोशिश कर रहा है कि वह अपनी कोई न कोई फसल बो ले। मसलन जड़हन, इसके लिये उनको नर्सरी की जरूरत है, पौद की जरूरत है। हम दूसरे जिलों से पौद भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान खुद जानता है कि कितनी बड़ी मुसीबत आई हुई है और किसी भी गवर्नमेंट के लिये उसकी मुसीबत को मिटा देना मुमकिन नहीं। लिहाजा वह अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है और येनकेन प्रकारेण जितनी जल्दी से कुछ बोकर अपनी हालत सुधार लें, इसकी कोशिश कर रहा है। हमारी जो कोशिश है वह हो ही रही है।

श्रीमन्, १९५३ की सितम्बर में हमने महकमा माल की तरफ से यह आदेश जारी कराये थे कि जिन लोगों के मकान गिर गये हैं या जिनकी जमीन कट जाती है, उनको जहां तक मुमकिन हो मकान बनाने और खेती करने के लिये जमीन दी जाय। अगर अपने गांव समाज की जमीन उनके पास नहीं है तो पड़ोस के गांव समाज के लिये आर्डर्स हैं। अगर वहां किसी भी गांव समाज के पास जमीन नहीं है तो गवर्नमेंट ने जो जमींदारी एबालिशन के बाद साढ़े ३८ लाख एकड़ जमीन फारेस्ट डिपार्टमेंट को दी थी उसमें से इन किसानों को खेती और मकान बनाने के लिये जमीन दी जाय।

श्रीमन्, जैसा कि मैं कह चुका हूं, इस साल जो हमारे प्रदेश में मुसीबत आई है, उसमें जो एग्रेवेशन हुआ, उससे जो शिद्दत, तेजी या धार आई उसका कारण था मैन-मेड क्रियेशन। इरिगेशन डिपार्टमेंट का पहले से ही इस तरफ ध्यान था। यह बात ऐसी नहीं है कि जो हमारे विशेषज्ञों को न मालूम हो। लेकिन अब वे इसकी तरफ और विशेष ध्यान देने जा रहे हैं और इस तरह के आर्डर्स उनको जारी कर दिये गये हैं। इसी तरीके से पी० डब्ल्यू० डी० के चीफ इंजीनियर को लिखा गया है कि वे इसी वक्त सर्वे करें कि कहां बाढ़ से पानी रुका है, कहां किसानों ने अपने गांवों को बचाने के लिये सड़कों को काटा है। इस वक्त वह भी अपना सर्वे कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया से भी इस तरह का सर्वे कराने की दरख्वास्त की है। माननीय रेल

[श्री चरणसिंह]

व यातायात मंत्री, माननीय प्रधान मंत्री के साथ तशरीफ़ लाये थे । माननीय मुख्य मंत्री ने उनसे मौखिक रूप से दरख्वास्त की है और उन्होंने बड़ी खुशी के साथ इस तरह के अहकाम जारी कर दिये। अब उनके अफ़सरान की तरफ से रेलवे लाइन्स का सर्वे हो रहा है कि कहां कलवर्ट्स, वाटर गेट्स या ब्रिजेज को चौड़ा किया जा सकता है । यही नहीं कि अहकाम जारी कर दिये, बल्कि मौके पर आज काम हो रहा है ।

श्रीमन्, पिछले साल साढ़े पांच सौ गांव का लेविल ऊंचा किया जा चुका है । कन्ट्रोल बोर्ड ने हमारे विशेषज्ञों ने अपने अनुमान और पुराने तजुर्बे की बिना पर यह मशविरा किया था गवर्नमेंट ने उसको मन्जूर किया । उनका यह मशविरा और साढ़े पांच सौ गांव की विलेज साइट के लेविल का ऊंचा उठाना इतना कामयाब हुआ कि अब चारों तरफ से इसका मतालबा है कि और गांवों के भी लेविल को इसी तरह उंचा किया जाय । अब इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में तीन हजार गांवों के लेविल को अगले जाड़ों से ऊंचा करने का प्रस्ताव जेरे गौर है ।

श्रीमन्, जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया सन् १९४८ से बराबर मुसीबत हमारे प्रदेश पर आयी विषेशकर पूर्वी इलाके में । हमारे लोगों की क्रय-शक्ति बहुत हद तक कम हो चुकी है । मुसीबत की भी एक हद होती है, ठिकाना होता है और आदमी में भी उसके बर्दाश्त करने की हद होती है । पिछले इन तीन सालों में यह जो फ़्लड ससेप्टिबिल या फ़्लड अफ़क्टेड एरियाज हैं, गवर्नमेंट की तरफ से दो करोड़ रुपये की तकावी दी गई । सन् १९४८, १९४९, १९५० और १९५१ में कितनी तकावी दी गई वे आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं । लेकिन सन् १९५२, १९५३ और १९५४ में लगभग दो करोड़ की तकावी दी गई । मतालबे भी पुराने इतने पड़े हुए हैं । वे काफ़ी वसूल भी हुए हैं, और जहां तक मेरा ख्याल है ज्यादातर वसूल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन मतालबों में से कुछ हिस्सा, विशेषकर उन इलाकों में जो कि बराबर बाढ़ ग्रस्त होते रहे हैं, वसूल नहीं हो पाया है । श्रीमन्, मुझे आपके जरिये सदन को बताने में यह खुशी होती है कि जिन गांवों के अन्दर सन् १९५३ और १९५४, दोनों साल बराबर, यह दैवी या नेचुरल केलेमिटी आयी हैं, ओले पड़े हैं या बाढ़ आयी है, या सूखा पड़ा है वहां के निवासियों को सन् १९४८ से लेकर सन् १९५४ तक कानून नं० १२ सन् १८८३ के मातहत जो तकावी तथा गांव बनाने, बैल, बीज व खाद खरीदने आदि के लिये शार्ट टर्म लोन्स और उसी तरह की छोटी-मोटी तकावी दी गई है, वह सरकार ने माफ कर दी है । श्रीमन्, इसकी रकम ३० लाख रुपये के लगभग बैठती है । तो यह ३० लाख रुपये माफ किये गये । इसके अलावा श्रीमन्, मकान बनाने के लिए ख्वाह किसान हों या गैरकिसान हों, क्योंकि अब की बार तो आजमगढ़ में और जौनपुर में खास तौर से शहर के बाशिन्दों को भी मकान की तरफ से बहुत नुकसान हुआ है, ३० लाख रुपये का कर्जा देने का विचार है । इस कर्जे पर कोई सूद न लेने का निश्चय गवर्नमेंट ने किया है । साथ ही साथ इस वर्ष जो शार्ट टर्म तकावी दी जाएगी उसका अनुमान अभी १ लाख २० हजार रुपया बैठता है । श्रीमन्, गवर्नमेंट ने निश्चय किया है कि वह भी इंटरेस्ट फ्री होगी और कोई सूद उस पर नहीं लिया जायगा । यह इंटरेस्ट का जो मतालबा बैठ रहा है श्रीमन्, जो कि पुराने रूल्स के मुताबिक आता है, वह २० लाख रुपये के करीब बैठता है । २० लाख से कुछ ज्यादा ही बैठता है । तो ३० लाख की माफी वह और २० लाख की यह सूद की माफी कहो या जो कुछ कहो, इस तरह यह ५० लाख रुपये की राहत हमारे गरीब जनवर्ग को होगी । श्रीमान्, मुहकमे उद्योग की तरफ से पिछले वर्ष २ लाख ३२ हजार रुपये खर्च किया गया था । कोइ ७५ स्पिनिंग सेंटर्स कायम करने के लिये और इस वर्ष भी लगभग २ लाख रुपये इन फ्लड अफेक्टेड जिलों में करीब ६० सेंटर्स कायम करने के लिये बजट में मौजूद है । लेकिन कुछ लोगों को और राहत मिल जाय इस दृष्टि से मुहकमे इंडस्ट्रीज की तरफ से २ लाख ४३ हजार रुपये और खर्च करने का निश्चय किया गया है जिसमें १४ हजार चरखे तकसीम करने के लिए, जिनकी कीमत ८ रुपया फी चरखा के करीब पड़ती है। १ लाख १२ हजार रुपया, और फी हुंडी २ आने की सब्सिडी देने के लिए १ लाख ३१ हजार रुपये के करीब निश्चय किया गया है । यह २ लाख ४३ हजार रुपये गरीब औरतों को कुछ रोजगार मिल सके,

इस ख्याल से देने का गवर्नमेंट की तरफ से निश्चय किया गया है। श्रीमान, इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल्स और हायर सेकेंड्री स्टेज तक के स्कूल वाक्य हैं उनसे दिसम्बर तक जितनी फीस इन बच्चों की होगी, वह सब गवर्नमेंट अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को या अगर प्राइवेट स्कूल हैं तो उनके मैनेजमेंट को देगी।

श्रीमन् मुहकमे माल की तरफ से एक निश्चय और किया गया है जिसका अन्दाज नहीं किया जा सकता। इधर के जो मध्यवर्त्ती लोग हैं उनका ५० रुपये तक का मुआवजा तो नकद दिया ही जा रहा है और बहुत कुछ दिया भी जा चुका है लेकिन बड़ी रकम जो उनको दस्तावेज की शकल में ही दी जानी है और बहुत लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके दस्तावेजात उनको मिल जांय। बहुत लोगों की कोशिश होती है लेकिन सबकी ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती। तो हमने यह निश्चय किया कि आगे तीन महीने के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से जो बांड्स जारी होंगे और गवर्नमेंट की तरफ से जो बांड्स तैयार करने की उनसे दरख्वास्त की जायगी, वह केवल फ्लड अफेक्टेड एरियाज के इंटरमिडियरीज के लिए ही होगी और दूसरे जिलों के लोगों की तीन महीने के बाद बांड्स तकसीम किये जायंगे ताकि बांड्स उनके पास हो जायं और वह उससे अपनी इच्छा को पूरी करना चाहें तो करें। श्रीमन्, अकबरपुर से लेकर टांडा तक रेलवे लाइन किसी जमाने में कायम थी और पिछली लड़ाई के जमाने में हटा दी गयी थी। उस रेलवे को दोबारा बनाने के लिए हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया से दरख्वास्त की है। अगर उन्होंने मंजूर कर लिया, जैसा कि हमको आशा है कि मंजूर कर लेंगे, अगर्चे उनकी मौजूदा स्कीम के अन्दर वह लाइन नहीं आ रही और उनकी कुछ मजबूरियां हैं। उससे हजारों आदमियों को रोजगार मिलेगा और इस इलाके को सहूलियतें हो जायंगी।

श्रीमन्, गोरखपूर और आजमगढ़ में कुछ बांध, जो कि पुराने थे, टूटे और उसके सिलसिले में दो रायें हैं। कुछ लोगों का उसके सिलसिले में कुछ कहना है और दूसरों की कुछ राय और हो सकती है। वह एक टेक्निकल बात, एक विशेषज्ञों के जानने की बात है। मैं समझता हूं कि बहुत से साहबान को मालूम हो चुका होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ दिन हुए, अब से ४-५ दिन पहले यह निश्चय कर लिया था कि एक एक्सपर्ट्स कमेटी बिठलाई जाय जोकि इस बात की तहकीकात करे। वह कमेटी मुकर्रर हो चुकी है जिसके चेयरमैन हमारे पी० डब्ल्यू० डी० के सेक्रेटरी श्री गोविन्द नारायण, जो कि एक बहुत योग्य व्यक्ति हैं, होंगे उसके अलावा श्रीमन्, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, ३,००० गांवों का लेविल ऊंचा करने की बात जेर तजवीज है और गालिबन मंजूर हो जायगी।

अब यह श्रीमन्, मैंने मुख्तसरन गवर्नमेंट की तरफ से जो किया गया है वह बताने की कोशिश की। लेकिन इस सारे काले चित्र में श्रीमान्, दो तीन सफ़ेद चमकने वाली धारियां हैं, या लाइन्स हैं, जिन पर हममें से प्रत्येक आदमी गर्व कर सकता है। श्रीमान्, २५ तारीख की बात है, प्रेस से संबंधित कुछ मेरे मित्र मेरे कमरे में बैठे थे। वह मुझको कुछ सुझाव दे रहे थे कुछ बाते जानने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि इस वर्ष मुझको उतनी चिन्ता इस बाढ़ के सिलसिले में नहीं है जितनी कि हुआ करती थी, बावजूद इसके कि नुकसान कहीं ज्यादा २५ जुलाई तक होने की आशंका है। २५ तारीख तक ये खबरें हमारे पास आयीं तो मैंने गौर किया और मैंने ऐनेलाइज किया कि आखिर मेरा यह विचार क्यों बना हुआ है? यह चिन्ता क्यों नहीं हो रही है? तो श्रीमन्, उसका कारण यह है कि चिन्ता आदमी को तब होती है जबकि वह कुछ कर सकता हो और अपनी गफलत के कारण न कर पाया हो। उसकी गफलत के कारण दबी आत्मा को एक खेद, पश्चात्ताप और नदामत महसूस होती है। लेकिन श्रीमन्, मुझे दरअसल यह कहने में खुशी होगी कि राज्य कर्मचारियों ने आम तौर पर जिनमें से बहुत से तो बिल्कुल नौजवान अफसरान हैं, इस लगन के साथ काम किया, इस ईमानदारी के साथ काम किया, इस मेहनत के साथ काम किया कि जिस पर सूबे और आप सब लोग, जिनको कि सूबे की खिदमत करने का मौका मिला है, अपना सर ऊंचा करके चल सकते हैं। वह लोग जिन

[श्री चरणसिंह]

से कि मुझको यह आशंका थी कि कुछ न कुछ छिद्रान्वेषण करेंगे, मैंने उनके बयानों को भी देखा। सबने मुक्त कंठ से अफसरान की तारीफ की। बार असोसिएशन के रेजोल्युशंस और दो चार इधर के खत, मेरे माननीय सदस्यों के पत्र, सब से एक ही ध्वनि निकलती थी कि यथासम्भव और यथाशीघ्र जितना हो सकता था वह राज्य कर्मचारियों ने इस विपत्ति में किया।

श्रीमन्, मैं समझता हूं मैं हकबजानिब हूंगा अगर मैं गवर्नमेंट की तरफ़ से और इस विधान सभा के मेम्बरान की तरफ़ से इन जन-सेवकों को मुबारकबाद दूं। दूसरी बात जिस पर हम सब को खुशी होनी चाहिये वह यह कि राज-कर्मचारी और दूसरे जन-सेवक, राज कर्मचारी भी पब्लिक सर्वेन्ट हुये और जो लोग गवर्नमेंट के अनुशासन में इस तरह बंधे नहीं हैं वे भी पब्लिक सर्वेंट्स हुये, तो आफ़िशली जो पब्लिक सर्वेन्ट्स हैं वे और जो नान-आफ़िशल पब्लिक सर्वेन्ट्स कहलाते हैं वे, इस वर्ष उन्होंने कन्धे से कन्धा मिला कर काम किया है और दोनों में होड़ लगी रही है इस बात की कौन अधिक सेवा करता है। यह बात जहां अपने आप ही एक खुशी का मुकाम है वहां इस बात की भी शहादत है कि राज्य-कर्मचारियों ने अच्छा काम किया है वरना गैर-सरकारी जन-सेवक शायद इस तरह से उनसे कन्धे से कन्धा मिला कर काम न कर सकते। तो जहां तक नान-आफ़िशल्स का तालुक है, कांग्रेस-मैनों की जिम्मेदारी तो है ही लोगों की सेवा की। क्योंकि उनका बहुत बड़ा आर्गनाइजेशन है, हर तरफ उनका जाल बिछा हुआ है। लेकिन मैं उनको मुबारकबाद का इतना मुस्तहक़ नहीं समझता हूं जितना कि कांग्रेस के अलावा और दूसरे दलों के जो लोग हैं, उनको जिन्होंने हमारा इस काम में हाथ बंटाया। श्रीमान्, और भी जो परोपकारी लोग हैं, जिनके पास परमात्मा ने पैसा दिया है उनमें से भी कुछ कानपुर के लोग और यही नहीं कि इसी प्रदेश के बल्कि बाहर के भी, बम्बई तक से लोगों ने आफ़र किया कि हम सेवा करने के लिये तैयार हैं, गवर्नमेंट जो चाहे हमसे सेवा ले। तो जहां तक जन-शक्ति का ताल्लुक था हम उनकी जरूरत महसूस नहीं करते थे, हमने उनको तकलीफ़ नहीं दी, लेकिन मैं जिस बात पर बल देना चाहता हूं वह यह कि जो इतनी बड़ी आपत्ति हमारे प्रदेश पर टूटी उसका मुकाबिला करने के लिये लोग कटि-बद्ध थे। श्रीमन्, यह हर्गिज मैटर नहीं करता कि विपत्ति कितनी बड़ी थी। रुपये के टर्म्स में कितना नुकसान हुआ, ठीक आन्दाज नहीं, लेकिन वैसे एक मोटे से अन्दाज से ४० और ५० करोड़ के बीच में बैठता है। लेकिन श्रीमान्, ये ४०, ५० या ८० और १०० करोड़ भी मैटर नहीं करते। मैटर यह करता है कि लोग इस मुसीबत का किस स्पिरिट से मुकाबिला करने को तैयार हैं। जब आदमी कमर कस कर तैयार हो जाता है तो यह ८० और १०० करोड़ की पूर्ति की तो दो साल में हमारा किसान कर सकता है। सवाल यह है कि मुसीबत देख कर एक आदमी पराजय की भावना लेकर लेट जाता है और विपत्ति का मुकाबिला नहीं करता या कमर कस कर उसका मुकाबिला करने के लिये खड़ा हो जाता है। दोनों में बड़ा अन्तर है। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि हमारे लोगों ने बड़ी बहादुरी के साथ, हर प्रकार के जन-सेवकों ने बड़ी तत्परता के साथ इस विपत्ति का मुकाबिला किया। तो यह तो हमारा कर्तव्य हुआ कि हमने इस प्रकार की विपत्ति का मुकाबिला किया और यह हमारा प्रिवेलेज भी था जिस पीढ़ी के सामने देश गुलाम था उसी पीढ़ी ने उसको आजादी मिलते हुये भी देखा। तो श्रीमान्, जो हमारी समस्यायें हैं वे हमें हल करनी हैं, यह हमारा कर्तव्य है। लेकिन मैं इसको प्रिवेलेज मानता हूं आने वाली पीढ़ी के मुकाबिले में कि तीन पीढ़ियों के बाद, ५० साल बाद देश की समस्यायें हल हो चुकी होंगी लेकिन हमको उन विपत्तियों और समस्याओं को हल करने का मौका मिला। श्रीमन्, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे खुशी होती है कि हम परीक्षा में सफल निकले और उत्तीर्ण हुये।

श्रीमन्, बावजूद इसके कि जो सम्भव था वह किया फिर भी हो सकता है कि कुछ मुकामों पर और कुछ मौकों पर अफसरान की तरफ से यानी गवर्नमेंट की तरफ से उतना नहीं हो सका है जितना कि वह कर सकते थे या जितनी कि आप आशा करते थे। तो श्रीमन्, माननीय मित्रों की तरफ से जो भी सजेशन्स हों मैं उनका बड़ी खुशी से स्वागत करूंगा और सजेशन्स और तजवीजों

का स्वागत ही नहीं करूंगा बल्कि जो आलोचनायें होंगी उनका भी बड़ी खुशी से स्वागत करूंगा ताकि आगे के लिये इस गवर्नमेंट को ऐसी विपत्ति का मुकाबला करने में और अधिक सफलता प्राप्त हो।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही ध्यान से माननीय राजस्व मंत्री जी का बयान सुना। मैं इस सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं सरकार से और आप से भी कि जैसी कि परम्परा पार्लियामेंट में है कि किसी माननीय मंत्री को यदि कोई महत्वपूर्ण वक्तव्य देना होता है तो उसकी प्रतिलिपि माननीय सदस्यों को पहले से मिल जाती है। अगर इस तरह की चीज पहले से हम लोगों को मिल जाया करें तो ज्यादा वक्त बच जाया करे। इस वक्त हमने कई बातें ऐसी सुनी हैं, जिनसे मैं स्वयं कन्फयूज हूं। कोई कार्य तुरन्त कायम करना इतने गम्भीर मसले पर सम्भव नहीं।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य चाहें तो दो मिनट के लिये स्थगित करके इसकी प्रतिलिपि माननीय सदस्यों के सामने रखवा दूं, वह अभी मेरे पास आई है।

["उत्तर प्रदेश की बाढ़ स्थिति" की प्रतिलिपि सदन में वितरित की गई।]

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—श्रीमन्, जो यह रिपोर्ट अभी हमको मिली है वह सदन के उठने से आधा घंटे पहले ही मिली है। अगर इसके ऊपर आज विचार न करके कल विचार किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि हम उसके ऊपर विचार कर लेंगे वरना इसके मिलने और न मिलने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि नेता विरोधी दल के भाषण में ही समय समाप्त हो जायगा। वह तो स्टडी करके ही आये होंगे।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिये बड़े शर्म की बात है कि मुझको पहले ही पहल कई लाख आदमियों की तकलीफ को सुनाने का मौका मिला। माननीय राजस्व मंत्री ने बहुत विस्तार के साथ बातें बतायी हैं और उतने विस्तार से उनका उत्तर देना, कई बातें ऐसी हैं जिनका उत्तर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें समय अधिक लगेगा।

मैं सबसे पहले राजस्व मंत्री जी की खिदमत में यह पेश करना चाहता हूं कि जो कारण उन्होंने बाढ़ के बताये हैं वे कारण ऐसे उन्होंने बताये हैं कि जिनके लिये वह खुद जिम्मेदार हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह बाढ़ आदमी की लायी हुयी है और इसमें सरकार का दोष है। सरकार को कोई खुशी इससे नहीं हो सकती कि इतनी बड़ी प्राकृतिक आपत्ति आये और वह सरकार का एक साधारण कार्य न होकर असाधारण कार्य हो जाय और उस पर सरकार अपना इतना धन व्यय करे और अपने कर्मचारियों की ताकत उसमें लगाये और उसकी सारी शक्ति उसमें लगे, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कारण बताये हैं कि सन् १९४६ के बाद से बाढ़ का आना करीब-करीब प्रति वर्ष जारी है, उसके लिये जो कारण उन्होंने बताये हैं वह ऐसे हैं जैसे कि पेड़ों का काटा जाना और नदियों का मिट्टी से भरना। यह मैं मानता हूं कि असाधारण वर्षा हुई, लेकिन जो दूसरे कारण उन्होंने बताये कि पेड़ों का कटना, कुछ किसानों का दोष बताया है कि उन्होंने खेतों को गलत तरीके से जोतना शुरू किया और वह इस प्रकार से गलत जोतने लगे कि जिसमें नदी में ज्यादा खेतों से मिट्टी आने लगी और इससे जो नदियों की धारा जो पहले थी वह भर गयी और वह छिछली होने के बाद पानी जो आया तो वह ऊपर ज्यादा फैल गया इस वजह से बाढ़ आ जाती है। इन सभी कारणों की यदि जड़ में जायं तो मैं कह सकता हूं कि स्वयं राजस्व मंत्री जी दोषी हैं इस पर वह जरा विचार करें। मैं उनको दोषी करार नहीं देता हूं

[श्री गेंदा सिंह]

लेकिन जो कारण उन्होंने बताये हैं और सन् ४६ के बाद की रिपोर्ट का जो जिक्र किया, मैं मानता हूं कि उसमें बहुत पुरानी बातों का जिक्र है, लेकिन मैं यह कहता हूं कि पेड़ों का कटना जो तेजी से शुरू हुआ वह माननीय राजस्व मंत्री के हाथ में ताकत आने के बाद ही तो शुरू हुआ। मैं नहीं कहता कि किसानों की आदत उन्होंने बिगाड़ी। उस कमेटी का जिसका जिक्र उन्होंने किया एक मेम्बर मैं भी था और मैं यदि आखिरी दिन ही उसका सदस्य न हुआ होता तो उनसे कहता कि ऐसा मत लिखो कि किसानों के खेत जोतने से नदियां भरती जा रही हैं। इस वर्ष असाधारण वर्षा हुई है और जैसा मंत्री जी ने बताया जहां ८ या ९ इंच वर्षा होती थी वहां ४०, ५० और ३७ इंच तक वर्षा हुई है। इस प्रकार २० इंच से ऊपर ही पानी बरसा है और उस पानी को निकलने की जगह चाहिये, परन्तु उसके लिये प्रबन्ध नहीं है इसलिये बाढ़ आयी। माननीय मंत्री जी ने कहा कि पिछले ८, १० वर्षों में पेड़ व जंगल बहुत कट गये और चरागाह कट गये और इसलिये बाढ़ आई। जहां तक नदियों के सिल्ट होने की बात है वह सही है लेकिन इसका दोष केवल किसानों के ऊपर ही डालना ठीक नहीं है। पहाड़ों में जो जंगल काटे जा रहे हैं और धूल और पत्थर नीचे आते हैं उनसे भी नदियों का रास्ता रुकता है और पानी फैलता है। उन्होंने कहा कि जिन नदियों से वे बाढ़ की आशा करते थे उनमें बाढ़ न आकर दूसरी नदियों में आई। मैं चाहूंगा कि यहां वह अपने को दुरुस्त कर लें यह ग़लत है। अगर फैजाबाद या बहराइच में घाघरा डेंजर लेबिल से ऊपर आ जाती है तो जैसा उन्होंने कहा है ज्यों-ज्यों नदियां नीचे की ओर जाती हैं त्यों-त्यों खतरा बढ़ता जाता है कोई वजह नहीं है कि बस्ती में वह डेंजर लेबिल से नीचे जायंगी। फैजाबाद में १ इंच डेंजर लेबिल के ऊपर जाता है तो बस्ती में २ इंच और ३ इंच और गोरखपुर में उससे ज्यादा जा सकता है और उसके आगे उतना ही अधिक होता जायगा। तो फिर जिन लोगों ने मंत्री जी को यह रिपोर्ट दी है वह उन्हें समझावें।

मैं कहता हूं कि घाघरा, राप्ती, सरजू, बड़ी गंडक और छोटी गण्डक, सई और गोमती ने सब ने लखनऊ के पूरब ही नुकसान पहुंचाया है। लखनऊ के पश्चिम पानी का अभाव है लेकिन पूरब में इस कदर पानी बरसा है कि नदियां अपनी धारा के अन्दर न रह सकीं और यहां तक बर्बादी हुई कि किनारे के गांवों के अलावा उन्होंने दूसरे देहातों को भी बहुत हानि पहुंचाई। हम जब तक कि इस बाढ़ की पूरी तस्वीर को न समझ लेंगे तब तक शायद सहायता करने में भी असमर्थ ही रहेंगे। इसलिये सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस तस्वीर का सम्बन्ध है हमें बहुत सतर्क होकर इस को तैयार कराना चाहिये। फैजाबाद, गोरखपुर और बनारस डिवीजन में करीब ४७ हजार गांव हैं, अगर मैं ग़लती पर होऊं तो माननीय राजस्व मंत्री जी मुझे दुरुस्त कर दें।

श्री चरण सिंह---आपका यह ख़याल बिल्कुल गलत है।

श्री गेंदा सिंह---मैं समझता हूं कि वे जल्द ही दुरुस्त कर दें तो अच्छा है लेकिन उस वक्त तक मैं ४७ हजार लेकर ही चलता हूं।

श्री चरण सिंह---गोरखपुर डिवीजन में १५ हजार से ज्यादा गांव नहीं हैं और फैजाबाद एक छोटा जिला है।

श्री गेंदा सिंह---फैजाबाद डिवीजन में संभवतः १४,१६३ गांव हैं, बनारस डिवीजन में १३,९८८ तथा गोरखपुर डिवीजन में १९,४९१ गांव हैं। यह मैं जो मंथली बुलेटिन यू० पी० सरकार का निकलता है उससे पढ़ रहा हूं। अब इन डिवीजनों के २२ हजार गांव बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में आते हैं। अब मैं इसको भी फिर से दुरुस्त करने

के लिए कहूंगा जैसा कि कहा गया है कि केवल ६० लाख एकड़ तथा ८० लाख आदमी ही बाढ़ से इफेक्टेड हुए हैं। इन तीनों डिवीजनों की आबादी २ करोड़ ४० लाख है और गांवों की तादाद बाढ़ग्रस्तों की २२ हजार है। यह करीब-करीब आधे गांव होते हैं। उसके हिसाब से आबादी भी करीब आधी ही बाढ़-ग्रस्त होनी चाहिये। तो इस हिसाब से एक करोड़ से ज्यादा आदमी बाढ़ग्रस्त हुए। मेरा इससे मतलब यह कभी नहीं कि मैं इन आंकड़ों के चक्कर में पड़ूं। इसके द्वारा मैं सिर्फ उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि मेरा ऐसा ख्याल है कि जिलों से जो रिपोर्ट्स आती हैं उन रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी चीज भी होती हैं जो ग़लत होती है। यद्यपि सरकारी अधिकारियों की ईमानदारी और काम के बारे में माननीय मंत्री जी ने बहुत प्रशंसा की और मैंने भी जो बाहर देखा उससे प्रभावित हुआ और उसको देखकर मेरे मन में उनकी प्रशंसा करने की बात आती है। लेकिन माननीय मंत्री जी जो कुछ कहते हैं वह ठीक ही है क्योंकि उनको उनसे काम लेना है मुझे भी अच्छी बात को अच्छी कहने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आंख मूंद कर ऐसा कह देना एक ग़लत बात होगी। क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत ढिलाई भी इस विषय में की है। केवल ढिलाई ही नहीं की बल्कि जरूरत से ज्यादा ऐसा कार्य किया है, जिसके द्वारा सरकार को वस्तुस्थिति से दूर रखने का प्रयत्न किया है। अगर वे जानना चाहेंगे तो मैं उनको बता दूंगा। मैं किसी भी भले आदमी की प्रशंसा करने से डरता नहीं हूं लेकिन ऐसे लोगों को भी बताने की कोशिश करूंगा जिन्होंने सरकार के सामने ग़लत बात को रक्खा है। उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं कि एक आफिसर ने यह लिखा है कि ९४ गांवों में बाढ़ आयी। यह उसने आंख मूंद कर लिखा है। तो उसने आंख मूंद कर इसलिये लिख दिया कि ९४ गांव किसी नदी की हमेशा बाढ़ से डूब जाया करते हैं। लेकिन उसके बाद जब रकबा लिखने की जरूरत मालूम हुई तो एक एक गांव में जहां ५ या ६ हजार एकड़ खेत होते हैं वहां ९४ गांवों के लिये उस अफसर ने सिर्फ ५ हजार एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा, लिखा। और सच बात यह थी कि ९४ गांव जो डूबे हुए थे उनकी ४०-५० हजार एकड़ जमीन की फसल बरबाद हो गयी। जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की नोटिस में यह बात लायी गयी तो कुछ परेशानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी हुई और फिर उन्होंने उनको समझाने-बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनके लिये परेशानी तो यह मालूम हुई कि जब पहली मर्तबा प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में लिखा दिया कि ५ हजार एकड़ जमीन की फसल बरबाद हुई तो फिर ज्यादा अब किस तरह से लिखूं। अभी इस तरह का झगड़ा चल रहा है, पता नहीं क्या हो। तो इस तरह की रिपोर्ट जब आती है तो सही तस्वीर बाढ़ की हमारे सामने नहीं आ पाती।

माननीय राजस्व मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से आंका और उन्होंने बहुत सही कहा है कि अबकी मर्तबा सिर्फ नदियों के किनारे के गांवों को ही नुकसान नहीं पहुंचा बल्कि वाटर लागिंग की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। जहां पहले पानी नहीं टिकता था। वहां भी पानी के रुकने से फसलों को बहुत नुकसान हुआ। तो अब ऐसी हालत में मैं सबसे पहली बात तो यह कहना चाहूंगा कि हमारे सामने वाटर लागिंग की तस्वीर भी होनी चाहिए। सिर्फ नदियों की तरफ ही ध्यान न रखकर उन गांवों की तरफ भी ध्यान रख कर अपने नक्शे को बनावें। जहां पहले कभी बाढ़ नहीं आती थी वहां भी अबकी मर्तबा बाढ़ आयी और उससे नुकसान पहुंचा। यदि ऐसा न हुआ तो इस तरह से सही तस्वीर हमारे सामने नहीं आ पावेगी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो मुझे यह कहनी थी और इसके बाद मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वहां सरकार ने प्रबन्ध किया है और बहुत से नायब तहसीलदारों को भेजा है कि वे जाकर अन्दाजा लगावें लेकिन जो अन्दाजा लगाने वाले हैं, वे जो प्रारम्भिक रिपोर्ट सरकार के पास भेज चुके हैं, उसके बाद उनके सामने ऐसी कठिनाई होती है कि फिर दूसरी रिपोर्ट देने में वे समझते हैं कि हम झूठे साबित हो जायेंगे और इसके लिये उनको दफ्तर से कुछ डांट भी पड़ती है। तो खुल्लमखुल्ला

[श्री गेंदासिंह]

उनको इस बात को कह देना चाहिये कि अगर प्रारम्भिक रिपोर्ट उन्होंने गलत भेज दी है तो वे फिर सही रिपोर्ट भेज दें, इससे उनकी कोई बदनामी नहीं होगी और न सजा ही दी जायगी। अगर इस तरह का आश्वासन सरकार उनको दे दे तो सरकार के सामने सही रिपोर्ट आ सकती है। अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के सही हालात जानने के लिये यह बात आवश्यक है। माननीय राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि बाढ़ कुछ अच्छी चीज भी है लेकिन राजस्व मंत्री जी की सलाह से नाप-जोख कर तो बाढ़ कभी आयेगी नहीं।

श्री चरण सिंह---कहीं-कहीं नुकसान हुआ है, जैसे देवरिया में बाढ़ आने से बहुत से चूहे मर गये जिससे लोगों को तकलीफ है। (हंसी)

श्री गेंदा सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि बाढ़ अच्छी साबित हो सकती है जब कि वह अन्त में फसल कटने के बाद खाद के रूप में काम देने के लिये आवे। पहले फसल कटने के बाद आम तौर पर कुआर में बाढ़ आती थी। जब खरीफ की फसल कट जाती है तो रबी की फसल के लिये बाढ़ खाद का काम दे जाती है और वह एक तरह से उसके लिये आशीर्वाद के रूप में होता है। लेकिन यदि पानी अधिक दिन तक जमा रहता है या एक दो बालिस्त फसल रहती है और तब बाढ़ का पानी आता है तो हमको बाढ़ के पानी के सिर होकर नावों पर घूमना पड़ता है और आठ-दस-रोज की फसल के लिये वह बाढ़ आशीर्वाद के रूप में नहीं आती, बल्कि वह उनको नष्ट करने के लिये आती है और फिर वह नाप-जोख न तो मंत्री जी के वश की है और न सरकार के या हमारे। हमारे प्रधान मंत्री जी, पंडित जी ने यहां कहा था कि कुदरत की तरफ से बदइन्तजामी हो गई, तो वह बदइन्तजामी तो हो गई, उसका इलाज न मेरे पास है और न मंत्री जी के पास है और हमें उस बदइन्तजामी को मान लेना चाहिए। और इस विज्ञान के युग में जितनी बड़ी यह समस्या है उसका उतना ही बड़ा इलाज भी होना चाहिये। इतनी बड़ी समस्या पहले कभी हमारे सामने नहीं आई थी, बाढ़ पिछले साल भी आई थी और त्योर ससाल भी आई और उसके पहले भी, लेकिन इस वर्ष वह इतनी बड़ी आयी कि पहले कभी नहीं आयी थी। अगर यह समस्या आयी और बकौल मंत्री जी के उसमें २२ हजार गांव अफेक्टेड हुए। हमारे प्रदेश में १ लाख ११ हजार गांव हैं और उनमें से २२ हजार गांव इस मुसीबत में पड़ गए इसलिए हमें इसका प्रबन्ध उसी पैमाने पर करना है। मैं उसकी कोई आलोचना या चुटकी नहीं लेना चाहता कि सरकार ने चिराग जलाने का तेल, दियासलाई चना या नमक बांटने में क्या खर्च किया, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि सरकार ने जो कुछ भी खर्च किया है वह जरूरत को देखते हुए केवल नमक के बराबर भी नहीं है। मैं कहता हूं कि इस सदन में सबसे अधिक चतुर आदमी हैं हिसाब लगाने में तो वह माननीय माल मंत्री हैं और वह ज्यादा हिसाब लगा सकते हैं। एक-एक आदमी पर कितना-कितना रुपया दिया गया और कितने आदमी इसमें लाभान्वित हुये। मैंने देखा जरूर वहां जाकर और जो मैंने देखा वह मैं उनकी खिदमत में जरूर कह दूंगा और मैं तो वहां डर गया। जब मैं कुछ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में गया तो मुझसे वहां के सरकारी अधिकारियों ने कहा कि वहां के लिए चना, नमक बांटने के लिए तुम भी रखवा लो, मैंने कहा कि भाई मुझे चना, नमक वगैरह न दो और मुझे उन लोगों की हालत जान लेने दो और मुसीबत वाले लोगों से भेंट करने दो। वहां जहां सरकार का ध्यान गया था और कुछ गांवों का लेविल ऊंचा कराया गया था वहां मैं पहुंचा वहां कम से कम इतना जरूर था कि गांव के लोग कुछ ऊंची सूखी जमीन पर खड़े थे और उनको इतना सन्तोष जरूर था कि वह पानी के भीतर सूखी जमीन पर हैं। यह काम अच्छा हुआ लेकिन मैं वहां पहुंचा तो गांव भर के लोग मुझसे चना मांगने लगे, वह बहुत परेशान थे, मैंने उनसे कहा कि भाई मैं चना तो दे नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, मुझे वहां उनकी दशा देखकर

बड़ी दया आई। सैकड़ों आदमियों ने मुझसे आकर कहा कि उनके घर में खाने को नहीं है। वह वह जगह थी जहां लगातार ७ साल से बाढ़ आती है और उन बाढ़ के मारे गांवों में से वह एक गांव था। पहले साल में रबी की फसल कुछ हो गयी थी वह भी खरीफ की फसल पैदा करने में खर्च हो गयी, पहले उनकी मजदूरी लग जाती थी और वह मुसीबत में मजदूरी करके पेट पाल लेते थे और जिनके पास खेती नहीं थी वह दूसरों के, जिनके पास खेती थी उनके खेतों में मजदूरी कर लेते थे और जिनके घरों में थोड़ा बहुत नाज होता था, जो लोग कर्ज देते थे वही कर्ज लेने वाले अब बन गये हैं। न किसी की मजदूरी लगती है, नाव तक उनके पास नहीं जिससे वह दूसरी जगह ही जाकर मजदूरी कर सकें। इतनी नावें आएं भी कहां से कि हजारों आदमी वहां से रोज जाकर सूखी जमीन पर मजदूरी कर सकें। कर्जा कहीं से मिल नहीं सकता और इस तरह से आठ, पांच या दो दिन में अगर ४ छटांक या २ छटांक चना मिल भी जाय इससे उनकी गुजर का बन्दोबस्त नहीं होता और न मानता हूं कि इस प्रकार से किसी का गुजर या बन्दोबस्त कराया जा सकता है।

यह समस्या ऐसी नहीं है कि सरकार लोगों को कुछ थोड़ा बहुत बांटकर और लोगों को सहायता देकर सारी मुसीबत को हटा सके। ऐसा मैं जरूर सोचता हूं कि जहां पर ऐसी अवस्था हो, इस मुसीबत को क्यों न रफा हमेशा के लिये कर दिया जाय। यही उपाय हमें सोचना चाहिये और इस बात को भी कहूंगा कि हमारी सरकार इस मुसीबत को रफा कर सकती है। यह मैं नहीं मानता कि वह बाढ़ रोक सकती है या पानी के बरसने को कंट्रोल कर सकती है लेकिन सरकार का काम यह है कि वह कम से कम जो मुसीबत आती हैं उसका इलाज करे और मेरा विश्वास है कि इस वैज्ञानिक युग में इसका इलाज ढूंढ़ा जा सकता है। आज के वैज्ञानिक युग में कोई भी काम असम्भव नहीं है। हमारे सामने कुछ आदर्श हैं। मैं अमरीका का आदर्श अपनी सरकार के सामने रखने का साहस नहीं कर सकता, इसलिये कि उनके यहां तो बिलियन डालर्स के खर्चे की बात होती है। यह सुनकर हमारी हिम्मत टूट जाती है कि हम हिन्दुस्तान में शायद वैसी बात न कर पायेंगे, हालांकि एक दो वर्षों में उन्होंने भी नहीं किया बहुत वक्त लगा और उस पर भी हमें विचार करना चाहिये। बहरहाल कोसी प्रोजेक्ट वगैरह की जो बात है बिहार में १ अरब ३७ करोड़ रुपये खर्च करके बाढ़ को रोकने का प्रयत्न हो रहा है और उसका बन्दोबस्त किया जा रहा है। उस तरह की चीज की जरूरत है लेकिन चीन के आदर्श बाढ़ वाले काम को मैं अच्छा समझता हूं।

श्री चरण सिंह--जी हां, चीन का।

श्री गेंदा सिंह--राजस्व मंत्री जी चीन का नाम सुनते ही नाराज होने लगते हैं लेकिन हम नहीं कहते हैं कि कुंवर सेन साहब जो हमारे हिन्दुस्तान के वैज्ञानिक हैं, जो चीन भारतवर्ष से भेजे गये थे और उन्होंने जो आ करके अपना मत दिया था उस मत से मैं भी प्रभावित हुआ हूं। मैं समझता हूं कि सरकार को उससे सबक लेना चाहिये। सरकार को ऐसे-ऐसे काम भी उठाने चाहिये कि जिससे बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों को रोजी मिल सके, लेकिन सिर्फ रोजी देने के लिये ही ऐसे कोई काम नहीं करने चाहिये, जो अवैज्ञानिक हों और वह कहीं पानी के रास्ते को रोक दें और कहीं किसी फसल को बरबाद कर देने का जरिया बन जायं, यह बात नहीं होनी चाहिये। उसके लिये बहुत ही योजना के साथ हमें चलना है। हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं हमें उन्हीं पर आश्रित रहना पड़ेगा। जो इंजीनियर्स, जो विशेषज्ञ लोग हैं, ये लोग जब इस वक्त बाढ़ आई हुई है अभी बाढ़ का कुछ नक्शा देख सकते हैं क्योंकि पानी का चिह्न आज भी दिखाई देता है वह गांवों में जायें और वहां जाकर देखें कि यह पानी कैसे निकाला जा सकता है। पानी इस वक्त अपने आप अपना रास्ता निकाले हुये है और अगर उसको वैज्ञानिक लोग देख पायेंगे तो उनको कुछ बनावटी काम आगे नहीं करना पड़ेगा और जिन बनावटी कामों के करने से कहीं-कहीं कुछ नुकसान भी हुआ है। राजस्व मंत्री जी को

[श्री गेंदा सिंह]

ध्यान होगा कि आजमगढ़ की एक शिकायत है। मैं वहां गया था और मैंने देखा था कि एक सड़क ऊंची की गई। बहुत जरूरी था कि वह उसको ऊंचा करें। ऊंचा न हो तो फिर शहर से रेलवे स्टेशन का सम्बन्ध बरसात में टूट जाता है। पानी ऊपर से बहने लगता है। अच्छा काम था लेकिन सड़क बनने के पहले सोचना चाहिये था कि टोंस का पानी कितने क्यूजेक्स आता है, वह कैसे निकलेगा यह ध्यान में रखने की बात थी। छोटा सा पुल बादशाही जमाने का बना हुआ है उससे कुछ पानी निकलता था और शेष ऊपर से पानी निकलता था। वहां के मुकामी विशेषज्ञों ने लिखा कि वहां पर १६० फुट का पुल बना दिया जाय तो काम चल जायगा। लेकिन यहां से आदेश हो गया कि नहीं ६० फुट का पुल बने तो काम चल जायगा। अब ६० फुट का पुल बना और उसका नतीजा यह हुआ कि उस पुल का पता नहीं कि कहां है और सड़क ऊंची हो गयी तो उसका नतीजा यह हुआ कि पानी नहीं निकल सका। मैं नहीं मानता कि टोंस में बाढ़ सिर्फ इस वजह से आयी हो लेकिन कम से कम इतना जरूर हुआ कि आजमगढ़ शहर मेरे ख्याल से डूबने से बच जाता अगर पानी निकलने का रास्ता टोंस का होता तो बांध नहीं टूटता। वह इसलिये कि यह सड़क जो इतनी ऊंची कर दी गई पानी को रास्ता निकलने का न मिलने के कारण रुक गया और उस पानी ने ऊपर तक रुक कर आजमगढ़ के बांध को धक्का मारा। लाल डिग्गी पर बांध टूट गया और टूट कर आजमगढ़ शहर को खतरे में डाल दिया। आजमगढ़ को तीन तरफ से टोंस नदी घेरे हुए है। बांध के बल पर आजमगढ़ बसा हुआ है। बांध टूट गया और १५, २० मिनट के अन्दर सैकड़ों-हजारों घर बरबाद हो गये।

मेरा कहना यह है कि इस वक्त हमारे विशेषज्ञ लोग जो हैं वे वहीं होते तो बहुत अच्छा होता। मैंने पहले भी आजमगढ़ से आते-आते तुरन्त एक स्टेटमेंट दिया था। माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करता लेकिन जल्दी में था और तुरन्त चला गया और मैंने बयान दे दिया। बयान उन्होंने पढ़ा ही होगा। लेकिन बदकिस्मती यह है कि माननीय राजस्व मंत्री ने बयान नहीं पढ़ा। क्या बतलाऊं उस जमाने में जब बाढ़ आई हुई है उस समय विशेषज्ञ लोगों का कोई काम बंगले में है नहीं। इस वक्त असली काम उनका वहां है, फील्ड में है। जो काम उन्होंने ८, ९ महीने तक किया है उसका क्या परिणाम हो रहा है, उससे क्या लाभ और हानि हो रही है अगर ये चीज वह देख लें तो आगे के लिये ठीक-ठीक प्रोग्राम बना सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि कुछ ऐसे भी काम होने चाहिये जिसमें लोगों को रोजी मिले। उस सिलसिले में मैंने यह कहा कि कि कुछ काम ऐसे हैं जिनमें पहले प्लानिंग होनी चाहिये। यह नहीं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक बंधी बना रहा है तो अलग बन्धी बना रहा है। उसका फील्ड डिवीजन से कोई वास्ता नहीं है। अगर पी० डब्लू डी० की सड़क बनती है तो उसको ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और ड्रेनेज डिपार्टमेंट से कोई वास्ता नहीं है। ड्रेनेज डिपार्टमेंट मिट्टी निकाल कर अगर नहर बना रहा है, नाली चौड़ी कर रहा है तो उसको परवाह नहीं कि अगर पानी रुकेगा तो कहां जायगा। ये अलग-अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं ये सब अपना-अपना काम करते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। जब ये सारी चीजें बन रही हैं तो निर्माण का काम नहीं रुक सकता, निर्माण का कार्य होगा। लेकिन जो कुदरती पानी का बहाव है उसे आप रोकेंगे तो उसके लिये हमें सोचना चाहिये कि कैसे हम उस पानी को निकाल सकें और जब तक उस पानी को निकालने का बन्दोबस्त नहीं कर सकेंगे और हर अगले साल बांध बनायेंगे, नहरें बनायेंगे तो नतीजा यह होगा कि पानी बरसने पर हर साल थोड़ा पानी आयेगा, बाढ़ आयेगी। तो ऐसा कोई कोआर्डीनेटेड प्लान होना चाहिये जिसके मुताबिक कम से कम वाटर लागिंग न हो।

मैं छोटे-छोटे कामों की ही ओर सरकार का ध्यान दिला रहा हूं। बड़े काम केवल स्टेट गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर स्टेट

गवर्नमेंट अपना सारा रुपया केवल बाढ़ के कामों में खर्च करने लगे तो अध्यक्ष महोदय, बड़ी शिकायत मेरी भी होगी और माननीय राजस्व मंत्री पर भी बड़ा जोर पड़ेगा। आखिर उधर जो सूखा पड़ता है, ५० परसेंट खेत ऐसे हैं जिनको सिंचाई के लिये पानी चाहिये उनको जब पानी नहीं मिलेगा तो वे परेशान हो जायेंगे कि सारा का सारा रुपया उधर खिंच जाता है। श्री रामचन्द्र विकल कैसे बैठे रहेंगे। बुलन्दशहर का किसान मानेगा नहीं। सारा पैसा तो उधर वालों ने ले लिया फिर इधर क्या हो यह उसका सवाल होगा। इसमें आपस में बहुत झगड़ा होगा और मन में यह झगड़ा होता है, मुंह से वे कहें या न कहें।

श्री अध्यक्ष---अभी आप जारी रखेंगे ?

श्री गेंदा सिंह---जी हां।

श्री अध्यक्ष---तो आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

विशुद्धानन्द,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१७ अगस्त, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १४ पर)

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की सूची तथा उनके १९५४–५५ सीजन में बन्द होने की तारीखें ।

क्रम-संख्या	नाम	बन्द होने की तारीख़	क्रम-संख्या	नाम	बन्द होने की तारीख़
१	लक्ष्मीगंज	२–३–५५	३४	तुलसीपुर	२६–४–५५
२	घुघली	८–३–५५	३५	परताबपुर	२६–४–५५
३	कठकुइया	१३–३–५५	३६	हरगांव	२८–४–५५
४	रामकोला (पी)	१७–३–५५	३७	जरवल रोड	३–५–५५
५	सिसवा बाजार	१८–३–५५	३८	सरदार नगर	४–५–५५
६	पडरौना	१८–३–५५	३९	बिलारी	६–५–५५
७	छितौनी	१८–३–५५	४०	गोला	११–५–५५
८	रामकोला (के)	२१–३–५५	४१	बुलन्द (रामपुर)	११–५–५५
९	फरेंदा	२२–३–५५	४२	अमरोहा	१२–५–५५
१०	खलीलाबाद	२७–३–५५	४३	बुलन्दशहर	१४–५–५५
११	शाहगंज	२९–३–५५	४४	बहेरी	१७–५–५५
१२	कैप्टेनगंज	३१–३–५५	४५	रजा (रामपुर)	२०–५–५५
१३	खड्डा	१–४–५५	४६	बेगमाबाद	२२–५–५५
१४	नवाबगंज	१–४–५५	४७	पीलीभीत	२६–५–५५
१५	बलरामपुर	३–४–५५	४८	सिवहारा	२६–५–५५
१६	शिवराही	४–४–५५	४९	महौली	२६–५–५५
१७	देवरिया	८–४–५५	५०	काशीपुर	२६–५–५५
१८	बिसवां	८–४–५५	५१	इकबालपुर	२८–५–५५
१९	बभनान	९–४–५५	५२	खतौली	२८–५–५५
२०	मसौधा	१०–४–५५	५३	मन्सूरपुर	३०–५–५५
२१	हरदोई	१२–४–५५	५४	मोहिउद्दीनपुर	३१–५–५५
२२	बैतालपुर	१३–४–५५	५५	जसवन्त	३१–५–५५
२३	ऐरा	१४–४–५५	५६	सिम्भौली	१–६–५५
२४	गौरी बाजार	१४–४–५५	५७	दोईवाला	५–६–५५
२५	वाल्टर गंज	१६–४–५५	५८	सहारनपुर	२९–५–५५
२६	नेवली	१९–४–५५	५९	मवाना	९–६–५५
२७	पिपराइच	१९–४–५५	६०	दौराला	८–६–५५
२८	बुढ़वल	२०–४–५५	६१	सखोती टांडा	८–६–५५
२९	बाराबंकी	२१–४–५५	६२	रोहाना कलां	१०–६–५५
३०	बस्ती	२१–४–५५	६३	धामपुर	९–६–५५
३१	मुडेरवा	२५–४–५५	६४	बिजनौर	१०–६–५५
३२	बरेली	२६–४–५५	६५	शामली	१९–६–५५
३३	रौजा	२६–४–५५	६६	लक्सर	१९–६–५५
			६७	देवबन्द	२३–६–५५

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

गोरखपुर जिले के उन ग्रामों की सूची जहां नियोजन विभाग द्वारा हाथ-नल लगे हैं।

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	हाथ-नल की संख्या	रुपया जो दिया गया	विवरण
			रु०	
१	इकोना बुजुर्ग ..	१	१००	
२	ककरही ..	१	१००	
३	पकड़ी ..	१	१००	
४	परसा ..	१	१००	
५	एकोना बुजुर्ग ..	१	१००	
६	एकोना बुजुर्ग ..	१	२५	
७	फुल मनहा ..	१	७५	
८	जंगल अगही ..	१	७५	
९	छितौना बुजुर्ग	१	७४	
१०	मांधोपुर ..	१	१००	
११	बरगदवा ..	१	१००	
१२	सिउधारा ..	१	७४	
१३	बेठोलिया ..	४	१७०	
१४	मिश्रोलिया ..	२	८०	
१५	बरही ..	१	६०	
१६	रामपुरवा ..	१	९२	
१७	छितोना ..	१	९२	
१८	दुबौली ..	१	७५	
१९	भेलोड़ा ..	१	१००	
२०	बिशुनपुर ..	१	१००	
२१	धनोड़ा	१	१००	
२२	छितोना ..	१	१००	
२३	दुबौली ..	१	१००	
२४	उचेर ..	१	१००	
२५	अमारा ..	१	१००	
२६	टाड़ा ..	१	१००	
२७	नीबी दुबे ..	१	१००	
२८	नेवाईच ..	१	१००	
२९	अन्टीपार ..	१	१००	
३०	पैसा	१	१००	
३१	ढकवा	१	१००	
३२	भैंसा बाजार ..	१	१००	
३३	उरवा बाजार ..	१	१००	
३४	बढ़या	१	१००	

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम		हाथ-नल की संख्या	रुपया जो दिया गया	विवरण
				रु०	
३५	कटहरी	..	१	१००	
३६	कोड़ीराम	..	१	७५	
३७	भरोहिया	..	१	१००	
३८	बांसडीह	..	१	१००	
३९	बड़ीबन्धुआरी	..	१	१००	
४०	हरनही	..	१	१००	
४१	गोपालपुर	..	१	१००	
४२	रुद्रपुर ..	..	१	१००	
४३	रामपुर	..	१	१००	
४४	भलाव	..	१	१००	
४५	कनईल	..	१	१००	
४६	मलाव ..		१	१००	
४७	ढेंकही	..	१	७५	
४८	बिशुनपुर	..	१	७५	
४९	नरायनपुर	..	१	७५	
५०	फरसाडांड़	..	१	९०	
५१	अखुआपार	..	१	९०	
५२	अखुआपार	..	१	९०	
५३	फसाडांड़	..	१	७५	
५४	अमटोरा	..	१	९०	
५५	परमेश्वरपुर	..	१	९५	
५६	फरवहनी	..	१	१००	
५७	सरहरी ..	..	२	१००	
५८	सिहोरवा	..	१	१००	
५९	फुलवरिया		१	१००	
६०	बढ़या ..	..	१	१००	
६१	गौरा	..	१	१००	
६२	जंगल कोड़िया	..	१	१००	
६३	भीटी ..	..	१	१००	
६४	ताज डीह	..	१	१००	
६५	ठाकुरपुर	..	१	१००	
६६	शेखपुर ..	..	१	१००	
६७	मीरपुर ..	..	१	१००	
६८	बांस डीह	..	१	१००	
६९	तुकोलिया	..	१	१००	
७०	एकोना	..	१	१००	
७१	बेलघाट	..	१	१००	
७२	सुरिया	..	१	१००	
७३	बेलही	..	१	१००	
७४	जगन्नाथपुर	..	१	१००	

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम		हाथ-नल की संख्या	रुपया जो दिया गया	विवरण
				रु०	
७५	कोहदावल	..	१	१००	
७६	लक्ष्मीपुर	..	१	१००	
७७	पैसा शुमाली	..	१	१००	
७८	जगन्नाथपुर	..	१	१००	
७९	बेलही	..	१	१००	
८०	मदरी ..	..	१	१००	
८१	बेलही ..	..	१	१००	
८२	जगन्नाथपुर	..	१	१००	
८३	आनन्द नगर	..	१	७३ रु० ८ आ०	
८४	छताई ..	..	१	१००	
८५	माल्हनपार	..	१	१००	
८६	रुद्रपुर ..	..	१	१००	
८७	बेलछाट ..	..	१	१००	
८८	भरोली	..	१	१००	
८९	रानीपुर	..	१	१००	
९०	इमिलिया	..	१	९०	
९१	रानापार	..	१	९०	
९२	छबीला	..	१	८०	
९३	खड़ईन	..	१	८८	
९४	ब्रह्मपुर	..	१	८८	
९५	राधेपट्टी	..	१	९०	
९६	ब्रह्मपुर	..	१	९०	
९७	ब्रह्मपुर	..	१	९०	
९८	सघना	..	१	८०	
९९	बिशुनपुर	..	१	९०	
१००	लुहई	..	१	१००	
१०१	मोतीराम अड्डा	..	१	९०	
१०२	गोविन्दपुर	..	१	९०	
१०३	लक्ष्मीपुर	..	१	७५	
१०४	बिशुनपुर	..	१	९०	
१०५	मझगांवा	..	१	९०	
१०६	कोडरी ..	..	१	९१	
१०७	गोसाईंपुर	..	१	१००	
१०८	सहदोडाड़	..	१	१००	
१०९	शितलापुर	..	६	४२०	
११०	शितलापुर	..	२	१४०	
१११	जगरनाथपुर	..	१	१००	
११२	उरवा बाजार	..	१	१००	
११३	अहिरोली	..	१	७५	
११४	भरवटिया	..	१	१००	

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम		हाथ नल की संख्या	रुपया जो दिया गया	विवरण
				रु०	
११५	दिउटहा	..	१	१००	
११६	खजुरी ..	..	१	१००	
११७	गिरधारीपुर	..	१	१००	
११८	उचेर	..	१	१००	
११९	बिस्टौली	..	१	७०	
१२०	बिस्टौली	..	१	७०	
१२१	लक्ष्मीपुर	.	१	७५	
१२२	बरवलमाफी	..	१	१००	
१२३	मउदा	..	१	१००	
१२४	कुरी ..	..	१	१००	
१२५	मिश्रोलिया	..	१	९०	
१२६	फसाडाड़	..	१	९०	
१२७	रायगंज	..	१	१००	
१२८	जनकपुर	..	१	७५	
१२९	रामनगर	..	१	७९	
१३०	मछलीगांव	..	१	८१ रु० ८ आ०	
१३१	बरगदवा	..	१	७७ रु० ८ आ०	
१३२	गोपालपुर	..	१	९०	
१३३	लक्ष्मीपुर	..	१	७५	
१३४	बहरामपुर	..	१	१०२	
१३५	भकसा	..	१	१००	
१३६	भकसा	..	१	११०	
१३७	भकसा	..	१	१०६	
१३८	भकसा	..	१	११०	
१३९	भकसा	..	१	११०	
	योग	..	१४९	१३,४१३ रु० ८ आ०	

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२ पर)

१—छानी कोथी सड़क
२—छानी सुरोली सड़क
३—सुमेरपुर सहुरापुर सड़क
४—बेरी मोली सड़क कुरारा होकर
५—पतारा कुस्मारा सड़क
६—विदोखर सड़क
७—धुधेरपुर सड़क
८—हंगोटहा सड़क
९—मोदहा सिसोलर सड़क
१०—गहरौली विवार सड़क
११—रीवन सड़क
१२—अरतरा सड़क
१३—मुस्करा मोदहा सड़क
१४—छिरका सड़क
१५—जैतपुर महोबा सड़क
१६—श्री नगर ग्राम मार्ग
१७—कुल पहाड़
१८—पनवाड़ी सड़क
१९—अलीपुरा मकवरई सड़क
२०—मुस्करा ग्राम मार्ग
२१—अछोरा से बेन्दो सड़क
२२—बेन्दो से मोखर सड़क
२३—अछोरा से टीकर सड़क
२४—इस्लामपुर से महर तक सड़क
२५—इस्लामपुर से जरिया सड़क
२६—इस्लामपुर से वरेडा खालसा सड़क
२७—हरदुआ से वरेडा खालसा सड़क
२८—हरदुआ से बंधोली सड़क
२९—बांधुर कढ़री सड़क

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३९ पर)

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९५५

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश ५, १९५५)

यू० पी० ऐक्ट ३, १९५१, उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५५ ।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ के उपबन्धों से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ द्वारा संशोधित उक्त ऐक्ट के उपबन्धों में निर्बाध संक्रमण की व्यवस्था करने का अध्यादेश ।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ द्वारा संशोधित किया गया है, और निर्बाध संक्रमण (smooth transition) को सुकर बनाने के निमित्त यह आवश्यक है कि यूनिवर्सिटी के ऐसे निर्वाचित अधिकारियों और प्राधिकारियों के कार्यकाल (term) को नियमित किया जाय जो उक्त संशोधन अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर पदासीन (holding office) रहे हों, अथवा संगठित हों ;

राज्यपाल संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां वर्तमान हैं जिनमें उपर्युक्त रूप में तुरन्त व्यवस्था करना आवश्यक है ;

और उत्तर प्रदेश विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा है ;

अतएव, अब भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में लाकर राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश बना कर प्रचारित करते हैं :--

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ ।

१--(१) यह अध्यादेश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९५५ कहलायेगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५५ की धारा ४० का संशोधन ।

२--इलाहाबाद युनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और उक्त धारा को सदैव निम्नलिखित रूप में विधायित (enacted) समझा जायगा ।

संक्रमणकालीन उपबन्ध ।

४०--मूल अधिनियम, परिनियमों (statutes) तथा अध्यादेशों (ordinances) में किसी बात के होते हुये भी यूनिवर्सिटी के प्रत्येक ऐसे निर्वाचित अधिकारी का कार्यकाल जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ (जिसे यहां पर आगे चल कर "संशोधन अधिनियम" कहा गया है) के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर पदासीन रहा हो अथवा पदासीन समझा जाय, खंड (ख) अथवा धारा ४१ के उपबन्धों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना , पदासीन रहेगा जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तद्नुरूप अधिकारी (corresponding officer) नियुक्त न हो जायं;

(ख) ऐसे प्रत्येक अधिकारी का तथा उक्त दिनांक पर संगठित यूनिवर्सिटी के प्रत्येक अधिकारी (authority) का कार्यकाल संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तद्नुसार अधिकारी अथवा प्राधिकारी (authority) के नियुक्त, निर्वाचित अथवा संगठित होने पर समाप्त हो जायगा (shall determine)।"

३--इलाहाबाद युनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ अथवा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन अधिनियम, १९५४ के अधीन कृत अथवा अकृत (done or omitted to be done) कोई कार्य अथवा बात जो उक्त अधिनियमों के अधीन यथोचित रूप से कृत अथवा अकृत होती यदि पश्चाद्वर्ती अधिनियम (latter Act) की धारा ४० उस रूप में होती जैसी कि इस अध्यादेश द्वारा व्यवस्थित की गयी है, वैध तथा यथोचित रूप से कृत अथवा अकृत होगी और समझी जायगी। वैधीकरण यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१। उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५५।

कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी,
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३९ पर)

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ (संशोधन) अध्यादेश, १९५५

(उ० प्र० अध्यादेश संख्या ६, १९५५)

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ को संशोधित करने का

अध्यादेश

श्री राज्यपाल संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां वर्तमान हैं जिनमें यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ को कुछ प्रयोजनों के निमित्त तुरन्त संशोधित करना आवश्यक है ;

और राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा है ;

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में ला कर श्री राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश बना कर प्रचारित करते हैं:

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

धारा ६-एच का संशोधन।

२--यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की (जिसे यहां पर आगे चल कर "मूल अधिनियम" कहा गया है) धारा 6-H में शब्द "apply to an election" के पश्चात् शब्द "of a member" सदैव से रक्खे गये समझे जायं।

धारा ६-आई का संशोधन।

३--मूल अधिनियम की धारा 6-I की उपधारा (२) में शब्द "election" के पश्चात् शब्द "of a member" सदैव रक्खे गये समझे जायं।

धारा ३९ का संशोधन। वंधीकरण

४--मूल अधिनियम की धारा ३९ की उपधारा (२) में खंड (*f*) (जो निकाल दिया गया है) के पश्चात् निम्नलिखि नये खंड (*f*-1) से (*f*-6) तक सदैव रखे गये समझे जायं :

"(*f*-1) the conduct of election to the office of Chairman,
(*f*-2) the decision of doubts and disputes relating to election to the office of the Chairman,
(*f*-3) the removal of disqualicfications for election to the office of Chairman,
(*f*-4) the electoral offences and corrupt practices relating to election to the office of chairman,
(*f*-5) bye-election to the office of Chairman, and
(*f*-6) generally on all matters relating to conduct of elections to the office of Chairman."

वैधीकरण (Validation)।

५--संदेहों के निवारणार्थ, एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि--

(१) चेयरमैन के निर्वाचन से सम्बद्ध कोई नियम जो यू० पी० टाउन एरियाज (संशोधन) अधिनियम, १९५२ के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित रहा हो, उपर्युक्त संशोधन अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी ऐसे परिवर्तनों, परिवर्द्धनों अथवा परिष्कारों (alteration, additions or modification) को बाधित न करते हुये जो बाद में मूल अधिनियम की धारा ३९ के अधीन उसमें किये गये हों, प्रचलित रहेगा और प्रचलित रहा हुआ समझा जायगा।

(२) कृत अथवा अकृत (done or omitted to be done) कोई कार्य अथवा बात जिसमें मूल अधिनियम अथवा उसके किसी संशोधन अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्मित कोई नियम अथवा नियम का संशोधन भी सम्मिलित है, जो वैध रूप से तथा उपयुक्त रूप से मूल अधिनियम अथवा उसके किसी संशोधन अधिनियम के अधीन कृत अथवा अकृत अथवा निर्मित हुआ होता अथवा हुई होती, यदि मूल अधिनियम की धारा (6-*H*, 6-*I*) तथा 39 (2) वैसी होती जैसी इस अध्यादेश द्वारा व्यवस्थित की गयी है, तद्न्तर्गत वैध रूप से तथा उपयुक्त रूप से किया गया अथवा बनाया गया समझा जायगा ;

(३) उपधारा (१) तथा (२) में अभिदिष्ट नियमों में उल्लिखित अधिकारों के अधीन, प्रतीत होने वाले प्रयोग के अन्तर्गत इस अध्यादेश के आरम्भ से पूर्व चेयरमैन के निर्वाचन पर प्रश्न उठाने वाले किसी भी निर्वाचन याचिका (election petition) पर प्रत्येक निर्णय अथवा आज्ञा जो विधिपूर्ण होता या होती यदि इस अध्यादेश की धारा २,३ तथा ४ याचिका के प्रस्तुतीकरण (presentation) तथा विचार अथवा निर्णय अथवा आज्ञा के प्रख्यापन (pronouncement) के अवसर पर प्रचलित हो गयी होती (come into operation) तथा ऐसे निर्णय अथवा आज्ञा के अनुसार की गई कोई बात विधिपूर्ण दिये गये अथवा की गयी समझी जायगी यदि ऐसा निर्णय अथवा ऐसी आज्ञा उक्त आरम्भ से पूर्व ही रद्द (set aside) न कर दिया गया हो अथवा न कर दी गयी हो।

कन्हैयालाल माणिक लाल मुन्शी,
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३९ पर)

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अध्यादेश, १९५५

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ७, १९५५)

खाद्यान्नों के भांडारों में रखने के निमित्त भवनों के अधिग्रहण के लिये एक परिमित अवधि के लिये अधिकारों की व्यवस्था करने का

अध्यादेश

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों को भांडारों में रखने के लिये भवनों की कमी के कारण यह आवश्यक है कि खाद्यान्नों को भांडारों में रखने के लिये भवनों के अधिग्रहण, तथा ऐसे अधिग्रहण के फलस्वरूप देय प्रतिकर अवधारित करने के लिये अधिकारों की व्यवस्था की जाय ;

और राज्य विधान मंडल का सत्र इस समय नहीं हो रहा है ;

तथा राज्यपाल को संतोष है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जिसमें यह आवश्यक है कि तत्काल ही ऐसे अधिकारों की व्यवस्था की जाय ;

और राष्ट्रपति से अनुदेश प्राप्त हो चुके हैं ;

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में ला कर भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में राज्यपाल निम्न-लिखित अध्यादेश बनाते और प्रचारित करते हैं--

संक्षिप्त शीर्षनाम विस्तार तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अध्यादेश, १९५५ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषायें।

२--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अध्यादेश में--

(क) "न्यायालय" का तात्पर्य अधिक्षेत्र (jurisdiction) रखने वाले मुंसिफ या सिविल जज के न्यायालय से है ;

(ख) "स्वामी" के अन्तर्गत भोग बंधकी (mortgagee in possession) भी हैं ;

(ग) "भांडारिक आवास" (storage accommodation) का तात्पर्य भांडार के निमित्त प्रयुक्त अथवा उपयुक्त किसी भवन से है और इसके अन्तर्गत खत्ती भी है ;

(घ) "कलेक्टर" के अन्तर्गत इस अध्यादेश के अधीन कलेक्टर के कार्यों को संपादित करने के लिये सरकारी गजट में विज्ञप्ति कर के राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकारी (authority) भी है।

अधिग्रहण का अधिकार।

३--(१) यदि कलेक्टर की राय में खाद्यान्नों को भांडार में रखने (storing) के लिये किसी भांडारिक आवास का अधिग्रहण (requisition) आवश्यक है तो वह लिखित आज्ञा दे कर ऐसे भांडारिक आवास का अधिग्रहण कर सकता है और यह भी आज्ञा दे सकता है कि उसका कब्जा उसे ऐसी अवधि के भीतर (जो आज्ञा की तामील के दिनांक से तीन दिन से कम न होगी), जो निर्दिष्ट की जाय, दिया जाय :

फिर भी प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा आवास, जो साधारणतया भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिकृत नहीं किया जायगा।

(२) कोई भवन भांडार के लिये उपयुक्त है या नहीं, इस सम्बन्ध में कलेक्टर का निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा।

तामील।

४--अधिग्रहण आज्ञा की तामील भांडारिक आवास के स्वामी अथवा अध्यासी (occupier) पर, यदि कोई हो, अथवा यदि स्वामी अथवा अध्यासी (occupie) अविलम्बप्राप्य (readily traceable) न हो अथवा स्वामित्व विवादग्रस्त (in dispute) हो, तो सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा की जायगी।

भंडारिक आवास के प्रयोग का अधिकार।

५--यदि कलेक्टर ने धारा ३ के अधीन कोई भांडारिक आवास अधिगृहीत कर लिया हो तो वह ऐसी रीति से प्रयुक्त अथवा व्यवहृत (deal with) करेगा जो उसे खाद्यान्नों को भंडार में रखने के निमित्त आवश्यक प्रतीत हो।

प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार।

६--कलेक्टर अथवा उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी भूगृहादि (premises) में यह अवधारण करने के प्रयोजन से प्रवेश और उसका निरीक्षण कर सकता है कि वे खाद्यान्नों को भांडार में रखने के निमित्त, प्रयुक्त किये जा सकते हैं अथवा नहीं।

अनबन्ध (agreement) द्वारा प्रतिकर।

७--कलेक्टर अपने द्वारा अधिगृहीत भांडारिक आवास के स्वामी को ऐसा प्रतिकर जो एक मुश्त धनराशि अथवा मासिक अथवा नियतकालिक भुगतानों के रूप में हो, जो अपने और अपने स्वामी के बीच लिखित रूप में तय हो जाय, देगा।

न्यायालय का अभिदेश (reference)।

८--(१) यदि धारा ७ में निर्दिष्ट अनुबन्ध (agreement) न हो सके तो कलेक्टर उस विषय को निर्णयार्थ न्यायालय को भेज देगा।

(२) अभिदेश (reference) का निर्णय करने में न्यायालय लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा २३ की उपधारा (१) तथा धारा २४ के उपबन्धों का, जहां तक वे लागू हो सकते हैं, ध्यान रखेगा।

न्यायालय की आज्ञा के विरुद्ध अपील अथवा पुनरीक्षण न हो सकेगा।

९--समय विशेष पर प्रचलित किसी भी विधायन (enactment) में कोई विपरीत बात होने पर भी, धारा ८ के अधीन न्यायालय की आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील अथवा पुनरीक्षण (revision) न हो सकेगा।

अधिग्रहण से आभित्यक्ति।

१०--(१) जब कोई भांडारिक आवास छोड़ा (release) जाना हो तो कलेक्टर उसे उस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ देगा जिससे वह अधिगृहीत किया गया था। यदि भांडारिक आवास अधिग्रहण के दिनांक पर बन्धक (subject to mortgage) था तथा उसके पश्चात् वह बन्धक से मुक्त (redeemed) हो चुका है, अथवा यदि वह व्यक्ति, जिसे वह अधिगृहीत किया गया

था, मर गया है, तो कलेक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे, लिखित आज्ञा द्वारा उस व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट करेगा, जिसे उसका कब्जा दिया जाय। फिर भी कलेक्टर का निर्णय उस पक्ष द्वारा, जो उसकी आज्ञा से क्षुब्ध (aggrieved) हो दूसरे पक्ष के विरुद्ध अपना दावा स्थापित करने में बाधक न होगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी आज्ञा में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को ऐसे भांडारिक आवास का कब्जा दे देने तथा उसका प्रतिकर अदा कर देने पर राज्य सरकार अथवा कलेक्टर ऐसे आवास के सम्बन्ध में समस्त दावों के दायित्वों से मुक्त हो जायेंगे।

(३) यदि वह व्यक्ति, जिसे भांडारिक आवास का कब्जा दिया जाना हो, न मिल सके तथा उसकी ओर से कब्जा लेने के लिये कोई अभिकर्ता (agent) अथवा अन्य अधिकृत व्यक्ति न हो, तो कलेक्टर भांडारिक आवास के किसी प्रमुख स्थान पर एक नोटिस चिपकवा कर यह प्रख्यापित करेगा कि भांडारिक आवास अधिग्रहण से छोड़ दिया गया है।

(४) जब उपधारा (३) में अभिदिष्ट नोटिस उसमें की गयी व्यवस्था के अनुसार चिपका दिया गया हो, तो नोटिस में निर्दिष्ट भांडारिक आवास नोटिस के चिपकाये जाने के दिनांक पर, तथा उस दिनांक से, अधिग्रहण के अधीन न रह जायगा और उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह उस व्यक्ति को दे दिया गया है जो उस पर कब्जा पाने का अधिकारी था तथा राज्य सरकार अथवा कलेक्टर उक्त दिनांक के पश्चात् किसी भी अवधि के लिये भांडारिक आवास के संबंध में कोई प्रतिकर अथवा अन्य दावे के देनदार न होंगे।

दंड।

११--यदि कोई व्यक्ति धारा ३ के उपबन्धों के अधीन कलेक्टर को किसी भांडारिक आवास का कब्जा नहीं देता, अथवा इस अध्यादेश के अधीन उस पर कब्जा लिये जाने का विरोध करता है, अथवा उसमें बाधा डालता है, तो वह ऐसी अवधि के लिये जो एक मास तक हो सकती है, कारावास के दंड का अथवा अर्थ दंड का, जो दो सौ रुपये तक हो सकता है, अथवा दोनों का भागी होगा।

उन उपबंधों का प्रभाव जो अन्य विधायनों से असंगत हों।

१२--समय विशेष पर प्रचलित किसी विधायन अथवा ऐसे विलेख (instrument) में, जिसका विधि का सा प्रभाव हो (having the force of law) किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, इस अध्यादेश के उपबन्ध प्रभावकर होंगे (shall have effect)।

इस अध्यादेश के अधीन किये गये कार्यों के सम्बंध में व्यक्तियों की सुरक्षा।

१३--किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे कार्य के लिये जो उसने इस अध्यादेश के अधीन दी गई आज्ञा के अनुसार सद्भाव से किया हो या जिसका किया जाना अभिप्रेत हो, कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

किसी न्यायालय में आज्ञाओं पर आक्षेप न किया जा सकना।

१४--उस दशा को छोड़ कर, जिसकी इस अध्यादेश में व्यवस्था की गयी है, किसी भी आज्ञा पर, जो इस अध्यादेश द्वारा अथवा उसके अधीन प्राप्त अधिकारों को काम में ला कर दी गयी हो, किसी न्यायालय में आक्षेप नहीं किया जा सकेगा।

नियम बनाने का अधिकार।

१५--राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी,
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४०५२)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अध्यादेश, १९५५

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ८, १९५५)

कुछ प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ के उपबन्धों को संशोधित करने का

अध्यादेश

राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां वर्तमान हैं जो उन्हें कुछ प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ को तुरन्त संशोधित करने के लिये वाधित करती हैं।

और इस समय राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा है,

अतएव, संविधान के अनुच्छेद २१३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अध्यादेश बनाते और प्रचारित करते हैं :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ। उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा २७ का संशोधन।

१--(१) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा २७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"२७--(१) चकबन्दी योजना के प्रवर्तन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र चकबन्दी संचालक (Director of Consolidation) प्रत्येक ऐसे गांव के लिये, जो चकबन्दी कार्यों के अन्तर्गत आता हो, गांव का एक नया नक्शा, खसरा तथा अधिकार-अभिलेख तैयार करायेगा और उक्त अभिलेखों को तैयार करने में यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्धों का, ऐसे परिष्कार तथा परिवर्तनों के अधीन जो विहित किये जायं, अनुसरण किया जायगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन तैयार किये गये अधिकार अभिलेख में सभी प्रविष्टियां (entries) अंतिम एवं निश्चायक होंगी।

(३) लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३३ के अधीन पहले रक्खे जाने वाले अभिलेखों के स्थान पर कलेक्टर अब उपधारा (१) के अधीन तैयार किया गया अभिलेख रक्खेगा।"

कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--४९ एल० ए०--१९५५--७९६।